खण्ड-308, अंक-5
सोमवार, 10 आषाढ़, शक संवत् 1896
(1 जुलाई, 1974 ई0)

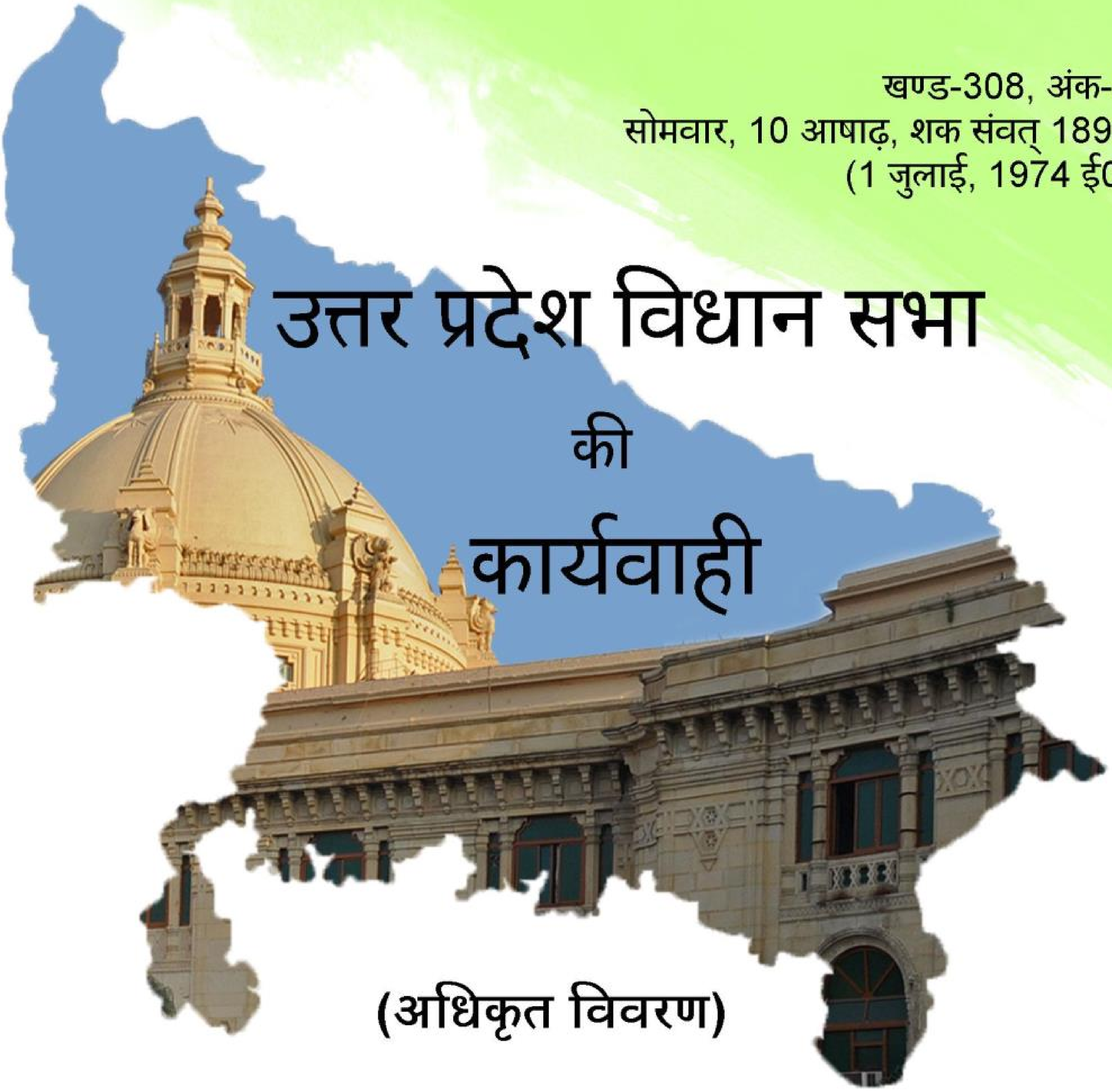

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 308 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार 11 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—355

अंगन लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्रभान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा0
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीपनारायन बन 'महन्थ', श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोलादत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलबी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणंजीत सिंह "जूदेव", श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद, चौधरी
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री

राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतर सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिकु प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री

सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी उर्फ नब्बन, श्री
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नरायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन, बहुगुणा

नोट:—लघु उद्योग मंत्री, श्री इस्तफा हुसेन भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 1 जुलाई, 1974

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में लेवी सिस्टम व सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गेहूं की खरीद

**1—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगी कि प्रदेश में लेवी सिस्टम व सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अलग-अलग कुल कितना गेहूं अब तक (20-6-74तक) क्रय किया गया तथा 1 जून, 1974से अब तक (20-6-74 तक) छापे मार कर तथा विभिन्न एजेन्सियों द्वारा खरीद किये गये गेहूं की मात्रा अलग-अलग क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

प्रदेश में इस वर्ष 20 जून, 1974 तक लेवी सिस्टम द्वारा 62,192 मैट्रिक टन व सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सीधी खरीद में 67,459 टन, कुल 1,27,911 मैट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया । 1 जून, 1974 से 20 जून, 1974 तक छापे मार कर 29,735 मैट्रिक टन गेहूं पकड़ा गया और 22,649 मैट्रिक टन लेवी सिस्टम द्वारा तथा सीधी खरीद में 67,335 मट्रिक टन सहकारी संस्थाओं तथा 6,791 मैट्रिक टन राज्य सरकार के मार्केटिंग विभाग द्वारा खरीदा गया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो 29,737 टन गेहूं छापा मार कर खरीदा है या पकड़ा है उसमें से कितना किसानों से, कितना व्यापारियों से और कितना तस्करी का माल पकड़ा गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो मेरे द्वारा प्राप्त सूचना है उसके आधार पर छापा जो गांवों म डाला गया है, उससे संबंधित है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या तस्करी का माल पकड़ा गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरी सूचना किसानों से प्राप्त गेंहूं की है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जिन कृषकों ने 1-6-74 से पूर्व सरकार द्वारा निश्चित लेवी के आधार पर गल्ला सप्लाई किया है क्या उनको भी आवश्यक वस्तुएं दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अभी तक तो कोई निर्णय नहीं है लेकिन सरकार उनकी आभारी है कि उन्होंने सरकारी नीति को जनहित में पूर्ण कराने में सहयोग दिया ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन कृषकों ने सरकार को गल्ला नहीं बेचा है या जिनके यहां छापा नहीं पड़ा है उनसे गेहूं लेने की कोई व्यवस्था हो रही है या यह योजना बन्द होगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, व्यवस्था हो रही है और यह अभियान सारे महीने चलाया जा रहा है। यदि आवश्यकता पड़ी तो आगे भी चलाया जायगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गहूं लेने के बदले में गेहूं, सीमेंट, यूरिया तथा कपड़ा और डालडा किस मात्रा में दिया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, किसानों ने जो दो क्विंटल गेहूं दिया है उनको एक बोरी यूरिया 50 किलोग्राम की, 5 किलो चीनी, 10 मीटर कंट्रोल का कपड़ा और एक बोरी सीमेंट देने का प्रयास किया जाता है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो योजना चल रही थी उसके लिये 30 जून तक समय निश्चित किया गया था तो क्या सरकार का उसको आगे चलाने का इरादा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आवश्यक वस्तुओं को कृषकों से गेहूं खरीदने के एवज में दिया है वह जिले के कोटा से दिया है या अतिरिक्त कोटा भारत सरकार से मंगाकर दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग सवाल है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

हो तो दे दें। अन्यथा अगला प्रश्न कर लूं।

श्री अध्यक्ष—

अगला पूछें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अगला ही सही। यदि मा0 मंत्री जी को जानकारी हो तो 30 जून तक कितना गेहूं प्रदेश की सरकार ने विभिन्न एजेन्सियों द्वारा क्रय किया है ?

श्री अध्यक्ष—

20 जून तक की सूचना मांगी गयी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अगर हो तो दे दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके आधार पर लेवी सिस्टम से 62,192 टन, पी0 सी0 एफ0 के द्वारा 1,25,419, मारकेटिंग सिस्टम से 23,767 टन, 45 जिलों में छापे मार कर 18,667 टन, और जो इक्सेज व्हीट जो सीज किया गया 40,263 टन और कुल मिलाकर 2,51,641 टन।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गेहूं मिलने वाला था बड़े किसानों से और उन्होंने नहीं दिया तो क्या यह सही है कि उन पर नोटिस जारी किये गये हैं और दूसरे किसानों पर नहीं ? तो यह भेदभाव क्यों किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

श्री राम सेवक यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बड़े किसानों से जिनसे लेवी का गहूं मिलने वाला था और उन्होंने नहीं दिया तो उन्हें नोटिस देने की क्या जरूरत थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

छापे बड़े किसानों के यहां मारे गये हैं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गेहूं के बदले खाद दी गई है वह पुराने रट पर दी गयी है या नये रेट पर दी गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पुराने रेट से (51 रुपया बोरा)।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 2 गेहूं बोरा पर एक बोरा सीमेंट दिया गया है या काश्तकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिया गया है या उसे कम्पेन्सेट करने के लिये दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

यह छपा हुआ है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि सीमेंट आवश्यकता समझकर दी गयी । कपड़ा पहनने के काम में आयेगा, चीनी शरबत के काम में आयेगी और खाद खेत में डालने के काम आयेगी तो सीमेंट किस काम में आयेगी ?

श्री अध्यक्ष---

आवश्यकता के अनुसार दी गयी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जितना किसानों ने गेहूं दिया उसी के अनुपात में दिया । कोशिश यह की जाती है कि जितनी मात्रा म उसकी आवश्यकता हो उतना ही दिया जाये ।

श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ब्योरा उन्होंने दिया कि छापे मार कर, तस्करी और उसके अतिरिक्त कौन से दूसरे तरीके हैं जिनसे गेहूं वसूल किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

और तरीका तो उसमें लिखा है ।

श्री भीखा लाल---

क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस किस्म की शिकायतें आई हैं आजमगढ़ के मऊनाथ भंजन कस्बे के बारे में कि वहां की सोसायटी से 50 रु0 फी कुन्टल गल्ला वसूल किया गया और उसको ले जा कर देहात में बड़ी कीमत पर गल्ला खरीद कर अपना कोटा पूरा किया है सोसायटी की क्षतिपूर्ति करने के लिये, ताकि वह ब्लक करके अपनी क्षतिपूर्ति कर लें । क्या माननीय मंत्री जी के पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो दूसरा सवाल हुआ ।

श्री नाराय दत्त तिवारी---

ऐसी शिकायत नहीं आई है ।

श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कास्तकारों से गेहूं लिया गया है, उनको सीमेंट, यूरिया, फर्टीलाइजर के जो परमिट दिये गये हैं, उन परमिटों के अलावा उनको इस परमिट के सामान अब तक उपलब्ध नहीं हुये हैं, महज उनको परमिट ही दिये गये हैं । तो इसकी व्यवस्था के लिये मा0 मंत्री जी क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिनको परमिट दिये गये हैं, उनको सामान दे दिये जांय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, अभी तक तो यह शिकायत नहीं आई है मा० सदस्य को यह शिकायत हो तो आज ही लिखकर भेजवा दें ताकि मैं उनको सामान दिलवा सकूं, जिनको समान अभी तक नहीं मिल सके हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या मा० मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों के पास गल्ला नहीं था उनके ऊपर भी छापे मारे गये हैं? क्या मा० मंत्री जी कोई ऐसा आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि गरीब किसानों पर छापे न मार कर उनसे गेहूं न वसूल किये जांय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो सम्मानित नेता जनसंघ ने कहा है, उसका पूरा ध्यान रखा जायगा।

तारांकित-प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला देवरिया की गन्ना मिलों पर किसानों और मजदूरों का बकाया

*1--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) तथा श्री हरकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के किन-किन गन्ना मिलों के जिम्में सन् 1969-70 से 1973-74 तक किसानों और मजदूरों का कितना-कितना बकाया है और सरकार उसके भुगतान के लिये कौन सा कदम उठा रही है ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)--

देवरिया जिले की चीनी मिलों को जिनके जिम्में किसानों का बकाया गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान हेतु अवशेष है, संलग्न तालिका में दर्शाया गया है, और उनके नामों के सम्मुख गन्ना मूल्य बकाया की धनराशि सीजनवार दी हुई है।

पुराना गन्ना मूल्य बकाया केवल दो चीनी मिलों, खड्डा व रामकोला (खेतान) पर है, जिसकी वसूली के अभिप्राय से खड्डा चीनी मिल को उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अभिग्रहीत कर लिया गया है और वह उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के नियन्त्रण में संचालित है। रामकोला चीनी मिल को भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर लिया गया था, परन्तु उसने उच्च न्यायालय में इस कार्यवाही के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। तदोपरान्त इस मिल में रिसीवर नियुक्त कर दिया गया और अब यह मिल रिसीवर के नियन्त्रण में कार्य रत है। इन दोनों मिलों पर गन्ना मूल्य बकाया को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

चीनी मिलों पर मजदूरों के बकाया तथा उसके भुगतान के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 555 पर)

जिला जालौन के भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा पर उद्योग विभाग के कर्ज का बकाया

*2--श्री वीर सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के किस-किस भूतपूर्व विधान सभा सदस्य पर उद्योग विभाग का मार्च, 1974 तक कितना-कितना कर्ज बकाया है ? अब तक वसूल न कर पाने का कारण क्या है ? तथा आगे वसूली के लिये क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जालौन जिले में किसी भी भूतपूर्व विधान सभा सदस्य पर उद्योग विभाग का मार्च, 1974 तक कोई कर्ज बकाया नहीं था अतः वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में राशन की दुकानें

*3--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी के कस्बे में 1 मई, 1974 को राशन की कितनी दुकानें थीं और उन दुकानदारों के नाम व पते क्या हैं ? तथा उनको यह दुकानें कब एलाट की गई हैं ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी के कस्बे में 1 मई, 1974 को राशन की पांच दुकानें थीं। दुकानदारों के नाम व पते तथा उनको दूकान एलाट किये जाने के दिनांक निम्न प्रकार है :--

क्रम-संख्या	नाम व पता	एलाट करने का दिनांक
1	सर्वश्री बोगाराम तेजभान, बिलारी ..	.. 1-5-1963
2	श्री सुरेश चन्द्र, पुत्र श्री राम औतार, बिलारी ..	.. 20-8-1964
3	श्री जगदीश शरण, पु श्री फकीर चन्द्र, बिलारी	.. 1-2-1964
4	श्री राजपाल सिंह, पुत्र श्री बट्टू सिंह, बिलारी	.. 14-2-1972
5	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र, श्री नरसिंह कुमार, बिलारी	.. 1-1-1974

सरोजिनी नायडू ग्लास वर्क्स, जिला फिरोजाबाद को दिया गया कोयले का परमिट

*4--श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ) तथा श्री ओम प्रकाश (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1972 में फिरोजाबाद में सरोजिनी नायडू ग्लास वर्क्स के कोयले के परमिट की अनियमितताओं की वजह से कैंसिल किया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इस्तफा हुसैन--

इस इकाई को वर्ष 1972 में कोयला देने की कोई संस्तुति उद्योग निदेशालय ने नहीं की थी। अतः परमिट कैन्सिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सत्य पाल मलिक--

मेरा प्रश्न वह नहीं है जो मा0 मंत्री जी ने समझा। 1972 में सरोजनी नायडू ग्लास वर्क्स में कोयले का परमिट पहले से था। 1972 में यह पाया गया कि फिरोजाबाद में नहीं बल्कि हापुड़ और बुलन्दशहर में बेचे हैं और वह माल पकड़ा गया 1972 में। जहां तक मुझे मालूम है सैल्स टैक्स की चोरी रोकने वाली विशेष शाखा थी, उसने जांच की और जो इसमें गड़बड़ी पाया तो कोयले का परमिट कैंसिल किया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में गया। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी अब क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न और उत्तर कुछ अलग-अलग हैं ।

श्री इस्तफा हुसैन—

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है । माननीय सदस्य ने कहा है कि सजा के तौर पर उस इकाई को कोयला नहीं दिया गया बल्कि उस इकाई को.....

श्री अध्यक्ष—

इनका प्रश्न है कि कोयले के परमिट को अनियमितताओं की वजह से कैंसिल किया गया । उनका कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला हुआ है, तो उसे आप बता दें ?

श्री इस्तफा हुसैन—

कोयले का परमिट कैंसिल नहीं किया गया है बल्कि जो आदेश सरकार की ओर से हुआ था.....

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर संतोषजनक नहीं है, इसलिये मैं इसको स्थगित करता हूं ।

(स्थगित किया गया ।)

तारांकित प्रश्न

यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट के यू० पी० निर्यात निगम को हस्तान्तरण के समय दिया गया कुल सामान

*1—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या लघु उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट के हस्तांतरण के समय यू० पी० निर्यात निगम को ए और बी श्रेणी का कुल कितना माल टूल्स एण्ड प्लान्ट तथा साज-सज्जा का कुल मिलाकर कितने रुपये का सामान हस्तान्तरित किया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन—

राजकीय उ०प्र० हैन्डीक्राफ्ट के हस्तान्तरण के समय उत्तर प्रदेश निर्यात निगम को 13.38 लाख रुपया का बिक्री योग्य सामान हस्तांतरित किया गया था । निगम को हस्तान्तरित किये गये टूल्स एण्ड प्लान्ट तथा साज-सज्जा का ह्रास मूल्य (डिप्रेशियेटेड) वेल्यू लगभग 24,000 रुपये था ।

यू० पी० निर्यात निगम को सरकार द्वारा दिया गया धन तथा निर्यात निगम को लाभ या हानि

*2—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 में कुल कितना धन राज्य सरकार द्वारा निर्यात निगम को दिया गया ? और इसी बीच में कुल कितने रुपये का माल निर्यात निगम द्वारा निर्यात किया गया तथा इन वर्षों में निगम को शुद्ध लाभ या हानि क्या रही ?

श्री इस्तफा हुसैन—

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात निगम को वर्ष 1971-72 में कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया ।

1972–73 व 1973–74 में निर्यात निगम को कुल 31,82,500 रु0 दिया गया। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम द्वारा वर्ष 1971–72 व 1972–73 तथा वर्ष 1973–74 में क्रमशः 6,25,000 रु0, 41,000 रु0 एवं 1.17 लाख रुपये का माल निर्यात किया गया था। वर्ष 1972–73 व 1973–74 में निगम ने विभिन्न निर्यातकों (एक्सपोर्टर्स) को माल के निर्यात में सहायता भी दी।

वित्तीय वर्ष 1972–73 में 43,135.04 रु0 की हानि तथा वर्ष 1972–73 में 6,410.75 रु0 का शुद्ध लाभ हुआ। वर्ष 1973–74 का वार्षिक चिट्ठा तैयार किया जा रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

श्रीमन्, ये 2 प्रश्न हैं। पहले में प्रश्न 1 से सम्बन्धित प्रश्न करता हूं। उत्तर प्रदेश हैन्डीक्रैफ्ट्स में बराबर हानि हो रही है। उससे छुटकारा पाने के लिये सरकार ने निगम बना दिया। इसमें 2 श्रेणियों का माल है। 'ए' श्रेणी का वह माल है जो बिक्री योग्य है और 'बी' श्रेणी का वह माल है जो बिक्री योग्य नहीं है। इसको निगम को हस्तान्तरित किये हुये लगभग 4–5 माह हो गये हैं तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि "बी" श्रेणी का सामान उसी समय हस्तान्तरित क्यों नही हुआ और अब तक जो 2 1/2 लाख रुपया इस पर व्यय हो चुका है, ऐसा क्यों है ?

श्री इस्तफा हुसैन––

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यू0 पी0 हैन्डीक्राफ्ट्स को बराबर घाटा होता था, उस घाटे की रीति को बदलने के वास्ते यू0पी0 ऐक्सपोर्ट्स कारपोरेशन के जरिये से ज्यादा माल की बिक्री करने के लिये एक नया तरीका इस्तेमाल किया गया और जो सेलेबिल माल थे वह उनके सुपुर्द कर दिये गये, उसका दाम भी एक कमेटी द्वारा तय कर दिया गया कि कितने का माल है–वह उनका ट्रान्सफर कर दिया गया। जो नान–सेलेबिल माल था, जो हेड स्टाक था उसको ट्रान्सफर नहीं किया गया। बाद में उद्योग निदेशालय ने तय किया कि उस माल को भी उसके जरिये से बिकवायें और अब वह माल भी उसके जारिये से बिक रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

मेरा सवाल दूसरा था। क्या यह सही है कि उस अधिष्ठान पर ढाई लाख खर्चा हुआ ? तो उसको बचाने के लिये पहले ही क्यों नही दे दिया, अब क्यों दिया ?

श्री इस्तफा हुसैन––

मान्यवर कैटेगरी "बी" का जो माल है उसको पहले इस वास्ते नहीं ट्रान्सफर किया, क्योंकि पहले खयाल था कि उद्योग निदेशालय खुद इस काम को करेगा, लेकिन चूंकि गवर्नमेन्ट यू0 पी0 हैन्डीक्राफ्ट्स के सम्बन्ध में यह माल था इसलिये बाद में निर्णय किया गया कि वह ही बेंजें, दो एजेंसीज से न बिकवाया जाय और देर न हो, जल्दी बिक जाय इसी वास्ते यह हुआ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

"ए" श्रेणी का माल आपने ट्रान्सफर किया निगम को तो उसकी शर्तें क्या थीं कि कब कब वह रुपया आपको वापस हो जायगा और कितना अब तक वापस हुआ ?

श्री इस्तफा हुसैन––

श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जब ट्रान्सफर कर दिया गया यू0 पी0 एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन को "ए" का या "बी" का तो फिर वापस करने का क्या सवाल है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

उन्होंने बताया कि 71-72 में 41 हजार रुपये की हानि हुई और 72-73 में केवल 6 हजार रुपये का लाभ--तो क्या कारण था इतनी बड़ी हानि के होने का और क्या कारण है इतने कम मुनाफे का ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जब यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के जरिये यह कारोबार चलता था तो उसको 3-4 लाख के दरमियान घाटा हुआ करता था, उसको हमने कम किया है, शु शुरू का साल था। अब मुनाफे की तरफ जा रहे हैं और अगले साल हमको उम्मीद है कि 2 लाख रुपये का फायदा होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जब यह कारपोरेशन बना तो निश्चित यह हुआ था कि 51 परसेंट शयर सरकार खरीदेगी और 49 परसेंट पब्लिक खरीदेगी। तो पब्लिक ने अब तक कितने शेयर खरीदे और सरकार नें कितने खरीदे या कर्जा दिया ?

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल तो उससे अलग हो गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, यह प्रश्न न० 2 पर सवाल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक सरकार ने इस कारपोरेशन को कितना कर्जा दिया या कितने शेयर खरीदे क्योंकि पब्लिक ने कुछ शेयर नही खरीदे इसकी साख इतनी गिर गई है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

1972-73 में 5 लाख रुपया इस कारपोरेशन को कार्यशील पूंजी के लिये दिया । यह ऋण था और अनुदान 6,70,600 रुपये अधिष्ठान के व्यय के वास्ते दिये। शैयर कैपिटल के लिये 7 लाख 50 हजार रुपये इरविन रोड पर दिल्ली में जो शो रूम है उसके वास्ते 73-74 में दिये। 81,600 रुपये शिक्षित बेरोजगारों को व्यक्तिगत रूप से रेडीमेंड गारमेन्ट्स की निकासी के वास्ते दिये और फिर 4 लाख 30 हजार रुपये का अनुदान 73-74 में दिया ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

जो यह अधिष्ठान के लिये पैसा दिया जा रहा है वह उनके व्यय को देख कर दिया जा रहा है या यों ही लगातार अनुदान दिया जा रहा है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जो कर्जा दिया है उसको वापस पाने की क्या गारंटी है ?

श्री अध्यक्ष--

पूरे निगम की जानकारी चाहें एक सवाल के अन्तर्गत तो मुश्किल पड़ती है ।

श्री राम सेवक यादव--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1972-73 में 6 हजार रुपये का मुनाफा हुआ, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेन्ट कितना है ?

श्री इस्तफा हुसैन---

मैंने बताया कि सरकार ने जो कुछ रुपया दिया है वह सब इन्वेस्टमेन्ट है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में 7-10-72 से 31-3-74 तक कितने का माल एक्सपोर्ट हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो बहुत बड़ा सवाल है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों ने जो इस प्रश्न को इतना महत्व दिया है, वास्तव में यह प्रश्न बड़े महत्व का है। आज जितना भी ज्यादा हम एक्सपोर्ट को बढ़ायेंगे उतना ही वह हमारे प्रदेश और देश के हित में होगा। हम यही नहीं चाहते हैं कि केवल इस एक्सपोर्ट कारपोरेशन के द्वारा ही एक्सपोर्ट हो, बल्कि हम यह चाहते हैं दूसरे लोगों को भी इस कार्य में प्रोत्साहन दिया जाय। इस उद्देश्य से ही एक्सपोर्ट कारपोरेशन की स्थापना की गई। मैंने अपने बजट भाषण में एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांउसिल का जिक्र किया है। जितनी भी चीजें हमारे प्रदेश में बनती हैं, जैसे मुरादाबाद के बरतन, मिर्जापुर का कालीन, अन्य जगहों में कांच, चमड़ा आदि का जो भी सामान बनता है, हम उसको चाहते हैं कि वह एक्सपोट हो। यह सब एक्सपोर्ट इसी कांउसिल द्वारा होगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको इस दृष्टि से न देखें कि इसके द्वारा कितना लाभ हुआ या हानि हुई।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, हम हमेशा यह कहते चले आ रहे हैं कि सरकार कारपोरेशन बनाकर उस काय स अपना पिन्ड छुड़ाना चाहती है। यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट्स का मामला बड़ा खराब था, इसीलिये यह कारपोरेशन बना दिया और कारपोरेशन में अपने व्यक्तियों को रख दिया। आप यह स्थिति साफ करें कि जब से हस्तान्तरण हुआ है मुनाफा बढ़ा है या नहीं या क्या स्थिति है इन तीन वर्षों की ?

श्री इस्तिफा हुसैन---

पहले यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स जब शो रूम चलाता था तो एक्सपोर्ट का काम बिल्कुल नही होता था, जब से एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने यह काम संभाला है, तब से एक्सपोर्ट का काम हो रहा है। हमारी कोशिश यह है कि इस एक्सपोर्ट के काम को इतना बढ़ाया जाय ताकि पहले जो घाटा इस हैन्डीक्राफ्ट को होता था वह न हो सक। अब यह स्थिति है फाइनेंसिंग की कि उसमें उतना घाटा नहीं हो रहा है जो होता था। हम बल्कि मुनाफ की ओर जा रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, आप नियम 49 में चर्चा करने की इजाजत दें। एक प्रश्न यह है कि जब आप बैलेन्सशीट तैयार करते हैं और उसमें जो लाभ-हानि दिखाते हैं उसमें इस सरकार द्वारा दिये गये रुपये को भी शामिल करते हैं या नहीं ? मेरी जानकारी यह है कि सरकार द्वारा दिये गये रुपये को उसमें से घटा दिया है जिससे हानि कम हो गई है, क्या यह सही है ?

श्री इस्तफा हुसैन---

श्रीमन्, यह जो प्रश्न माधव बाबू ने किया है उसके मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं कि जो सामान पुराना हो जाता है उसका डिप्रेशियेशन घटा करके, मालियत अंकित की जाती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मेरे किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नही मिल रहा है, सरकार निगम बनाती चली जा रही है। निगमों के बारे में बड़ा विवाद प्रतिपक्ष और सरकार की तरफ क सदस्यों में रहा है। मेरी बिनम्र प्रार्थना है कि नियम 49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा का अवसर आप दे दें।

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर दे दीजियेगा। अब हम आगे चलते हैं।

पढ़े लिखे बेरोजगारों को उद्योग में लगाने की योजना

*3---श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पढ़े-लिखे बेरोजगारों को उद्योग में लगाने के लिये कई योजनाये चालू हैं? यदि, हां तो इन योजनाओं में 1973 व 1974 में कितने व्यक्तियों को उद्योगों में लगाया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन---

पढ़े-लिखे बेरोजगारों को उद्योग में लगाने के लिये कई योजनायें चालू हैं इन योजनाओं में वित्तीय वर्ष 1973-74 में 1217 व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

*4---श्री ओम प्रकाश सिंह---

[5वें सोमवार के लिये स्थगित]

विशेश्वरगंज मंडी, वाराणसी के व्यापारियों के विरुद्ध बिहार को ज्वार, बाजरा भेजने के आरोप में कायवाही

*5---श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1973-74 में मुगलसराय के रास्ते में बिहार ज्वार, बाजरा भेजने के आरोप में विशेश्वरगंज मंडी, वाराणसी के किन-किन व्यापारियों के बिरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई और जांच के बाद कौन-कौन दोषी या अपराधी पाये गये, उनको क्या दंड दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई---

वर्ष 1973-74 में मुगलसराय के रास्ते बिहार को ज्वार भेजने के संदेह में विशेश्वर-गंज मंडी, वाराणसी की तीन फर्मों मेसर्स हीरालाल विनोंद कुमार, मेसर्स नारायण दास एन्ड कंपनी तथा मेसर्स चौथी राम चुन्नी लाल के लेखा-जोखा का निरीक्षण किया गया परन्तु तस्करी का कोई ठोस प्रमाण न मिलने के कारण उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई परन्तु जो अनियमिततायें पाई गईं उसके सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही द्वारा उक्त तीनों फर्मों के खाद्यान्न लाइसेंस की जमानत की धनराशि में से जांच के उपरान्त 5-5 सौ रुपया शासन के हित में जब्त कर लिया गया। उपर्युक्त के अतिरिक्त विशेश्वर गंज मंडी की ही एक अन्य फर्म मेसस श्याम सुन्दर अशोक कुमार से संबद्ध श्री बीरम चन्द्र को ज्वार, बाजरा तथा मक्का को बिहार को तस्करी के संदेह में दिनांक 4 सितम्बर, 1973 को मेन्टेनेन्स आफ इन्टरनल सीक्योरिटी एक्ट, 1971 के अन्तर्गत नजर बन्द किया गया था जिन्हें बाद में उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28 मार्च, 1974 के अधीन रिहा कर दिया गया।

अलीगढ़ जिला व नगर के फर्मों को बिना परमिट के सीमेन्ट बेंचने के लिये दिया जाना

*6—श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च तथा अप्रैल, 1974 में अलीगढ़ जिला व नगर के किस-किस फर्म को कितनी-कितनी बोरी सीमेन्ट बिना परमिट बेंचने के लिये रिलीज की है और इसी अवधि में जनता की ओर से सीमेन्ट के कितने प्रार्थना-पत्र रजिस्टर हुये तथा उनमे से कितने प्रार्थना-पत्रों पर सीमेन्ट दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्न गत अवधि में अलीगढ़ जिला व नगर की किसी फर्म को सीमेन्ट बिना परमिट बेचने हेतु रिलीज नहीं की गई। उक्त अवधि में जनता की ओर से 15,401 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उनमें से 14,219 प्रार्थना-पत्रों पर सीमेन्ट दिया गया।

जिला पूर्ति कार्यालय, बाराबंकी में व्याप्त भ्रष्टाचार व शिकायतों की जांच

*7—श्री मधुकर दिघे—

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मार्च, अप्रैल, 1974 में पूर्ति कार्यालय, बाराबंकी में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनिमितताओं की शिकायतों की जांच अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री दिवाकर देव द्वारा शासन ने कराई थी ? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण क्या है और जांच के परिणाम स्वरूप अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला पूर्ति कार्यालय बाराबंकी में तेल, सीमेन्ट, शकर तथा बनस्पति के वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसकी जांच श्री दिवाकर देव, अतिरिक्त आयुक्त खाद्य तथा रसद मंत्री ने की थी। उनकी जांच रिपोर्ट से शासन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त वस्तुओं के वितरण में शासन के आदेशों की अवहेलना की गई। लाइसेन्सों को देने में सावधानी तथा सतर्कता नही बरती गई। फलस्वरूप निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयीं :—

(1) जिलापूर्ति अधिकारी को जनहित में सेवा निवृत्त किया गया,

(2) चार अस्थायी पूर्ति निरीक्षकों तथा एक अस्थायी लिपिक की सेवायें समाप्त की गयीं,

(3) एक पूर्ति निरीक्षक को निलम्बित किया गया,

(4) बनस्पति, सीमेन्ट तथा मिट्टी के तेल के 48 थोक एवं फुटकर व्यापारियों के लाइसेंस निलम्बित किये गये,

(5) दोषी व्यापारियों एवं निरीक्षकों के विरुद्ध पुलिस केस दायर किया गया जिसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। पांच व्यापारियों तथा तीन निरीक्षकों को गिरफ्तार किया गया।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से संबंधित उत्तर के बारे में प्रश्न कर रहा हूं। उत्तर में नं0 4, पर लिखा हैकि वनस्पति, सीमेंट तथा मिट्टी के तेल के 48 थोक एवं फुटकर व्यापारियों को निलंबित किया गया। तो क्या मंत्री जी बतान की कृपा करेंग कि चीनी की कितनी अनियमिततायें पायीं गयीं और उस संबंध में कहां कहां लोगों को पकड़ा गया और किन किन लोगों क खिलाफ क्या शिकायतें पायी गयीं और क्या कर्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जो चीनी की शिकायत थी, वह यह थी। न्याय पंचायत खिजना में तुलसी राम नाम के व्यक्ति की दूकान है। न्याय पंचायत दीनपनाह के चीनी के कोटेदार की दूकान निलंबित होने पर उसका कोटा भी तुलसी राम को दे दिया गया। यह शिकायत थी। जांच की गयी और कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

श्री मधुकर दिघे--

श्रीमन इसके अतिरिक्त रुदौली में कुछ बोरियां पकड़ी गयीं, चीनी की लगभग 125 बोरियां पकड़ी गयीं, इसकी कोई सूचना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना इस संबंध में कोई और मेरे पास नहीं है और न कोई शिकायतें और हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, प्रश्न के संबंध में ही मैं कुछ कहता हूं, मान्यवर इस सप्लाई डिपार्टमेन्ट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और आये दिन जिस पर हम चर्चा करते रहते हैं, और जो शिकायतें की जाती हैं उनकी जांच भी 5-7 महीनेके बाद मिलती है। तो क्या आप ऐसी विषम परिस्थिति में यह आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि किसी भी प्रकार की शिकायतों की जांच स्थानीय लेविल पर 1 महीने के अन्दर हो जाय और उसका परिणाम बता दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सुझाव अच्छा है इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मन्त्री जी ने चीनी का एक ही मामला और एक ही कोटेदार के बारे में बताया तो ऐसा नहीं है कि चीनी में एक ही अनियमितता हुई है। दूसरे यह कि क्या यह सही है कि 17-5-74 को स्वयं जिलाधीश द्वारा चीनी के परमिट और खासतौर से सीमेन्ट के परमिट जो बाहर के लोग जाली लेकर के इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही हुई। और साथ ही जिन फर्मों के ऊपर मुकदमें दायर हुए तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने गिरफ्तार हुए और कितने नहीं पकड़े गये? क्या यह सही है कि नन्हें लाल गत 29 तारीख को लिखित पुलिस कप्तान.....

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न 22-5-74 को मिला था इसलिए अभी इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री राम सेवक यादव--

तो मान्यवर, जिन फर्मों के ऊपर मुकदमें दायर हुए तो क्या वह लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं किये गये? साथ ही जिन लोगों के कोटे निलम्बित किये गये क्या उन्हीं फर्मों से अभी भी वितरण का कार्य कराया जा रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जो इन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र चीनी के बारे में भेजा है यदि वे उसकी प्रतिलिपि मेरे पास भिजवा दें तो उसकी जांच करवा लेंगे। मिट्टी का तेल यदि निलम्बित कोटेदार ही बेच रहे हैं तो इसके सम्बन्ध में मेरे पास लिखकर भेज दें तो इसकी जांच करवा लेंगे। मेरी सूचना है कि 31 मिट्टी तेल के व्यापारी निलम्बित किये गये हैं।

श्री रामसेवक यादव---

मेरी जानकारी है कि जिनके कोटे निलम्बित हुए हैं उनके जरिये ही काम लिया जा रहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है । यदि यह हो रहा है, तो गलत हो रहा है । यह नहीं होना चाहिये । इस सम्बन्ध में लिख कर दे दें ।

श्रीमती मोहसिना किदवाई (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, वहां 31 कोटा होल्डरों के बजाय और लाइसेन्स आपने दिये हैं । वहां तेल के वितरण की व्यवस्था क्या की गई है ? वहां की जनता को तेल और अन्य जरूरत का सामान दिलाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इसके सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता है । कोई दूसरी व्यवस्था की जा रही है ।

श्रीमती मोहसिना किदवाई---

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 50 रु0 फी बैरल अधिक में तेल देते हैं? क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह आपका दूसरा प्रश्न है ।

ग्राम घोंरवरिया, जिला वाराणसी को शकर न मिलने के संबंध में जांच

*8---चौधरी वीरेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम घोंरवरिया, पो0 कन्हईपुर, जिला बाराबंकी में गत 7-8 मास से शक्कर के कोटे से शक्कर का वितरण नहीं हो रहा है, जिससे वहां की जनता में असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा चीनी वितरण करने हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है और वह कब तक हो जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

ग्राम घोरवरिया, पोस्ट कन्हईपुर, जिला बाराबंकी के निवासियों का शिकायती पत्र जनवरी, 1974 में प्राप्त हुआ था कि उन्हें अक्टूबर, 1973 से चीनी नहीं मिली । शिकायतों की जांच की गई । जांच अधिकारी की अन्तरिम रिपोर्ट के अनुसार नवम्बर 1973 से फरवरी 1974 तक ग्राम घोंरवरिया के अधिकांश लोगों ने चीनी न प्राप्त करने की बात कही है । अक्टूबर, 1973 एवं मार्च, 1974 (दीवाली एवं होली के अवसर पर) चीनी वितरण की बात को कुछ लोगों ने स्वीकार किया है । अप्रैल, 1974 में चीनी का वितरण राशन कार्डों पर किया गया है । वस्तुस्थिति का ज्ञान जांच के अन्तिम रूप पूर्ण होने पर ही हो सकता है । फिर भी जांच अधिकारी की अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता का कोटा निलम्बित करके उस दुकान से सम्बद्ध ग्रामों को पास की अन्य दुकान से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

*9---श्री श्रीनारायण---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

छितौनी चीनी मिल, जिला देवरिया के गन्दे पानी से फसल को तथाकथित नुकसान

*10—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के छितौनी चीनी मिल को गन्दे पानी के अन्धाधुन्ध छोड़ने से गत वर्ष किसानों की फसलों को हुई क्षति का मुआवजा दिलाने हेतु कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

देवरिया जिले की छितौनी चीनी मिल के गन्दे पानी से कोई हानि होने की कोई शिकायत अथवा सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस सम्बन्ध में कृषकों को मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुजफ्फरनगर के जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा चीनी के अतिरिक्त परमिट देने के लिये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*11—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 10 अप्रैल, 1974 को अथवा उसके आस-पास मुजफ्फरनगर जिला में जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा चीनी के अतिरिक्त परमिट देने का कोई मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की कृपा करेगी तथा यह भी बतायेगी कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, 10 अप्रैल, 1974 को यह पाया गया कि मुजफ्फरनगर शहर में एक सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार, श्री आनन्द प्रकाश जैन, अपने सेल्स मैन, श्री बिशुन लाल से मिलकर तथा जिला पूर्ति कार्यालय के एक भूतपूर्व चीनी लिपिक, श्री रवीन्द्र प्रकाश गोयल की सांठ-गांठ से अपनी दुकान से लगी यूनिटों पर वांछित चीनी से अधिक मात्रा में चीनी के परमिट बनवाता रहा और इन परमिटों पर भारतीय खाद्य निगम गोदाम से अतिरिक्त चीनी उठायी जाती रही ।

इस मामले से सम्बन्धित जिला पूर्ति कार्यालय के लिपिक को निलम्बित कर दिया गया है। सम्बन्धित चीनी बिक्रेता एवं उसके सेल्समैन के विरुद्ध दिनांक 10 अप्रैल, 1974 को आई0 पी0 सी0 की धारा 420 तथा भारत सुरक्षा निगम के नियम 114 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करा, दिया गया है जिसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है । मामले की जांच अलग से परगनाधिकारी सदर द्वारा भी कराई जा रही है जिसके पूर्ण होने के उपरान्त अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी । सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में फैक्ट्री ऐक्ट में पजीकृत बिस्कुट फैक्टरियों को मैदा देने का आधार

*12—श्री सत्य प्रकाश (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में फैक्टरी ऐक्ट में पंजीकृत कितनी बिस्कुट फैक्टरियां हैं ? उक्त पंजीकृत बिस्कुट फैक्टरियों को 1973–74 में कितना मैदा दिया गया और किस आधार पर दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत 32 बिस्कुट फैक्टरियां हैं । वर्ष 1973–74 में इन फैक्ट्रियों को 52,018 बोरा मैदा दिया गया ।

गत दो वर्षों में प्रयोग किये गये मैदे की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तथा फैक्टरियों द्वारा सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स कितना दिया जाता है इसको ध्यान में रखते हुए और उपलब्ध मात्रा को देखते हुए जिला स्तर पर फैक्टरियों को मैदा का आबंटन किया जाता है ।

बिसवां नगरपालिका, जिला सीतापुर में बिक्री-कर विभाग द्वारा मार गये छापे

*13—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिसवां नगरपालिका, जिला सीतापुर में मई, 1974 में सेल्स टैक्स विभाग ने सेल्स टैक्स की चोरी पकड़ने के लिये कहां-कहां छापे मारे ? इस सम्बन्ध में सेल्स टैक्स की कितनी रकम की चोरी पकड़ी गई तथा धन की वसूलयाबी के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बिसवां नगरपालिका, जिला सीतापुर में मई, 1974 में केवल एक व्यापारी, सर्वश्री हाशिमअली सिद्दीकी, ब्रिक क्लिन ओनर व कन्ट्रैक्टर, बिसवां के यहां बिक्री-कर अधिकारी, विशेष अनुसन्धान शाखा, लखनऊ द्वारा छापा मारा गया । चूंकि इस छापे में अभिग्रहीत लेखा पुस्तकों आदि की जांच जारी है, अतएव अपवंचित बिक्री-कर की धनराशि अभी बताना सम्भव नहीं है । जांचोपरान्त कर-निर्धारण कार्यवाही पूरी होने पर ही बिक्री-कर की वसूली का प्रश्न उठेगा ।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब छापा मारा गया तो कितने साल के कागज बरामद हुए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

छापे में मान्यवर, 97 बही खाते और 135 छुट्टा कागज बरामद हुए ।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । जिस वक्त तलाशी हुई, जैसी मेरी इत्तिला है, उस तलाशी में 12 साल के कागज बरामद हुए थे जब कि आपके उत्तर से पता लगता है 2—3 सालों के । चूंकि बरामद किये हुए कागजों को काफी समय हो गया है, अतः मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच की कार्यवाही कब तक पूरी होगी और जैसा कि चर्चा का विषय बन गया है कि मामला दब गया है तो क्या सही लोगों को दण्डित करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें जो बिक्री-कर अधिकारी हैं वह सारे बही-खातों को जो उन्होंने अधिगृहीत किये हैं जांच कर रहे हैं और चूंकि 97 बही खाते और 135 छुट्टे पर्चे की जांच होनी है अतः कुछ समय लगना अनिवार्य है ताकि जांच ठीक प्रकार से होकर निर्धारण ठीक से हो सके ।

राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) की सस्ते गल्ले की दुकानों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*14—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) में सरकारी सस्ते गल्ले एवं चीनी की दुकानों के सम्बन्ध में जनवरी से लकर अप्रैल, 1974 तक कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

प्रश्नगत अवधि में राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) में सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी की दुकानों के सम्बन्ध में आठ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिन पर तहसीलदार राबर्ट्सगंज द्वारा जांच कराई गयी। जांच के आधार पर एक दुकान निरस्त की गयी तथा 5 मामलों में जांच अभी की जा रही है और दो मामलों में शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रदेश के दुकानदारों द्वारा कैशमीमों पर रसीदी टिकट लगाया जाना

*15--सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या शासन ने हर दुकानदार को अपनी रसीदों पर 10 पैसे वाले रसीदी टिकटों को आवश्यक रूप से लगाने का आदेश दे रखा है और इससे इन टिकटो का बाजार में अभाव हो गया है? यदि हां, तो क्या शासन ने इस अनिवार्यता को हटाने पर कोई विचार किया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 की अनुसूची 1-बी के आर्टिकिल 25-ए के अन्तर्गत 5 रुपये से अधिक के कैशमीमो पर 10 पैसे का रसीदी टिकट लगाया जाना अनिवार्य है, किन्तु इस समय इन टिकटों का जो अभाव है वह इस अनिवार्यता के कारण नहीं है। अभाव का मुख्य कारण यह है कि कन्ट्रोलर आफ स्टैम्प, भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में टिकटों को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इस अधिभार को हटाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

सरदार कुलतार सिंह--

क्या माननीय वित्त मन्त्री जी बतायेंगे कि जब स्टाम्प नहीं मिलते हैं और लोगों को दिक्कत होती है तो क्या यह पैसा बिक्री-कर में बढ़ा देंगे ताकि लोगों की दिक्कत दूर हो सके और सरकार को इससे जो कम आमदनी होती है वह भी न हो और लोगों की दिक्कत भी दूर हो जाय?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस बात की चेष्टा की जा रही है कि इन रसीदी टिकटों को सिक्योरिटी प्रेस नासिक से प्राप्त किया जा सके। वहां पर हमने अपने इन्स्पेक्टर जनरल को इलाहाबाद से स्वयं भेजा ताकि वह स्टाम्प वहां से प्राप्त कर सकें। जिन जिलों में स्टाम्प की कमी है वहां पर दूसरे जिलों से जहां पर स्टाम्प उपलब्ध हैं वहां पर स्टाम्प भिजवाये जा रहे हैं। जहां तक इस स्टाम्प की आवश्यकता को अलग करने का सवाल है, ताकि यह अधिभार हटाया जा सके और समाप्त किया जा सके। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि वर्तमान पृष्ठ-भूमि में यह सम्भव नहीं है।

श्री कालीचरन यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार किये हैं कि गरीब आदमी रोज कमाता है और और रोज खरीदता है। बड़ा आदमी तो एक बार में ही खरीद लेता है और छोटे-छोटे लोगों को 5 रुपये के ऊपर रोज ना होता है। इसलिए गरीबों की हालत को देखते हुए इस व्यवस्था को बदलने पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरा प्रश्न है।

*16--श्री त्रिवेणी सहाय--

[3रे शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बुढ़वल चीनी मिल, जिला बाराबंकी पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

*17—श्री राम सेवक यादव तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी के बुढ़वल चीनी मिलों पर गन्ना का वर्ष 1973-74 का कितना गन्ना मूल्य किसानों का बकाया है और इन मिलों पर इसके पूर्व का कितना बकाया है तथा पुराने गन्ना मूल्य व वर्ष 1973-74 के बकाया के भुगतान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री इस्तफा हुसैन—

बाराबंकी की बुढ़वल चीनी मिल पर वर्ष 1973-74 का तथा उसके पूर्व के वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया निम्न प्रकार है:—

सीजन	अवशेष धनराशि (लाख 0 में)
वर्ष 1973-74	12.58
वर्ष 1973-74 के पूर्व का	55.76
योग ..	68.34

यह मिल उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अतर्गत अधिगृहीत कर ली गयी थी परन्तु मिल मालिकों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, यह मिल रिसीवर के अधीन संचालित है परन्तु इस मिल की मशीन अत्यन्त जर्जर अवस्था में है जिसके कारण चीनी का परता कम आता है, फलस्वरूप प्रति चीनी बोरी पर गन्ने की खपत बढ़ जाती है। मिल के पूर्ण जीर्णोद्धार के लिये भारी मरम्मत का आवश्यकता है। इसके लिये उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश को निरस्त करने के लिये एक प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। बकाया के भुगतान के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

श्री राम सेवक यादव—

जैसा मन्त्री जी ने कहा कि मशीनरी जर्जर हो गई है और इसका परता कम आता है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से पहली बात यह जानना चाहता हूं कि क्या परता आता है और दूसरे कि जो भुगतान किसानों का बकाया है उसको दिलाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं और क्या किये जा रहे हैं ताकि उनको पैसा मिल सके ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह जो बकाया है वह अधिकतर रिसीवर ने जब लिया उसके पहले का है। 68-69 का 11 लाख, 69-70 का 11 लाख 95 हजार, 70-71 का 18 लाख 52 हजार, 71-72 का 13 लाख 71 हजार। जो पुराना भुगतान है वह रिसीवर के जमाने के पहले का है। इसका ब्याज जोड़ कर रुपया बढ़ जाता है। जो रुपया रिसीवर के जमाने का है वह 12 लाख 58 हजार है। अगर पुरानी मिल के सम्बन्ध में मुआवजा दिया जाता तो इसमें से पुराने बकाया का भुगतान करना सम्भव था। लेकिन चूंकि यह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है और उन्होंने कहा कि 'रिसीवर कैन नाट क्रिएट अनड्यू हैवी लाइबिलिटी आन द असेट्स आफ द कंपनी' उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी मरम्मत की धनराशि वही हो सकती है जो पहले तीन वर्षों में आती थी। यह 4 लाख 70 हजार रुपया आती है जो मिल की मरम्मत के लिये अपर्याप्त है और इसीलिये हमने अर्जी लगायी है। जब निर्णय हो जायगा और अगर फैसला हमारे हक में

हुआ जिसकी कि हमें आशा है तब मुआवजे में से भुगतान कर सकेंगे। जहां तक रिकवरी का सवाल है वह अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग रही है लेकिन आमतौर से आठ-नौ प्रतिशत के बीच में रही है।

श्री रामसेवक यादव---

माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा कि इसलिए देरी हो रही है कि मिल मालिकों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है। उन्होंने स्थगन आदेश कब लिया और शासन की ओर से इसको रद्द करने के लिये आवेदन-पत्र कब दिया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

उन्होंने स्थगन आदेश जुलाई, 1971 में प्राप्त किया। तब से हमारा लगातार प्रयास हो रहा है कि इसमें शीघ्र फैसला हो।

श्री राम सेवक यादव---

शासन की ओर से कब आवेदन-पत्र दिया गया?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इसकी तारीख मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रयास पहले से चल रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह धनराशि बहुत बड़ी है। हमने अखबारों में पढ़ा कि यह लगभग 5 करोड़ है। दूसरी स्थिति है कि किसानों को खाद महंगी मिल रही है। किसानों को जो कर्जा मिलता है तकावी का वह भी 9 परसेन्ट से बढ़ाकर 11-12 परसेंट कर दिया गया है। इतनी बड़ी धनराशि अदायगी के लिए इनके जिम्मे है तो इसके शीघ्रातिशीघ्र अदायगी के लिये कौन सी योजना बनायी है और दूसरी बात यह कि क्या सरकार भी 11-12 परसेंट इस पर सूद देगी?

श्री अध्यक्ष---

यह जनरल सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

यह जो पांच करोड़ के लगभग बकाया है यह सारे प्रदेश का है केवल बाराबंकी और बुढ़वल का ही नहीं है। जहां आपने यह प्रश्न किया वहां हमें यह भी बधाई देते कि किसानों को पहली बार आदि से अन्त तक एक दाम दिलवाया है। मिल की मशीन की कैसी भी हालत रही है। जैसे अपनी मिलें हैं, उन्हें भी बाध्य किया कि एक निश्चित धनराशि फी कुन्तल दें। गन्ने के मूल्य उत्पादकता को देखते हुए मिलें यह स्वाभाविक था। इधर इस बीच इन्फ्लेशन को रोकने के लिये रिजर्व बैंक कैश क्रेडिट का फ्रीज हो गया। उसका भी असर पड़ा। तो जितना उत्पादन हुआ, उसके अनुरूप कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ गयी और मार्जिन बढ़ गया। मार्जिन बढ़ने से कई मिलों पर यह असर पड़ा। बैंक जितना रुपया उत्पादन के आधार पर प्लेज करके देती थी, उतना रुपया कई मिलो को नहीं मिल पाया। इस विषय में प्रयास किया जा रहा है। मुख्य मन्त्री जी ने भी रिजर्व बैंक के गवर्नर से बात की है। बैंकिंग, प्लानिंग कमीशन सबसे बातचीत चलती रही है। पिछली 5 जून को जो रीजनल कन्सल्टेटिव कमेटी की बैठक थी, उसमें भी इस बात को कहा गया था कि क्रेडिट स्क्वीज को रिलीज किया जाय। उसको उतना इनफ्लेशन न माना जाय। और इसलिये इस सम्बन्ध में हमारा प्रयास जारी है। मैंने केन्द्रीय कृषि मन्त्री जी से भी बात की। मुख्य मन्त्री जी ने भी उनसे बातें कीं। भारत सरकार के कृषि विभाग की ओर से भी रिजर्व बैंक को कहलाया जा रहा है कि यहां के किसानों को भुगतान हो सके। इसलिए यह कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ सके और जो मार्जिन है

वह कम हो सके, जैसा कि पिछले वर्षों में था । यह निर्णय हो जायगा, तो बकाया बहुत कम रह जायगा । इसके अलावा जो रिसीवर मिले हैं और जिनके बारे में निर्णय हाई कोर्ट के विचाराधीन है, उन पर प्लेज नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर हाई कोर्ट ने रुकावट लगा रखी है । जो बीमार मिले हैं, अगर उनकी मरम्मत कर ली जाय तो ज्यादा चीनी बनेगी और इससे पुराना बकाया अदा हो सकेगा । इसलिए जो बीमार मिले हैं, उनको ठीक करने का सरकार प्रयास कर रही है । जो हाई कोर्ट के नियमों की परिधि के अन्दर हैं, उनमें थोड़ा समय लगेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मौजूदा कठिन परिस्थितियों को देखकर या सरकार प्रशंसा का पात्र बनने के लिये क्या किसानों के रुपये का 11 प्रतिशत, 12 प्रतिशत सूद दिलायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, सूद जोड़ा जाता है । बुढ़वल का देख लें । इसमें 20,87,000 पये सूद का है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि सूद दिलायेंगे या नहीं ? और दिलायेंगे तो किस रेट पर ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अगर माननीय नेता, जनसंघ कोई सुझाव दें, तो देख लूंगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं सुझाव देता हूं कि किसानों को 12 प्रतिशत से सूद कम नहीं होना चाहिये । मुझे दुख है कि मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया । 9 प्रतिशत की तकावी ली जाती है । अब 12 प्रतिशत का सूद लिया जायगा । यूरिया के दाम ज्यादा सूद दिलाने के लिये माननीय मन्त्री जी कोई कमिटमेंट देने के लिये तैयार नहीं हैं । इसलिए मैं 5 मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम सेवक यादव--

वर्ष 73-74 के पहले 55·76 लाख का बकाया है और मन्त्री जी जानते हैं कि किसानों के गन्ने के बकाये की वसूली की जिम्मेदारी शासन की जिलाधिकारी के जरिये है । इतना बकाया निरन्तर बढ़ता गया । प्रश्न है कि यह इतना बकाया क्यों बढ़ा? शासन ने इसके लिये क्या कार्यवाही की ? अकेले बुढ़वल का मामला नहीं है । कई मिलों की बात है । लापरवाही का क्या कारण है ? क्यों वसूल नहीं किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो पिछला बकाया था इस मिल पर और जिसका उल्लेख अभी यहां किया गया उसी के कारण इस मिल को असफल माना गया और इसीलिए जुलाई, 71 में इसे एक्वायर कर लिया गया लेकिन हाई कोर्ट से इसने स्टे ले लिया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या माननीय मन्त्री किसानों को वह सूद दिलायेंगे तो 12 फीसदी सूद सरकार उनको दिलाने को तैयार है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

यह तो ऐक्ट तथा नियमों के अनुसार किया जाता है । इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता कि 12 फीसदी सूद उनको दिलाया जायगा ।

श्री ऊदल---

बुढ़वल शुगर मिल को एक्वायर करने की जो बात की जा रही है जब कि उसकी सारी पूंजी 30 लाख रुपये की होगी और 68 लाख उस पर बकाया होगा । तो बाकी रुपया जो किसानों का रहेगा उसे क्या मन्त्री जी सरकार की तरफ से दिलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय सदस्य का यह काल्पनिक प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---

जिलाधीश बाराबंकी ने 139 रुपया फी बोरा गन्ना मिल द्वारा अदा करने की घोषणा की थी और उसमें भी हम लोगों का 6 लाख रुपया बाकी रह गया तो यह क्यों बाकी रह गया ?

श्री अध्यक्ष---

यह दूसरा सवाल है ।

प्रदेश के हैण्डलूम और पावर उद्योग के लिये गठित आयोग का प्रतिवेदन

*18---श्री रामसेवक यादव तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

क्या लघु उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय आयोग ने हैन्डलूम और पावर उद्योग की समस्याओं पर अपना प्रतिवेदन दे दिया है? यदि हां, तो प्रतिवेदन के मुख्य-मुख्य सुझाव क्या हैं और क्या उन सुझावों को लागू किया गया? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री इस्तफा हुसैन---

जी हां । प्रतिवेदन के मुख्य-मुख्य सुझावों का विवरण संलग्न है---सुझाव संख्या 1, 30, 39, 50 को लागू कर दिया गया है । सं0 28, 31, 48 अस्वीकृत कर दिये गये हैं तथा अन्य सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 556-559 पर)

*19---चौधरी चरण सिंह---

[5वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर के लिपिकों की हाट निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति

*20---श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)---

क्या खाद्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, गोरखपुर मन्डल, गोरखपुर में 18 हाट निरीक्षकों को, जो लिपिक पद से पदोन्नति पाये थे, पुनः लिपिक पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में सेवा में वरिष्ठ कर्मचारी प्रत्यावर्तित

नोटः---तारांकित प्रश्न संख्या 17के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कर दिये गये जबकि कनिष्ठ कर्मचारी जिनका मूल पद लिपिक था आज भी हाट निरीक्षक पद पर कार्यरत हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गोरखपुर मण्डल के 18 हाट निरीक्षकों को लिपिक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। प्रश्नगत लिपिक ज्येष्ठ नहीं थे और उनसे कनिष्ठ कोई लिपिक हाट निरीक्षक के पद पर नहीं बना रहा।

हाट निरीक्षक के पद उपलब्ध होने पर प्रश्नगत लिपिकों को तदर्थ एवं अस्थायी प्रोन्नति देकर हाट निरीक्षक के पद पर पुनः तैनात कर दिया गया है।

विकास खण्ड, शाहाबाद जिला हरदोई के बी०डी०ओ० के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*21—श्री दधीच सिंह (जिला हरदोई)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि हरदोई जिला के विकास खण्ड, शाहाबाद के बी0डी0ओ0 द्वारा चीनी के परमिट देने में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र भी दधीच सिंह, प्रधान ग्राम सभा, नगला कल्लू, तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई को दिनांक 31 जुलाई, 1973 को मिला ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। श्री दधीच सिंह, प्रधान ग्राम सभा, नगला कल्लू, तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई का एक शिकायती पत्र दिनांक 31 जुलाई, 1973 जिलाधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुआ था। इस शिकायती पत्र में बी0 डी0 ओ0 विकास खण्ड शाहाबाद द्वारा चीनी के परमिट देने के सिलसिले में मुख्य रूप से यह शिकायत की गई कि ब्लाक प्रमुख के असर से बी0 डी0 ओ0 ने चीनी के गलत परमिट दिये।

शिकायतों की जांच जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी, शाहाबाद द्वारा कराई, जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं पाई गई।

*22—चौधरी चरण सिंह—

[5वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जरवल रोड स्थित चीनी मिल, जिला बहराइच क्षेत्र में किसानों का गन्ना खेतों म खड़ा रहने पर भी मिल का बन्द किया जाना

*23—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या उद्योग मन्त्री को इसकी जानकारी है कि बहराइच जिले के जरवल रोड स्थित चीनी मिल के क्षेत्र में खेतों में भारी तादाद में गन्ना खड़ा होने के बाद भी मिल दिनांक 27 मार्च, 1974 को बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों तथा जिन काश्तकारों का गन्ना खेतों में खड़ा है उनका गन्ना बिकवाने अथवा क्षतिपूर्ति देन की कोई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री इस्तफा हुसैन—

जरवल रोड चीनी मिल अपने क्षेत्र का सारा सुरक्षित गन्ना पेर कर ही दिनांक 26 मार्च, 1974 को बन्द हुई।

जिला बिजनौर में बिक्री कर आयुक्त (न्याय) का सब आफिस खोलने की मांग

*24—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बिजनौर में बिक्री-कर की अपीलों की सुनवाई के लिये कोई कार्यालय नहीं खोला गया है जबकि इसी जनपद के कोटद्वार व धामपुर कस्बों में सब आफिस खोल दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही नगर बिजनौर में कार्यालय खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

(1) जनपद बिजनौर में सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्री कर का कोई कार्यालय नहीं स्थापित किया गया है। पूरे प्रदेश में इस समय सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्री-कर के 16-कार्यालय हैं जिनमें क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रदेश के सभी बिक्री-कर कार्यालयों में नियुक्त कर-निर्धारक अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलें दायर की जाती हैं। बिजनौर सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्री-कर सहारनपुर के क्षेत्राधिकार में आता है किन्तु बिजनौर जनपद के व्यापारियों द्वारा दायर की गई अपीलों की सुनवाई बिजनौर में ही करने के लिये सहायक आयुक्त (न्याय) सहारनपुर को प्रशासकीय आदेश दिये गये हैं।

(2) बिजनौर जिले के नजीबाबाद और धामपुर के कस्बों में कार्यालय खोले गये हैं जहां सहायक बिक्री-कर अधिकारी तैनात किये गये हैं। कोटद्वार बिजनौर जिले में नहीं है बल्कि गढ़वाल में है। बिजनौर के जिला मुख्यालय में बिक्री-कर कार्यालय विद्यमान है जहां बिक्री-कर अधिकारी तैनात है। कोटद्वार या धामपुर कस्बों में सहायक आयुक्त (न्याय) के कोई सब आफिसेज नहीं है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

(स) प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मुद्रणालय की रद्दी का ठेका देने के लिये मांगा गया टेंडर

*25—कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय प्रेसों से निकलने वाली रद्दी का ठका 1970 से 1976 तक की अवधि का किस फर्म या व्यक्ति को दिया गया और कितने पर तथा क्या इसके हेतु टेण्डर भी लिये गये थे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। टेण्डर प्राप्त करने के पश्चात् स्वीकृत दर पर रद्दी दी गई। 1-4-1970 से 30-9-1973 तक जिन फर्मों/व्यक्तियों को राजकीय मुद्रणालय की जितनी तथा जिस दर पर रद्दी दी गई उसका विवरण संलग्न है।

1-10-1973 से 31-3-1975 तक विभिन्न किस्म की रद्दी पूर्व दर से 10 प्रतिशत अधिक दर पर प्रदेश की कागज मिलों को दिये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि रेट कन्ट्रैक्ट पर कागज की सम्पूर्ति शासन को हो सके।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 560-561 पर)

अतारांकित प्रश्न

1—श्री सत्यपाल मलिक—

[5वें सोमवार के लिये स्थगित]

भाटपार रानी, जिला देवरिया के व्यापारियों को खाद्यान्न का लाइसेंस दिया जाना

2—श्री हरिकेवल—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन को कोई शिकायती पत्र दिनांक 28 मार्च, 1974 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि भाटपार रानी, जिला देवरिया में गल्ले की 'बी' एवं 'डी' लाइसेन्स नाबालिगों के नाम से एक ही परिवार में दो से पांच लाइसेन्सें दी गई है जिससे सारा गल्ला स्मगलिंग में बिहार चला जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

शिकायती पत्र दिनांक 28 मार्च, 1974 क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, गोरखपुर को प्राप्त हुआ था।

इस पर विस्तृत जांच कराई गई। जांच में नाबालिगों के नाम लाइसेन्स दिये जाने अथवा लाइसेन्सदार खाद्यान्न व्यापारियों के माध्यम से सारा गल्ला स्मगलिंग में बिहार चले जाने के आरोप निराधार पाये गये। तीन परिवार को दो-दो तथा एक परिवार के तीन सदस्यों को खाद्यान्न लाइसेन्स दिये गये हैं, किन्तु उनकी गद्दियां, कार्य स्थल एवं गोदाम अलग-अलग हैं और उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे लाइसेन्सदार के अन्तर्गत साझेदार नहीं है।

बेहटा, रेउसा तथा सकरन ब्लाक जिला सीतापुर के क्रशरों द्वारा दिया गया गन्ना मूल्य

3—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या उद्योग मन्त्री इस बात की जानकारी देंगे कि बेहटा रेउसा-सकरन ब्लाकों, जनपद सीतापुर में वर्ष 1973–74 में कितने क्रशर चल रहे थे और उन लोगों ने किसानों को गन्ने का औसत मूल्य क्या दिया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्ष 1973–74 में बेहटा, रेउसा तथा सकरन ब्लाकों जनपद सीतापुर में चलने वाले क्रशरों की संख्या निम्नानुसार है—

नाम	संख्या
1—बेहटा	27
2—रेउसा	2
3—सकरन	14

उपर्युक्त क्रशर स्वामियों द्वारा न्यूनतम गन्ना मूल्य रु0 7.00 तथा अधिकतम गन्ना मूल्य रु0 10.00 प्रति कुन्टल की दर से किसानों को दिया, जिसका औसत मूल्य 8.50 रु0 होता है।

गोंडा जिले की नवाबगंज एवं तुलसीपुर चीनी मिलों पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

4—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल नवाबगंज गोण्डा तथा तुलसीपुर चीनी मिलों पर कितना-कितना किसानों का अलग-अलग मई, 1974 को बकाया था ?

श्री इस्तफा हुसेन—

गोंडा जिले की नवाब-गंज एवं तुलसीपुर चीनी मिलों पर 31 मई, 1974 को किसानों के गन्ने के मूल्य का मिलवार निम्नांकित बकाया था :

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	अवशेष धनराशि (लाख रुपये में)
1	नवाब गज	12.45
2	तुलसीपुर	30.63
	योग ..	43.08

जिला गोंडा में चीनी व डालडा के स्टाक की कमी

5—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या खाद्य मन्त्री को यह जानकारी है कि गोंडा जिले में दिनांक 28 मई, 1974 से डालडा व चीनी का स्टाक समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो शादी विवाह के अवसर को देखते हुए शीघ्र व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गोण्डा जिले में वनस्पति का स्टाक दिनांक 28 मई, 1974 से 13 जून, 1974 तक की अवधि म उपलब्ध रहा और केवल शादी विवाह के अवसर पर वितरित किया गया। जून, 1974 के प्रथम पक्ष में 9 वनस्पति मिलों म से 7 मिलों में उत्पादन न होने के कारण जिलों में वनस्पति की उपलब्धता में कमी हो गयी थी। जून के द्वितीय पक्ष म मिलों में उत्पादन शुरू हो जान के फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ।

चीनी का वितरण उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर तथा शादी विवाह हेतु परमिटों पर 28 मई, 1974 तक किया गया था। जून, 1974 हेतु आवंटित चीनी का कोटा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त होने पर 1 जून, 1974 से पुनः चीनी का स्टाक उपलब्ध हो गया।

वनस्पति तथा चीनी को उपलब्ध कराने हेतु किसी अन्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

जरवल शुगर मिल, जिला बहराइच पर कर्मचारियों के बोनस, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि का बकाया

6—श्री बाबू लाल वर्मा, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिलान्तर्गत जरवल रोड में स्थित जरवल शुगर मिल पर नवम्बर, 1973 से मार्च, 1974 तक मिल कर्मचारियों का वेतन रिटेनिंग

[श्री बाबू लाल वर्मा, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री त्रिवेणी सहाय]

बोनस, ग्रेच्युटी (आनुतोषिक) भविष्य निधि का कितना धन बकाया है ? यह रकम अब तक क्यों नहीं अदा की गई ? यह धनराशि कब तक अदा हो पायेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन--

जरवल रोड चीनी मिल पर नवम्बर, 1973 से मार्च, 1974 तक मिल कर्मचारियों का कुल 16.66 लाख रु0 बकाया था जिसमें से 8.82 लाख रु0 अदा कर दिया गया है और 7.84 लाख रु0 बकाया है जिसका विवरण निम्नलिखित है--

(लाख रु0 में)

		देय राशि	दी गई राशि	बकाया राशि
1--वेतन	..	9.44	5.79	3.65
2--रिटेनिंग भत्ता	..	3.21	1.39	1.82
3--ग्रेच्युटी	..	0.71	..	0.71
4--भविष्य निधि	..	1.78	0.13	1.65
5--बोनस	..	1.52	1.51	0.01
	योग ..	16.66	8.82	7.84

चूंकि मिल की मशीनरी जर्जर अवस्था में है और मरम्मत की धनराशि उच्च न्यायालय द्वारा पिछले तीन वर्षों की मरम्मत की धनराशि के औसत तक सीमित है, जो अत्यन्त अपर्याप्त है, अतः इस कारण चीनी का परता भी बहुत कम आता है और उत्पादन मूल्य भी चीनी की बिक्री मूल्य की अपेक्षा लाभकर नहीं है ।

अतः उक्त धनराशि का भुगतान नहीं हो सका है । उसका भुगतान कब तक हो जायगा इसकी निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेंन्शन विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेन्शन विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश के विधान सभा ने अपने दिनांक 7 जून, 1974 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 जून, 1974 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 जून, 1974 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1974 का उत्तर प्रदेश का 10वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

मैं अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 जून, 1974 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 जून, 1974 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 जून, 1974 को प्राप्त हो गई है और वह सन्, 1974 का उत्तर प्रदेश का 11वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

मैं अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 जून, 1974 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक, प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 जून, 1974 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 जून, 1974 को प्राप्त हो गई है और वह सन्, 1974 का उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

मैं अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 जून, 1974 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 18 जून, 1974 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 जून, 1974 को प्राप्त हो गई है और वह सन्, 1974 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया।

वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री बादाम सिंह ने जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न सदन के सामने उठाया था, उसके बारे में मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार बरेली चीनी मिल का बैंक एकाउन्ट और चीनी के बोरे कुर्क कर लिये गये हैं। चीनी के बोरे जो बैंक के पास प्लेज्ड हैं और जिनके कारण बैंक एकाउन्ट अटैच किया गया है उनकी संख्या 100760 है। जहां बैंक में बोरे प्लेज्ड वहां बैंक एकाउन्ट अटैच कर लिया जाता है। जिसके द्वारा चीनी के बोरे कुर्क समझे जाते हैं। इसके अतिरिक्त 11900 बोरे जो बैंक द्वारा क्रेडिट लिमिट न बढ़ाये जाने के कारण प्लेज्ड न हो पाये वह सीधे कुर्क कर लिये गये हैं बैंक एकाउन्ट कुर्क करदेने के कारण जो प्लेज्ड बोरों से मार्जिन मनी प्राप्त होगा उसकी राशि लगभग 32,00,000 रु० और अनप्लेज्ड चीनी के बोरों से जो धन प्राप्त होगा वह लगभग 18,00,000 रु० इसके अतिरिक्त प्लेज्ड बोरों पर मार्जिन न मिलने के कारण जो अभी 10,00,000 रु० प्राप्त होना है वह भी क्रेडिट लिमिट बढ़ने पर प्राप्त होगा। इस प्रकार चीनी के बोरों से 60,00,000 रु० प्राप्त होने की सम्भावना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जो अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने उत्तर दिये थे वह सही थे।

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है वह गलत नहीं है कि जो 11,700 जो कि प्लेज नहीं हो पाये थे, वह भी कुर्क हो गये हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जहां बैंक में बोरे प्लेज होते हैं वहां बैंक एकाउन्ट भी प्लेज कर लिया जाता है।

श्री बादाम सिंह (जिला बरेली)--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जो 11,795 बोरे थे उनका अटैचमेंट गलत हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

जो आप कहते हैं वही मंत्री जी ने स्पष्ट किया। सब मिलाकर उतने ही हो गये। तो इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है। मंत्री जी शोधन वक्तव्य भी दे सकते हैं। यदि नीयत अच्छी हो और वह गलत भी हो जाय तो कार्यवाही नहीं होती किन्तु यदि बदनियती से बयान दिया जाय तो तब प्रश्न उठता है। तो जो मंत्री जी ने बयान दिया है उसको दृष्टि में रखते हुये कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बादाम सिंह--

मंत्री जी कम से कम इतना तो बता दें कि एक निश्चित तिथि तक किसानों को भुगतान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये तो आप अलग से प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन विशेषाधिकार का यह प्रश्न नहीं है।

डाक्टर मलखान सिंह द्वारा श्री अयोध्या प्रसाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय मलखानसिंह ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था जिसमें उन्होंने दिनांक 11 जून, 1974 को बसिक शिक्षा अधिकारी, जिला जालौन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहलना की सूचना दी थी। उनका कहना है कि जब मैं 13-5-74, श्री अयोध्या प्रसाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन से मिला तो उन्होंने कहा--"आजकल विधायकों का काम तमाम अलूल जलूल सिफारिश करना रह गया है, चल दिये जांच पड़ताल करने। क्या आपने यहां विधान सभा समझ रखा है, जहां विधायक तमाम अंटसंट प्रश्न पूछ कर जनता की गाढ़ी कमाई बरबाद करते रहते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। जाइय विधान सभा में पूछ लेना।" तो यह आक्षेप की बात उन्होंने कही है। इसपर श्री अयोध्या प्रसाद ने स्पष्टीकरण दिया जिसमें उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि मैंने नहीं कहा। इस प्रकार दो वर्जन हो गये। इसलिये मैं इसे सदन के सम्मुख पढ़ देता हूं।

जैसा कि नियम है कि यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन श्री अयोध्याप्रसाद द्वारा तथाकथित शब्द वास्तव में कहे गये हैं तो वे सदन के तथा सदन के सदस्यों के लिये अपमानजनक कहे जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में कौल तथा शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 240 के अनुसार सभा के अवमान की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है--

"कोई कार्य या भूल जिसके कारण दोनों सदनों में से किसी सदन द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में बाधा या रुकावट पड़ती हो, या जिससे सभा के किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में बाधा पड़ती हो, या जिसमें ऐसी प्रवृत्ति हो जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे परिणाम हो सकते हों, चाहे उस अपराध से पहले वैसी कोई नजीर न हो। अतः कोई काम चाहे प्रत्यक्ष रूप से सभा द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा या रुकावट न डालता हो लेकिन, यदि उसमें अप्रत्यक्ष रूप से, सभा को बदनाम करके उसका अवमान करके या हंसी उड़ाकर या उसके

प्राधिकार को कम करके यही प्रवृत्ति झलकती हो, तो वह अवमान है। इसके अतिरिक्त सभा न केवल उन अवमानों के लिये दण्ड दे सकती है जिनके सम्बन्ध में साधारण न्यायालय भी कार्यवाही कर सकते हैं, बल्कि उनके संबंध में भी जिनके बारे में न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकत, जैसे कि घृणापूर्ण अपमान, गम्भीर मिथ्या आरोप या गन्दी गालियां, जो मानहानि या मारपीट की धमकी की परिभाषा में नहीं आतीं और इस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती"

उसी पुस्तक के पृष्ठ 249 पर लिखा हुआ है—'सभा पर आक्षेप' तथा 'अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सदस्यों पर आक्षेप' भी उसी वर्ग में रखे गये हैं, जो विशेषाधिकार भंग तथा सभा के अवमान माने गये हैं।" तो प्राग्दर्शन में मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला ऐसा है, जिसको विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर देना चाहिये और अभी विशेषाधिकार समिति का निर्माण नहीं हुआ है। आप यह जानते हैं कि इस समिति के अध्यक्ष माननीय उपाध्यक्ष होते हैं, जिनका कि चुनाव अभी नहीं हुआ है। तो जब माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव हो जायेगा तो यह उस समिति को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये तिथि निर्धारण

श्री अध्यक्ष—

अब उपाध्यक्ष का चुनाव सामने है। माननीय नेता सदन यहां हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं। लेकिन नियमानुसार 30 दिनों के अन्दर यह चुनाव हो जाना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

यह आप अपना (लाउड स्पीकर) हटा दीजिए, आवाज भरभरा रही है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, बात यह है कि बगैर लाउड स्पीकर के मेरा काम चल सकता है। अब उपाध्यक्ष का जो पद है, उसका 30 दिनों के भीतर चुनाव सम्पादित किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं नेता सदन यहां उपस्थित हैं, 4—5 जुलाई, कोई तारीख निश्चित कर दी जाय इसके लिये।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मेरी समझ से आप 5 तारीख लगा दें। लेकिन चूंकि नेता विरोधी दल यहां अनुपस्थित हैं, इसलिए मैं उनकी अनुपस्थिति में यह परामर्श देने में संकोच कर रहा हूं। क्योंकि मैंने संसदीय कार्य मंत्री को उनके पास भेजा था कि सारा प्रतिपक्ष यदि एक नाम इस हेतु दे सके तो हम आभार मानेंगे। किन्तु नेता प्रतिपक्ष ने अभी तक कोई सूचना इस सम्बन्ध में दी नहीं है। अब अगर उपनेता, प्रतिपक्ष उज्र न करें तो उनकी अनुपस्थिति में भी आप तारीख लगा दें। लेकिन यह मामला डेलीकेट है जरा। अच्छा श्रीमन्, जो तारीख आप लगा दें, उनके तरीके से वह हमें स्वीकार है।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अभी जैसा नेता सदन ने कहा प्रतिपक्ष नेता और संसदीय कार्य-मंत्री की बात के बारे में, और जैसा उन्होंने सुझाव दिया, यह अच्छा होगा कि जब वह आ जायं तब इस बारे में समय निश्चित कर लिया जाए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं 5 से 8 तक यहां नहीं रहूंगा—

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आप तो होने वाले नहीं हैं ।

(हंसी)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

इसलिए कहा मान्यवर, मैंने कि मुझ से भी परामर्श करने की आवश्यकता हो तो इसको ध्यान में रखा जाए कि मैं उक्त अवधि में नहीं रहूंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माधव बाबू से एक राउन्ड बात हो चुकी है, यह बता नहीं रहे हैं, यह पर्दे की बात है । बिना इनके प्रतिपक्ष के नेता कैसे राय दे देंगे, यह किसी से छिपा नहीं है । माधव बाबू की उपस्थिति का मान्यवर, आप ध्यान रखें उस शुभ दिन पर जब अपने सहयोगी का आप चुनाव करें, तो बड़ा अच्छा होगा और मेरे लिये भी होगा । बड़ी शोभा रहेगी । इनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत शुभ है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह तो कम्पलीमेंटरी है । मेरे लिये भी आप बड़े भारी शो हैं ।

श्री अध्यक्ष--

6 तारीख को आप पहली बार यहां बैठे, उस हिसाब से 4 तारीख में उचित समझता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव आपने लिया है, मैं सुन नहीं पाया कुछ ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं ।

श्री रामसेवक यादव--

मेरा निवदन है तारीख अभी आप न रखें ।

श्री अध्यक्ष--

बात तो यह है कि हमारी तरफ से जो नियम हैं वह तीस दिन के हैं इसलिये 4 तारीख रख रहा हूं बस अगर आपकी तरफ से कोई तारीख आयेगी तो देखेंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

तो नियम को ढीला कर दिया जाय ।

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर, अगर कोई तारीख आप अपनी तरफ से न रखें तो अच्छा रहेगा क्योंकि 3 तारीख को वे आ ही जावें और फिर से बारबार तारीख बदलना पड़े तो अच्छा नहीं होगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अब यदि नियमों की बात है तो मेरे ख्याल से रामसेवक जी, अध्यक्ष जी को कुछ उसमें छूट तो रहनी ही चाहिये क्योंकि तारीख तो वही लगाते हैं । जब वे आ जायें तो इस संबंध में बातचीत के दौर को तेज कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

फिर जो आप लोगों की सहमति से हो जाता है उसको तो हम मानेंगे ही।

एक सदस्य—

सुनाई नहीं पड़ रहा है जरा छोटे माइक को लगा लीजिये।

आगामी शिक्षा सत्र में पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धि तथा मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों को आगामी शिक्षा सत्र में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धि के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं :—

कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पाठ्य-पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हैं और कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित होती हैं। राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का मूल्य शासन द्वारा निर्धारित होता है और कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों का मूल्य परिषद् द्वारा अनुमोदित होता है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि पुस्तकें निर्धारित मूल्य पर विद्यार्थियों को मिल सकें प्रकाशकों की एक बैठक 21-6-74 को बुलायी गयी और उनसे यह अपील की गयी कि विद्यार्थियों की दशा को देखते हुये इस वर्ष पुस्तकों का मूल्य वही रखें जो गत वर्ष में थे। उन्होंने कुछ छोटी-मोटी सुविधायें मांगते हुये इस बात का सरकार को आश्वासन दिया कि मूल्यों में वृद्धि नहीं की जायगी। 22-6-74 को वे मुख्य मंत्री जी से पुनः मिले और पहले दिन दिये हुये आश्वासन को वापस लेते हुये गत वर्ष के मूल्यों पर पुस्तकों की बिक्री करने में असमर्थता प्रकट की।

राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के प्रकाशकों ने अपने आश्वासन को पूरा करने की बात दोहराई किन्तु उन्होंने शासन से छूट मांगी की राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित आवरण पृष्ठ (कवर) के मूल्य न बढ़ाये जायं तथा रायल्टी न ली जाय। इसके अतिरिक्त जो पुतस्कें शासन खरीदता है उस पर डिस्काउन्ट न लिया जाय और सेल्स टैक्स की छूट दी जाय। इनमें से आवरण पृष्ठ का मूल्य न बढ़ान वाली बात शासन ने स्वीकार की।

सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुये शासन न यह उचित समझा कि पुस्तकों के मूल्य के संबंध में वैधानिक नियन्त्रण किया जाय और इसी आशय से "डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स" के अन्तर्गत आदेश जारी किये जा रहे हैं, जिसमें प्रकाशकों, मुद्रकों, पुस्तक विक्रेताओं तथा अन्य सम्बन्धित व्यापारियों के लिये यह अनिवार्य बनाया जा रहा है कि वे इन पुस्तकों को उन्हीं मूल्यों पर बेचें जो शासन द्वारा अनुमोदित ह अथवा परिषद् के 1974 के विवरण पत्रिका में दिखाये गये हैं। जिलाधिकारी तथा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों को यह भी अधिकार दिया जा रहा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह किताबों का स्टाक चेक करें या आवश्यकता हो तो उसका अधिग्रहण कर सक। डिफन्स आफ इंडिया रूल्स के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले आदेश की एक प्रति अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

वक्तव्य की प्रति नहीं मिली। उसके बिना न हम कोई सवाल कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो एक प्रकार से घोषणा है कोई वक्तव्य तो है नहीं।

श्री मोहनलाल कपूर--

यह प्रश्न इतने महत्व का है जिसे आपने नियम 49 में भी एलाउ किया है। उसके वक्तव्य की प्रति न मिलने से हमारे लिये प्रश्न वगैरह करना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना माननीय मंत्री जी ने सदन को दी है।

श्री मोहनलाल कपूर--

माननीय मंत्री जी ने बिलकुल अधूरी सूचना दी है। आज बिलकुल अकाल पड़ा हुआ है, बाजार में कापियां नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, स्कूल आज से खुल गये हैं, इन्होंने यहां एक वक्तव्य दे दिया और प्रकाशकों ने आश्वासन भी दिया था वह भी वापस ले लिया है। क्या व्यवस्था इन्होंने की है कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। जब तक आप इस वक्तव्य की प्रतिलिपि नहीं दिलाते तो फिर इस पर आगे कार्यवाही कैसे हो।

श्री अध्यक्ष--

बाहर घोषणा न करके, उसके बजाय, सदन की मर्यादा के अनुरूप वे सदन में घोषणा कर रहे हैं। यह पूरी घोषणा है। यह विविध वक्तव्यों के अन्तर्गत माननीय मंत्री कर सकते हैं, जैसे अध्यक्ष द्वारा घोषणायें 5 में होती हैं वैसे ही 6 में वे कर सकते हैं। जहां तक प्रतिलिपि दिलाने की बात है इसी समय चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यदि आप कोई शंका निवारण करना चाहते हैं तो वह अलग से की जायेगी। अभी इसको देख लीजिये।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत सात सूचनायें हैं। लेकिन एक सूचना करीब-करीब सभी तरफ के माननीय सदस्यों की तरफ से आई है। जो गोमती नदी में विषैले पानी का जो सवाल है वह माननीय राजेन्द्र कुमार गर्ग, भीखा लाल, ओम प्रकाश सिंह, बाबूलाल वर्मा, मधुकर दिघे आदि का है। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है और शेष के गेहूं की वसूली के बारे में हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, आप मेरे वक्तव्य को पढ़कर सुना दें। मेरा प्रस्ताव कच्चतिबू द्वीप की प्रभुसत्ता का लंका को सौंप दिये जाने से उत्तर प्रदेश की जनता में तीव्र असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त है, के संबंध में है। यह निर्णय असंवैधानिक एवं राष्ट्र हित के विरुद्ध है। मेरा कहना यह है कि मातृ भूमि पर सभी का समान अधिकार है। यह जो प्रश्न सामने आया है इसके संबंध में आप कह सकते हैं कि यह केन्द्र से संबंधित विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि जो यह द्वीप लंका को ट्रांसफर किया गया है उसे हम समझते हैं कि बिना जनता के प्रतिनिधियों के मत लिये यह सरकार नहीं कर सकती। सरकार की आदत है कि बिना पब्लिक का मत लिये सरकार ऐसा कर देती है। इससे बड़ा असंतोष। अब यह प्रश्न आपके सामने है कि केन्द्र से संबंधित विषय यहां उठ सकता है या नहीं तो यह अप्रल, 1952 से लेकर 22 दिसम्बर, 1967 तक के अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन है इसके पृष्ठ 168 निर्णय 46 को देखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

केन्द्रीय सरकार से संबंधित विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता किन्तु उसका प्रभाव यदि राज्य पर पड़ता हो तो सरकार द्वारा बयान दिया जा सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यदि आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न कर सकें तो सरकार से एक बयान दिलवा दें। सरकार देश के किसी हिस्से को जनता के प्रतिनिधियों के मत के बिना ट्रांसफर नहीं कर सकती है। इस विषय पर मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष--

इसी विषय पर आपका ही था। ऐसी व्यवस्था आपके ही प्रस्ताव पर थी। "25 सितम्बर, 1963 को प्रदेश में चीनी तथा पाकिस्तानी जासूसों के सम्बन्ध में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना को स्वीकार न करते हुए उस पर वक्तव्य देने के लिये स्वीकार किया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव मन्जूर न करें तो इसका दूसरा अंश है उसको स्वीकार करें। क्योंकि यह सबसे सम्बन्धित है, वह अधिकारी है एक-एक कण का। मेरा भी सम्बन्ध है और सारे प्रांत का सम्बन्ध है। सिवाय आन्दोलन के कोई इनकी नकेल नहीं पकड़ सकता।

श्री अध्यक्ष--

नियोजन मन्त्री, श्री हरगोविन्द सिंह द्वारा इस पर आपत्ति उठाई गई। श्री अध्यक्ष ने कहा...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरा प्रस्ताव स्वीकार न करें तो बयान ही दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

भारत की तरफ से महत्वपूर्ण है लेकिन वह भारत सरकार द्वारा होगा। अध्यक्ष ने कहा-- "हमारे सदन की यह प्रथा रही है कि केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित विषयों पर यहां चर्चा नहीं उठायी जा सकती, किन्तु कोई-कोई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी प्रतिक्रिया हमारे प्रांत पर और विशेष कर बार्डर एरियाज पर पड़ सकती हैं। मेरा निवेदन यह था कि इसको आप स्टडी कर लीजिए, गोपनीयता आदि को ध्यान में रखते हुए जो कुछ बयान सकें, वह द दें, तो बड़ा अच्छा होगा।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जैसे हमारे बार्डर से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष--

चीन और पाकिस्तान जो हमारे बार्डर पर थे उनसे सम्बन्धित है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरा दूसरा कहना है कि जो रूलिंग का उदाहरण है वह इलस्ट्रेटिव है। जब प्रांत पर उसका असर पड़े तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य के दल के लोग पार्लियामेंट में हैं और उनके द्वारा उसे उठा सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, अभी त्रिपाठी जी ने प्रश्न उठाया है। इस सम्बन्ध में मेरी पहली आपत्ति है कि अभी तक भारत सरकार ने कोई इस बात का फैसला नहीं किया है कि उस भाग को सीलोन को दिया जाय, दूसरी चीज यह है कि दोनों देश मित्र देश हैं। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दो परस्पर मित्र देशों में कोई तनाव उत्पन्न हो। पार्लियामेंट का सवाल उठता है। हो सकता है कि पार्लियामेंट में यह उठे। मैं समझता हूं कि यहां पर चर्चा करना हितकर नहीं होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं चाहता हूं कि मित्र देशों में मित्रता कायम रहे। ये हमारा साथ नहीं देंगे। हमारा इनसे मेल नहीं खाता है। ये हमारी बात से कभी भी सहमत नहीं हुए। मैं कहता हूं कि एक-एक इंच भूमि पूंछ कर देनी चाहिए। आपने किस आधार पर दे दी। क्या कारण है कि तामिलनाडु में आन्दोलन हो रहे हैं ?

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आपने जो पढ़कर सुनाया। एक ऐसी चीज जिससे पूरे प्रदेश में उसकी प्रतिक्रिया हो। तो एक ऐसा मामला है कि इस देश में और इस प्रदेश की विधान सभा में प्रतिक्रिया होना लाजमी है।

यह सही है सम्बन्ध बना रहे, लेकिन विदेशी सम्बन्ध, मित्रता, अपना अस्तित्व, अपनी जमीन, अपनी स्वतन्त्रता को ध्यान में रखकर ही करना होगा। यह नहीं कि हम उसको गंवा दें। जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है अभी जो माननीय प्रधान मन्त्री लंका सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए हैं, संधि हुई है उससे साफ जाहिर है। तो जब यह स्थिति है तो वह हमारे प्रदेश पर प्रतिक्रिया है और हमारे सदन पर भी प्रतिक्रिया है। मेरा निवेदन है कि समय कोई निकालें कि यह सदन इस पर चर्चा कर ले।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह मित्रता का क्या प्रश्न है ? हम कच्छ को दे डालें और हम कहें कि मित्रता चाहिए। हमको ऐसी मित्रता नहीं चाहिए। जो हमारा अधिकार होगा उसको हम स्वीकार करेंगे।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत दिलाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है:—

(1) खंड (1) और (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद को सप्तम अनुसूची की सूची (1) में (जो इस संविधान में "संघ-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) खण्ड (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद की, तथा खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची (3) में (जो इस संविधान में "समवर्ती-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति है।

(3) खण्ड (1) और (2) के अधीन रहते हुए किसी राज्य विधान मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची (2) में (जो इस संविधान में "राज्य सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।

(4) संसद को भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिये, (जो किसी राज्य) के अन्तर्गत नहीं है, किसी भी विषय के बार में विधि बनाने की शक्ति है चाहे फिर वह विषय "राज्य-सूची" में प्रगणित विषय क्यों न हो ।

श्रीमन् जो सूची एक है वह संघ सूची है कि केन्द्र को क्या अधिकार है । संघ सूची का 14 जो है, उसमें दिया हुआ है कि विदेशों से सन्धि और करार करना तथ विदशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों की अभिपूर्ति, श्रीमन् संघ सूची 14 के अन्तगत यह विषय आते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बगैर संविधान को बदले हुए कोई टैरीटरी दी नहीं जा सकती है ? अगर हिन्दुस्तान की टैरीटरी का कोई हिस्सा लंका को दिया जायगा तो वह संविधान को बदले हुए ही दिया जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह अधिकार का प्रश्न पूर्णतया केन्द्र को है । राज्य सरकार की जो अनुवर्ती सूची है, कहीं भी इसका कोई सम्बन्ध राज्य से नहीं है । श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो आपने समय-समय पर रूलिंग दी है, इसकी रूलिंग एक नहीं कई हैं । सबसे पहले यह विषय 23 जुलाई 1952 को आया था स्पीकर्स रूलिंग (अध्यक्ष--पद से दिये गये महत्वपूर्ण निणयों) प्रादेशिक सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रखने वाला कोई विषय कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता ।

23 जुलाई, 1952 को गन फैक्टरी क्वार्टर्स, लखनऊ में पानी का कनेक्शन कटने के ऊपर श्री नारायण दत्त तिवारी क कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने कहा कि "इस प्रस्ताव का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है और प्रादेशिक सरकार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव सदन में नहीं रखा जा सकता ।

जहां तक कामरोको प्रस्ताव का सम्बन्ध है गवर्नमेंट की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रांतीय सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव अवैध है । इसको पेश करने की इजाजत मैं नहीं देता हूं । 22 साल पहले अध्यक्ष ने यह रूलिंग दी थी । फिर 20 अप्रैल को, फिर 1 दिसम्बर, 1958 को अध्यक्ष ने दूसरी रूलिंग दी थी । 20 अप्रैल, 1965 को अध्यक्ष ने एक रूलिंग दी थी कि केन्द्रीय विषयों पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता । यह स्पष्ट रूलिंग पहले यहां हो चुकी है । कुंवर श्रीपाल सिंह, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था तो उस पर अध्यक्ष की रूलिंग हुई थी कि सदन से सम्बन्धित विषयों के बारे में ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है । तो यह किसी भी पुरानी रूलिंग्स के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

यह मैं मानता हूं ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

किन परिस्थितियों में यह निर्णय हो चुके हैं ? मान्यवर, जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी लेकिन यह विषय केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित था, परन्तु हम सब सभी पार्टियां एक हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

करके साथ दिये। मान्यवर, उस विषय पर इस सदन में पहले चर्चा हो चुकी थी। मान्यवर, बंगला देश का मामला था तब इस सदन में चर्चा हुयी थी और हम लोगों ने केन्द्रीय सरकार को स्पोर्ट किया था। तो उसी प्रकार से हम यह कहते हैं कि अगर मेरे कार्य-स्थगन को नियमानुकूल नहीं समझते हैं तो उसका दूसरा पहलू है।

तो इस पर चर्चा कराने का अवसर दीजिए और अगर मुख्य मन्त्री जी अपना वक्तव्य दे दें तो चारों ओर संतोष हो जाय। इस समय जनता बड़ी क्षुब्ध है और इसमें बड़ा असन्तोष है।

श्री अध्यक्ष---

संविधान का अनुच्छेद 3 इस प्रकार है :

संसद विधि द्वारा--

(क) किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिला कर नया राज्य बना सकेगी;

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी,

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी,

(घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी,

(ङ) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी,

इसके आगे परन्तुक में दिया हुआ है कि :

"परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश बिना जहां विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव खंड (ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता हो वहां जब तक कि उस राज्य के विधान मंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी कालावधि के अन्दर, जैसी कि निर्देश में उल्लिखित की जाये या ऐसे अतिरिक्त कालावधि के अन्दर जैसी कि राष्ट्रपति समनुज्ञात करें, प्रकट किये जाने के लिये राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित न कर दिया गया हो और उस प्रकार उल्लिखित या समनुज्ञात कालावधि समाप्त न हो गयी हो संसद के किसी सदन में पुरःस्थापित न किया जायेगा।"

इसको पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यदि आपका प्रदेश प्रभावी राज्य होता जैसे तामिल नाडू है, जिसकी सीमा के अन्तर्गत वह द्वीप माना जाता था तो उस राज्य की राय इस प्रश्न पर औचित्यपूर्ण और समीचीन है लेकिन वह उत्तरप्रदेश का भाग नहीं है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि जो आप बयान की बात कर रहे हैं उचित नहीं है। वक्तव्य देने का मतलब यह है कि किसी सदन में किसी चीज को निर्विष्ट करना या अपना अभिमत जाहिर करना। अभिमत उसी केन्द्रीय विषय पर हो सकता है जिसे प्रदेश से सम्बन्धित होने के कारण राष्ट्रपति सदन का अभिमत जानने के लिये आपको निर्विष्ट करे। इसलिये इस पर यहां वक्तव्य नहीं हो सकता।

श्री राम सेवक यादव---

श्रीमन्, कच्चा तीबू देने के लिये संविधान में संशोधन तो होगा ही और संशोधन करने के लिये विधान सभा में भी आता ही है।

श्री अध्यक्ष---

कच्चा तीबू वाला मामला यहां पर नहीं आयेगा। यदि आया भी तो तामिलनाडू में ही आयेगा।

श्री राम सेवक यादव--

यह माना है कि यह वहां का सवाल है लेकिन वे हमारे विचार से तो अवगत हो जायं ?

श्री अध्यक्ष--

आपका सदन और पार्लियामेंट जो हैं, दोनों में चुनाव का आधार व्यस्क मताधिकार है, 5 के ऊपर एक पार्लियामेंट का सदस्य होता है। तो यह बात तो पार्लियामेंट के सामने आ सकती है।

श्री राम सेवक यादव--

श्रीमन्, सब को समान अधिकार हैं चाहे वे यहां चुनकर आयें, या वहां आयें। इस पर यदि आप बहस करा लेते तो सरकार को सब की प्रतिक्रिया मालूम हो जाती। मेरी प्रार्थना है कि माननीय नेता जनसंघ की बात में दम है इसलिये यदि इसे स्थगन-प्रस्ताव के रूप में आप स्वीकार नहीं करते हैं तो यह चर्चा का विषय तो अवश्य है ही।

एक सदस्य--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर पूरा तामिलनाडू दस्तखत करके इसे दे दें तो क्या इस सदन को चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो काल्पनिक प्रश्न है। जब ऐसा कोई समय आयेगा और आप प्रश्न उठायेंगे तब मैं अपना निर्णय दे दूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, कच्चाटिबू के सम्बन्ध में भारत और श्रीलंका के बीच में जो मैत्री सम्बन्धी और समझौता स्थापित हुआ है उसके विषयमें हम सक्षम नहीं हैं कि उसकी पूरी बात इस सदन के सामने रख सकें। सदन के नेता होने के नाते मैं सदन के सामने उन्हीं प्रश्नों पर मत व्यक्त कर सकता हूं, जिनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रमाणिकता मैं उठा सकूं। जहां तक कच्चाटीबू के देने का सम्बन्ध है, हम सब जानते हैं कि इस मसले पर भारत और श्रीलंका के बीच में मतभेद था। आप समझते हैं कच्चाटिबू आपका था और श्री लंका समझती थी कि उनका था। मछली मारने को वह वहां आते थे, हम भी वहां जाते थे। लेकिन माननीय माधव बाबू को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके नेता माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने इस मामले को अदालत में निर्दिष्ट करने के लिए तामिलनाडु की अपनी पार्टी से कहा है, माधव बाबू से नहीं कहा है। अब क्या मतलब इसके निकलते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

श्री त्रिवेदी जी की राय इन्होंने नहीं मानी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

उन्होंने माधव बाबू को नहीं कहा कि तुम फाइल करो मुकदमा और आपसे कह रहे हैं कि आप यहां इनकी रिट फाइल होनेदीजिए। वह कम से कम इस बात का तो ध्यान रखें कि उसके ऊपर बिलकुल गवर्नमेन्ट तैयार नहीं है और न हम दे सकते हैं और न हम ऐसा मानते हैं कि भारत की प्रधान मंत्री के हाथों में इस देश की साबरेनिटी को किसी माने में खतरा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अटल बिहारी जी अगर वहां के लोकल लोगों को नहीं कहते तो क्या कश्मीर के यूनिट को कहते ?

श्री अध्यक्ष—

यही उन्होंने कहा कि अटलबिहारी जी ने ठीक जगह पर कहा है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अटल जी ने इनको सक्षम नहीं समझा, इनके नेता ने, और हम सब को दबा रहे हैं प्रभवश कि इनको सक्षम मान लें इसको उठाने के लिए ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मैंने भी एक कार्य-स्थगन दिया था, उसे पढ़े दे रहा हूं आपकी आज्ञा से—

"विगत 27 / 28 जून, 74 को रात में लगभग ढाई बजे कानपुर शहर संसोपा के मंत्री श्री रघुनाथ सिंह को सोते हुए उठा कर गिरफ्तार किया और उन्हें डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत जेल भेज दिया है ।

इसी प्रकार अन्य छात्र नेताओं को भी डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत अकारण ही गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है । मेरी जानकारी के अनुसार छात्र नेताओं को जबरन हथकड़ी लगा कर उन्हें अपमानित किया गया है ।

पुलिस के इस प्रकार के कृत्य से कानपुर के शान्त छात्रों में रोष पैदा कर उन्हें अशान्ति के वातावरण में डाल दिया गया है । छात्रों में क्षोभ एवं रोष तथा उत्तेजना की भावना व्याप्त है, और ऐसे वातावरण में कानपुर का नागरिक चिन्तित है ।

अस्तु सदन का काम रोक कर उस विषय पर निर्णायक चर्चा की आवश्यकता आ गई है ।

मान्यवर, आपने देखा होगा कि इस डी0 आई0 आर0 का प्रयोग मजदूर और राजनीतिक लोगों पर किया जा रहा है । डी0 आई0 आर0 का प्रयोग करना चाहिये मान्यवर, तस्कर लोगों पर... आप हमारी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

इतनी बात सुन ली । आपने पढ़ दिया, अब बस कीजिये ।

श्री मोती लाल देहलवी—

इसकी अहमियत पर आपको एक मिनट कष्ट दे रहा हूं । डी0 आई0 आर0 का प्रयोग तस्कर लोगों पर और चोर बाजारियों पर किया जाना चाहिये, लेकिन छात्र नेताओं को सोते से उठा-उठा कर ढाई बजे रात को डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत जेल भेजा जा रहा है, कहा यह जाता है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बद्ध मामले पर इन लोगों की गिरफ्तारी की गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

आज शिक्षा के बजट पर ही बहस है । तो जब आपको यहां अपने विचार की अभिव्यक्ति की सुविधा है तो वह विचार व्यक्त कर सकते हैं । रह गयी बात उपचार की, तो यह सदन हाई कोर्ट नहीं है । अगर अवैध और अनियमित है तो उपचार के लिये हाई कोर्ट है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

हाई कोर्ट कैसे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठिए, मैं आपको इजाजत नहीं देता । अगर आप इसी तरह से नासमझी का काम करेंगे तो हर अच्छे काम को मुख्य मंत्री को सौंप देंगे । आपको पता नहीं

कि आपके अधिकारों के संरक्षण के लिये कोर्ट है। क्या आप चाहते हैं कि हर कानून के बारे में संरक्षण मुख्य मंत्री दें ?

(व्यवधान)

सब बातों पर बहस होगी लेकिन जो आप खुद कह रहे हैं, अगर इस पर फैसला यह सदन करने लगेगा तब जो नागरिकों के अधिकार हैं उनका संकुचन होगा, उनका विस्तरण नहीं होगा।

श्री राम सेवक यादव--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर कहा था कि मजदूरों, किसानों और विद्यार्थियों के खिलाफ हम इस प्रतिरक्षा कानून का इस्तेमाल लगभग नहीं ही करेंगे। उस लगभग का मतलब मैं यह समझता हूं कि नहीं ही करेंगे। मैं चाहूंगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और वह लोग जो प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं उन्हें तत्काल रिहा किया जाय।

श्री मोती लाल देहलवी--

रघुनाथ सिंह का एक वक्तव्य "जागरण" में प्रकाशित हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं सम्पन्न करायी जायं, उनको गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं बनता। जिन दो अन्य छात्रों को गिरफ्तार किया है उनको पहले भी दो बार गिरफ्तार कर के जेल भेजा गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी हस्तक्षेप करें और उनकी गिरफ्तारी को अनुचित समझ कर उनको रिहा करायें। यह गिरफ्तारी बिलकुल गलत हुई है।

श्री अध्यक्ष--

आज और कल का पूरा दिन आपको मिला है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है ? प्रदेशीय सरकार ने कोई आदमी को पकड़ने या बन्द करने की आज्ञा नहीं भेजी है। माननीय सदस्य से अगर मुझे पत्र मिलता तो मैं जानकारी भी देता। मैं क्या कहूं ?

1974-75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--
अनुदान संख्या 28--शिक्षा तथा अनुदान संख्या 88--
ऋण और अग्रिम-शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28--शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरक्त 1,24,31,27,300 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88--ऋण और अग्रिम--शिक्षा क अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,33,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, शिक्षा मानव जीवन के लिये एक महत्वपूर्ण विषय है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से योग्य प्रशासक, अच्छे इन्जीनियर्स, अच्छे डाक्टर्स और समाज उपयोगी मानव का सृजन होता है तथा शिक्षा ही अच्छे नागरिक देने का दावा करती है ऐसे महत्वपूर्ण

[श्री रामजी लाल सहायक]

विषय पर हमारे कुछ लोगों का विचार है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिये। मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में हम काफी आगे बढ़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का प्रत्येक बालक और बालिका शिक्षित हो और उनको अपनी उन्नति करने का समान अवसर मिले। मेरा ऐसा भी विश्वास है कि केवल पुस्तकें ही पढ़ने से हम परिपूर्ण रूप में अच्छे नागरिक नहीं दे सकते। उसके साथ-साथ हम यह भी आवश्यक समझते हैं कि प्राविधिक शिक्षा भी दी जाय। हमारा विचार है कि प्राविधिक शिक्षा का और सामान्य शिक्षा का किसी एक बिन्दु पर सामन्जस्य स्थापित हो और एक ऐसा समय आये जब कि छात्र-छात्राएं सामान्य शिक्षा के साथ-साथ कुछ प्राविधिक शिक्षा भी ग्रहण करें। जब ऐसा होगा तभी हम एक परिपूर्ण नागरिक दे सकेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम कार्य कर रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम इस मद में कितना खर्च कर रहे हैं। 1946-47 में शिक्षा बजट पर 3.18 खर्च होता था जो कुल बजट का 11 प्रतिशत था, 1974-75 में जो हमने प्राविधान किया है वह 175 करोड़ का है जो पूरे बजट का 25.2 प्रतिशत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में हमने बराबर प्रगति की है। शिक्षण संस्थाएं काफी बढ़ी हैं, छात्रों की संख्या भी काफी बढ़ी है। शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठा है। मैं अब दूसरे जिलों में जो खर्च होता है शिक्षा पर उसके आंकड़े रखना चाहता हूं।

महाराष्ट्र में 21.7 प्रतिशत खर्च होता है, पंजाब में 21.9 प्रतिशत, हरियाणा में 17.2 प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल में 12.8 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 23.3 प्रतिशत। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां शिक्षा पर हर प्रदेश से अधिक खर्च हो रहा है।

मान्यवर, शिक्षा की कड़ी में इस पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 1 अरब, 74 करोड़ 58 लाख, 33 हजार, 300 रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसमें से 1 अरब, 63 करोड़ 52 लाख, 94 हजार, 5 सौ का व्यय आयोजनेतर तथा 11 करोड़, 5 लाख, 48 हजार, 8 सौ रुपये का व्यय आयोजनागत मदों के लिये निर्धारित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें प्राविधिक शिक्षा भी शामिल है। सबसे पहले शिक्षा की कड़ी में हमारे पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर की शिक्षा आती है जिसको हम शिशु शिक्षा भी कहते हैं। इस स्तर की शिक्षा के लिये सरकार की तरफ से तो थोड़े ही विद्यालय हैं लेकिन आम जनता की तरफ से काफी विद्यालय हैं। जो संस्थाएं शासन के नियमानुकूल होती हैं उनको अनुदान भी दिये जाते हैं। 2 संस्थायें राजकीय जिनमें शिशु शिक्षा का जो काम करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों को प्रयोग के रूप में खोलने का प्रस्ताव है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जैसा कि सब जानते हैं कि पिछले वर्ष उसका अधिग्रहण किया गया है और बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1950-51 में प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाले बालकों की संख्या 24 लाख और बालिकाओं की संख्या 4 लाख थी। यह 1973-74 में बढ़ करके क्रमशः 73 लाख और 46 लाख हो गयी। इस प्रकार बालकों की संख्या में 3 गुनी और बालिकाओं की संख्या में 12 गुनी वृद्धि हुई है। 1974-75 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 74 लाख तथा 48 लाख होने का अनुमान है। 1974-75 के अन्त में 102 प्रतिशत बच्चे, 118 प्रतिशत बालक और 83 प्रतिशत बालिकायें पढ़ने जाने लगेंगी। मान्यवर, पांचवीं योजनाकाल में 7,128 स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में और 211 प्राइमरी शहरी क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया जा रहा है जिससे बच्चों के घरों के निकट ही प्राइमरी स्कूल हों। 700 जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम में एक प्राइमरी स्कूल स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और यह कोशिश भी बराबर हम कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे को डेढ़ किलोमीटर से दूर प्राइमरी पाठशालाओं में न जाना पड़े। इससे साफ जाहिर है कि काफी स्कूल खोलने पड़ेंगे।

मान्यवर, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा के बारे में। जितने हमारे जूनियर हाई स्कूल हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जा रहा है। 1973–74 में कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्रों की उपलब्धि का स्तर 22.3 लाख हो जायेगा। 1974–75 में 22.70 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। 11 से 14 वर्ष तक छात्रों का प्रतिशत 1973–74 की अपेक्षा 1974–75 में 33.6 प्रतिशत हो जायेगा। इससे साफ जाहिर है कि जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है इसलिये और नये स्कूल खोलने का प्राविधान है जिससे प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर निकले हुए छात्रों का भार यह स्कूल वहन कर सकें।

मान्यवर, मैं अब माध्यमिक शिक्षा के बारे में निवेदन कर रहा हूं। 1974–75 में 10 राजकीय जूनियर हाई स्कूलों का स्तर और 5 इन्टर कालेजों को क्रमोन्नित करने का विचार है। इसके अतिरिक्त 2 राजकीय तथा 5 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये दो पाली व्यवस्था चालू करने हेतु प्राविधान किया गया है। छात्रों की संख्या काफी बढ़ रही है और उतनी इमारतें नहीं हैं। इसलिये बहुत से स्कूलों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वे दो पाली में स्कूल चालू कर सकें। 1950–51 में कुल छात्रों की संख्या 1,85,000 थी जिसमें 1,72,000 बालक थे और 13 हजार बालिकायें। अब यह संख्या 13 लाख 64 हजार हो गयी है जिसमें बालक 11 लाख 11 हजार तथा बलिकायें 2 लाख 53 हजार थीं। इस प्रकर बालकों की संख्या में 6 गुनी वृद्धि हुई है और बालिकाओं की संख्या में 19 गुनी वृद्धि हुई है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हायर एजूकेशन में डिग्री कलेज सन् 1946–47 में 14 थे जो 1973–74 में 240 हो गये। सन् 1974–75 में 10 और नये डिग्री कालेज बनाये जाने का प्राविधान है। सन् 1946–47 में विश्वविद्यालय 5 थे और 1973–74 में विश्वविद्यालयों की संख्या 14 हो गई तथा 3 नये विश्वविद्यालय और बनाये जाने का प्राविधान है।

मान्यवर, यह तो मैंने विद्यालयों के बारे में आंकड़े दिये जिससे कि माननीय सदस्यों को यह पता लगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जहां संस्थायें बढ़ी हैं वहीं हम संस्थाओं में अध्यापकों के प्रति भी जागरूक हैं और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। मान्यवर, सभी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को पहली नवम्बर, 1973 से राज्य कर्मचारियों के समान वेतन तथा महंगाई-भत्ता कर दिया है। हमने उनकी इस पहली मांग को पूरा कर दिया है। यद्यपि इससे शासन का 3 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आया है। अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबन्धकों द्वारा निकाले गये अध्यापकों को बहाल किया गया है तथा उनके भार को शासन ने स्वीकार कर लिया है। शासकीय विद्यालय महिला कर्मचारियों को राजकीय महिला कर्मचारियों के समतुल्य अवकाश प्रदान किये जाने का प्राविधान कर दिया गया है। यह भी किया गया है कि जो अध्यापक या अध्यापिकायें अवकाश प्राप्त करना चाहते हों तो जो अध्यापक/अध्यापिकायें जुलाई के बाद रिटायर होने होते हैं तो उनको उस वक्त रिटायर न करके सत्र के अन्त तक का समय और बढ़ा दिया जाता है और इस प्रकार अवकाश प्राप्त करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को 30 जून तक अवकाश प्राप्त करने का मौका दे दिया जाता है। दूसरे जो अध्यापकों के लिए शर्त थी कि वे अंग्रेजी में परीक्षा पास करें तो अब संस्कृत अध्यापकों को अंग्रेजी की परीक्षा में पास होने की शर्त से मुक्त कर दिया गया है।

[श्री रामजी लाल सहायक]

मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जे0 टी0 सी0 वेतन-क्रम में काम करने वाले अध्यापकों को सी0 टी0 वेतनक्रम में तथा बी0टी0सी0 अध्यापक/अध्यापिकाओं को जे0 टी0 सी0 वेतन-क्रम में स्वतः पदोन्नति प्राप्त हो जाने का प्राविधान कर दिया गया है।

स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कालेजों के 1 अक्तूबर, 1964 के पूर्व सेवा निवृत्ति, जीवित एवं स्थायी अध्यापकों को 1 नवम्बर, 1972 से उनके द्वारा आहरित वेतन के 1/5 भाग के बराबर मासिक अनुग्रह पेंशन स्वीकार की जाने लगी है ताकि वह आर्थिक संकट से मुक्त रह सकें।

प्रदेश की प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए अनुमन्य वेतन में 10 रुपया की वृद्धि स्वीकार की गई है। डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन में तदर्थ रूप से 100 रु0 प्रतिमाह की वृद्धि स्वीकार की गई है और विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा प्रस्तावित वेतनमानों को स्वीकार करने की घोषणा की गई है। स्थानीय निकायों से बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित होने के समय बेसिक विद्यालयों में लगभग 18,000 अध्यापक/अध्यापिकायें अप्रशिक्षित थीं। इन्हें प्रशिक्षित करने का एक बृहद् कार्यक्रम बनाया गया है। 10 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए कार्यरत-अध्यापक प्रमाण-पत्र परीक्षा इसे उत्तीर्ण करने पर ए0टी0सी0 प्रमाण-पत्र दिया जावेगा। 5 से अधिक और 10 वर्ष से कम अनुभव वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को पत्राधारित द्वारा प्रशिक्षित किया जायगा और जो 5 वर्ष से कम अनुभव वाले हैं उनको बी0टी0 सी0 में प्रशिक्षण किया जाता है।

मान्यवर, निर्बल वर्ग के लोगों के लिए भी विशेष प्राविधान किया गया है ताकि वह लोग भी शिक्षा पाने से महरूम न रह सकें। प्राथमिक व लघु माध्यमिक विद्यालयों तथा क्रमोत्तर कक्षाओं में से 20 प्रतिशत निर्बल वर्ग के क्षेत्रों में स्थापति किये जायगे। अनुसूचित जाति के बालकों लिए दो आश्रम पद्धति आवासीय लघु माध्यमिक विद्यालय खोले जायेंगे जिनमें से एक पर्वतीय क्षेत्र में होगा।

आदिवासियों के पूर्व माध्यमिक स्तर तक के अध्यनरत बच्चों को छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहायता देने का प्राविधान किया गया है। पर्वतीय क्षत्र के आठ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के बालक और बालिकाओं की छात्र संख्या बढ़ान और स्थिर रखने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करने का प्राविधान है।

मान्यवर, बालिकाओं की शिक्षा की ओर भी शासन ने विशेष ध्यान दिया है। 1950-51 से 1973-74 तक प्राइमरी कक्षाओं में बालिकाओं की संख्या में 12 गुनी वृद्धि हुई है यानि 4 लाख से 46 लाख हो गई। पूर्व माध्यमिक स्तर पर विशेष सुविधा देने के लिए बालिकाओं के लिए क्रमोत्तर कक्षायें खोली गईं। इस वर्ष 182 तथा पांचवीं योजना-काल म 1,768 ऐसी कक्षायें खोली जायेंगी। माध्यमिक स्तर पर 1950-51 से 1973-74 तक बालिकाओं की संख्या में 19 गुनी वृद्धि हुई है। बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिए कई योजनायें प्रस्तावित हैं, ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में बालिकाओं को प्राइमरी तथा पूव माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक वितरण करने के लिए अनुदान, प्राइमरी तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं को पोशाक के लिए अनुदान, उपस्थिति भत्ता, बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावासों के निर्माण, कुछ जिलों में जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के पदों का सृजन, स्नातक तथा स्नातकोत्तर कालेजों में बालिकाओं को विशेष सुविधा के लिए अनुदान।

यूनिसेफ से लगभग 7.50 लाख रुपए के कागज प्राप्त करके छपी हुई विज्ञान की पुस्तकें गरीब तथा पिछड़ वर्ग के बच्चों को निःशुल्क वितरित करन की व्यवस्था की जा रही

है। निर्धन छात्राओं के लिए कुछ चुने हुए जूनियर हाई स्कूलों में पाठ्यपुस्तक बैंक स्थापित करने के लिए प्राविधान किया गया है। हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्रों को इन्टर कक्षाओं में जो छात्रवृत्ति दी जाती है उनकी दरें बढ़ा कर 16 से 25 रु0 प्रतिमास कर दी गयी है। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या में भी 400 की वृद्धि प्रस्तावित है जिससे यह संख्या अब 2985 हो जायगी।

मान्यवर, छात्रों की सुविधा का भी हमने विशेष ध्यान रखा है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिए अभी तक एक परिवार के एक ही बालक/बालिका को विद्यालय में वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी किन्तु अब उनके सभी बालक बालिकाओं को वह लाभ दिया जा रहा है। संरक्षक के 300 रु0 आय सीमा का प्रतिबन्ध भी हटा दिया गया है। सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों के बच्चों स्वपत्नियों को सभी स्तर पर निःशुल्कता प्रदान की गयी है तथा मृतक अपंग, लापता या युद्ध बन्दी और निर्धन कार्मिकों के बच्चों तथा आश्रितों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तिकीय सहायता की व्यवस्था की गई है। भारतीय वाणिज्य समुद्रीय प्रशिक्षण पोत में उत्तर प्रदेश के छात्रों के छात्रवृत्ति की संख्या 5 से बढ़ा कर 10 और दर 50 से बढ़ा कर 75 रु0 प्रतिमास कर दी गयी है।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ग्वालियर में उत्तर प्रदेश के शिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति की संख्या दो से बढ़ा कर तीन और दर 300 से बढ़ा कर 500 रु0 प्रति वर्ष कर दिया गया है। हाई स्कूल तथा इन्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों को उसी विषय में पूरक परीक्षा दिये जाने को सुविधा प्रदान की गयी है। स्नातक और स्नातकोत्तर कालेजों में अतिरिक्त नर्सरी और छात्रवृत्ति हेतु अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। बालकों के महाविद्यालयों में बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा के लिए अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय के छात्रों को कन्ट्रोल की दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है।

विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज में सेवायोजन यूनिट को सुदृढ़ किया जायगा। डिग्री कालेज में सहकारिता के आधार पर छात्रों के लिए पुस्तकालय की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 1971 में उर्दू अकादमी की स्थापना की गयी जो उर्दू भाषा एवं शिक्षा की उन्नति के लिए कार्य कर रही है। गत वर्ष 3823 नए उर्दू अध्यापक प्रारम्भिक विद्यालयों में नियुक्त किये गये। 183 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत उर्दू अध्यापक नियुक्त किए गए। उर्दू अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए सेवारत अध्यापकों के लिए उर्दू दक्षता प्रमाण-पत्र परीक्षा आयोजित की गयी। फजाबाद और झांसी मंडलों में दो अतिरिक्त उर्दू माध्यम के निरीक्षक नियुक्त किये गये। शिक्षा निदेशालय में उर्दू शिक्षा के कार्य के लिये विशेष व्यवस्था के लिये उप निदेशक उर्दू की नियुक्ति की गयी। इतना ही प्रशिक्षण के लिये 30 वष की आयु का प्रतिबन्ध है लेकिन उर्दू अध्यापक मिल सकें और उसकी तरक्की हो सके इसलिए 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष की अवधि की गयी। जब फिर भी कमी पड़ी तो जो सेवा निवृत्त व्यक्ति थे उन्हें भी एक साल के लिए मौका दिया गया। अब उर्दू की कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 8 तक सभी पुस्तकें उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं और बच्चों को दी जाती ह। जो उर्दू के काबिल लोग हैं उनके प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रारम्भिक अनुदान की भी व्यवस्था है ताकि इन विद्यार्थियों की स्थिति में सुधार हो। उर्दू शिक्षा के कार्य की समुचित व्यवस्था करन हेतु निदेशालय में एक उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) की नियुक्ति की गई है। अर्बी और फारसी के मदरसों के लिए अनदान म वृद्धि की गई और अतिरिक्त मदरसों को अनुरक्षण का अनुदान की सूची में लाने के लिए प्राविधान किया गया है।

[श्री रामजी लाल सहायक]

दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन का भी कार्यक्रम है। भावात्मक एकता को सुधारने के लिए जरूरी है कि दक्षिणी भाषाओं का अध्ययन भी हमारे यहां हो। कुछ गैर सरकारी संस्थाओं को, जो पर्याप्त संख्या में छात्रों के लिए दक्षिणी भारतीय भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था करती हैं, अनुदान देने का प्रस्ताव है। पटना, मैसूर, भुवनेश्वर तथा पटियाला स्थित क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों के प्रत्येक वर्ष एल0 टी0 वेतनक्रम के दस अध्यापकों को दक्षिण भारतीय भाषाओं का शिक्षण ग्रहण करने हेतु भेजने हेतु भी प्राविधान किया गया है।

संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए प्रारम्भिक अनुदान, विकास अनुदान तथा वर्गीकरण के लिए अनुदान दिया गया है, जिससे इन विद्यालयों की स्थिति में सुधार हुआ। दो क्षेत्रीय सहायक निरीक्षकों तथा शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक (संस्कृत) की नियुक्ति की गई। इस वर्ष संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षणालय का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है तथा प्रारम्भिक और विकास अनुदान अतिरिक्त पाठशालाओं को दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक तथा प्रौढ़ शिक्षा का कार्य मुख्यतः सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत है। शिक्षा विभाग इस क्षेत्र में नवसाक्षरोपयोगी पुस्तकों की रचना तथा चलचित्र निर्माण के कार्य के सहयोग देता रहा है। अब तक 144 लघु फिल्मों का निर्माण हो चुका है। इस वर्ष इस दिशा में कुछ अतिरिक्त प्रयास किया जायगा जिसके लिए 4756 अंशकालिक प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है।

मान्यवर, फैजाबाद में शारीरिक शिक्षा संकुल की स्थापना के लिए स्थान ले लिया गया है और शारीरिक शिक्षा संस्थान खोलने का प्राविधान है। सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान के लिए ढाई लाख रु0 का प्राविधान किया गया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना के प्रचार के लिए 2 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है। हिन्दी साहित्य की उत्तम पुस्तकों के क्रय के लिए चार लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की शोध सामग्रियों के संकलन एवं प्रकाशन हेतु 1 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।

युवक कल्याण, खेल-कूद तथा विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रम के लिए 8.91 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है।

पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद के प्रान्तीयकरण और सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यान्वयन के लिए 5 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।

संक्षेप में मोटी-मोटी बातों पर शिक्षा विभाग के बारे में विवरण दिया। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बजट के प्रति अच्छे से अच्छ सुझाव देंगे और ऐसे मार्ग का निर्देशन करेंगे कि जिससे हम अपने प्रदेश में शिक्षा की प्रगति कर सकें और उसके द्वारा समाज को अच्छे नागरिक दे सकें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपना अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

*श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 28 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 88 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष महोदय, पूरे देश व सूबे को आजाद हुए 26–27 वर्ष हुए । किसी भी मुल्क या कौम के लिये यह मामूली वक्त नहीं होता लेकिन शिक्षा की आज जो स्थिति है, पूरे मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की जो तादाद है और पढ़ाई लिखाई के बावजूद बेरोजगारों की जो हालत है उस सब को देख कर जो भी सरकारें पिछले 26–27 साल से रही हैं कांग्रेस की सरकार उनके प्रति बहुत सख्त शब्द में इस्तेमाल करना चाहता हूं (इस समय 1 बजकर 22 मिनट पर, अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपाल सिंह पीठासीन हुए) लेकिन फिर भी तमाम सभ्यता के दायरे में रह कर तकलीफ के साथ में कहना चाहता हूं कि यह 26-27 साल से चलने वाली सरकारें अथवा शासक जाहिल अथवा गंवार लोग थे जो नहीं चाहते थ कि यह मुल्क अथवा सूबा के लोग पढ़े लिखे हों अथवा शासक इतने धूर्त और चालाक थे और वे चाहते थे कि लिट्रेसी न बढ़े वर्ना लोग पढ़ लिख कर उनकी हुकूमत के खिलाफ उठेंगे और उससे तब्दीली होगी । सरकार का शिक्षा के प्रति यह रवैया रहा है ।

एक सदस्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने जाहिल तथा गंवार शब्द का इस्तेमाल किया है । क्या यह संसदीय है ? धूर्त शब्द भी इस्तेमाल किया है जो असंसदीय है ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर ऐसे शब्द माननीय सदस्य इस्तेमाल न करें तो अच्छा ही है लेकिन उन्होंने किसी एक व्यक्ति के लिये इस्तेमाल नहीं किये, सरकार के लिये इस्तेमाल किये हैं । इसलिये कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सत्यपाल मलिक—

मैं शिक्षा मन्त्री के बारे में निजी तौर पर तो कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन अगर यूरोप का कोई मुल्क होता तो इस तरह के शिक्षा मन्त्री को सदन में नौजवान लोग थाम लते । मुझे इस बात का अफसोस है कि शिक्षा पर सरकार को जो नीति विषयक किताबें छपती हैं और जो सरकार की रिपोर्ट छपती है उसमें लीपा पोती की जाती है, उसमें कमियां नहीं दिखाई जाती, मैं सदन के सामने उनकी नीति को गलत सिद्ध करते हुए शिक्षा मन्त्रालय की 71–72 की शिक्षा की रिपोर्ट में जो लिखा है उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:—

"उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है जिसकी जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों से अधिक है । इस विशाल राज्य की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ है । जनसंख्या के अनुपात के अनुसार स्कूल जाने वाले वय वर्ग के छात्र और छात्राओं की संख्या भी भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होगी । कोठारी शिक्षा आयोग ने अनुमान किया था कि भारत में 18 वर्ष तक की आयु के बालक और बालिकाओं की संख्या भारत की कुल जन-संख्या की प्राय: आधी होगी । यदि हम मान लें कि उत्तर प्रदेश में भी स्कूल जाने वाले योग्य बालक और बालिकाओं की संख्या वर्ष 1971 में चार करोड़ होगी । इस विराट संख्या के अधिकांश छात्र और छात्रायें उन परिवारों से आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति की आय जीने के लिये आवश्यक न्यूनतम आय से भी कम है ।"

[श्री सत्यपाल मलिक]

1971 के मुकाबले आज वह तादाद बढ़ चुकी है। अगर हम 5 करोड़ मान लें तो आंकड़े बतलाते हैं कि एक चौथाई से ज्यादा लड़के व लड़कियां स्कूलों में नहीं जा पाते हैं और इस प्रकार सरकार को शर्म आनी चाहिये कि एक करोड़ कुछ लाख लड़के व लड़कियां स्कूलों में दाखिला लेते हैं लेकिन उनके परिवार की दिक्कतों, शिक्षा का जो तरीका है, इम्तिहान का जो तरीका है, उसकी अपनी कठिनाइयां हैं और उसका नतीजा यह होता है कि एक करोड़ कुछ लाख लड़के-लड़कियां दाखिला लेते हैं और हायर सेकेंडरी तक जाते-जाते उनकी तादाद 25 लाख से ज्यादा नहीं होती और डिग्री कालेज में दो लाख से ज्यादा नहीं रहती। 5 करोड़ लड़के-लड़कियां जिनको सभ्य, शिक्षित होना चाहिये, जिनको अच्छा नागरिक बनाया जाना चाहिये, लेकिन सिर्फ दो लाख अच्छे पहुंच पाते हैं बड़ी पढ़ाई तक और नीचे काफी लोग रह जाते हैं बिना पढ़े लिखे अथवा कम शिक्षा पाये हुए। गुन्नार मंडल ने कहा है कि हिन्दुस्तान के बच्चे अधूरी पढ़ाई छोड़ देते हैं चूंकि उनके मां-बाप उनका परिवेश, उनका परिवार, उनका देहात, घर एवं मुहल्ला सारा बिना पढ़ा होता है इसलिए उनकी पढ़ाई बरबाद हो जाती है और वे बेपढ़ रह जाते हैं। इसीलिए वे बेरोजगार रह जाते हैं।

मान्यवर, किसी भी मुल्क की सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिये। आंकड़ों के जरिये आप बताना चाहते हैं कि हम शिक्षा पर इतना रुपया खर्च करना चाहते हैं। अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि दूसरे सूबों के मुकाबले में हमें ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिये। उनको बताना चाहिये था कि दूसरे सूबों के मुकाबले में हमारे सूबे की साक्षरता कितनी है तथा हमारे सूबे की जनसंख्या दूसरे सूबों के जनसंख्या के मुकाबले कितनी है। मैं बताना चाहता हूं कि सन् 1971 के इन्हीं के आंकड़ों के अनुसार हिन्दुस्तान में 29 फीसदी लोगों ने किसी प्रकार से छोटी-से छोटी शिक्षा ग्रहण की है जब कि चीन तथा दूसरे मुल्कों में 80 फीसदी साक्षरता है। जब माननीय मन्त्री जी बताते हैं कि हमारे यहां इतने फीसदी साक्षरता है तो उन्हें यह भी बताना चाहिये कि बिना पढ़े लिखे लोगों की संख्या हमारे यहां कितनी है। इस सम्बन्ध में सरकार की कोई निर्धारित नीति नहीं है। सरकार इस बात को नहीं समझती है कि शिक्षा पर कितना खर्च किया जाय। मान्यवर, प्रोफेसर जौन गैल ब्रेथ ने कहा है कि शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है वह स्टील पर किये गये खर्च से ज्यादा मुनाफा देने वाला होता है। इसी तरह से दूसरे मुल्कों ने शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देकर पढ़ाई में तरक्की की है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सूबे की शिक्षा के दो हिस्से हो गये हैं। एक प्रकार की शिक्षा तो वह है जहां कि बच्चों को स्वर्ग की सुविधायें उपलब्ध हैं और दूसरे प्रकार की वह शिक्षा है जहां कि बच्चे अंधेरे द्वीपों में रहते हैं। हमारे सूबे में इसी दूसरे प्रकार की अंधेरे द्वीपों में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा है। जितने नर्सरी स्कूल आपने रखे हैं वह एक भी देहात में स्थित नहीं है। शहरों में जितने स्कूल और कालेज हैं उनके आधे भी गांवों में नहीं हैं। अभी भी आपके सूबे में देहरादून और मसूरी में एक से एक फैन्सी स्कूल हैं जहां कि उड-स्टौक और देवानन्द के लड़के पढ़ने के लिये आते हैं। मेरा तर्क यह नहीं है कि ऐसे स्कूल क्यों हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले सारे मुल्क को बीमार कर देते हैं। वे आम हिन्दुस्तान के प्रति हिराकत के निगाह रखते हैं क्योंकि उनके दिमाग में यह रहता है कि उन्हें हिन्दुस्तान के अन्दर हुकूमत करनी है। दूसरी स्कूलों में जो लड़के पढ़ते हैं वे कमजोर होते हैं, वहां घटिया पढ़ाई होती है लिहाजा वे बेकार हो जाते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी शिक्षा स्तर—चाहे वह प्रारम्भिक हो, माध्यमिक हो या विश्वविद्यालय की हो, के लिये सरकार की कोई नीति नहीं है।

आज दो भागों में बंट कर शिक्षा चल रही है। हमारे प्रदेश में यदि कोई बंगा या गैर-कांग्रेसी मुख्यमन्त्री होता तो वह केन्द्र से इस हेतु लड़ता। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार ने एक विश्वविद्यालय बनाया है जिसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहा जाता है। यह सूबे

की शिक्षा नीति के तहत आता है। इस विश्वविद्यालय में सिर्फ डेढ़ हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं और प्रत्येक तीन विद्यार्थियों के पीछे एक प्रोफेसर उसमें है जिसकी तनख्वाह डेढ़ हजार से लेकर पांच-छः हजार तक होती है। 15 सौ विद्यार्थियों के उस विश्वविद्यालय की स्थापना का खर्च 36 करोड़ रुपया है। एलेट के बच्चों को पढ़ाने के लिये, इंटेलकुचुवेन्स के बच्चे पढ़ाने के लिये या उन्हें सरकार परस्त बनाने के लिये 36 करोड़ रुपया खर्च होगा। आगामी पंचवर्षीय योजना में साढ़े 6 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। तो एक तरफ 1500 विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय पर 36 करोड़, और उसके विपरीत बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में 12 हजार लड़कों के लिये सिर्फ 7 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

इतना ही नहीं इस सूबे में ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं, बहुगुणा जी के मुख्यमन्त्री बनने के पहले पिछले साल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जिसे भारत का आक्सफोर्ड कहा जाता है, वहां के अध्यापकों को 6–6 महीनों तक वेतन नहीं मिला था। उक्त विश्वविद्यालय के भवन की भी स्थिति बड़ी खराब है। लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके भवन के बारे में भी यही बात है। मेरठ विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर के ह्रास की स्थिति भी सभी को विदित है। उक्त विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विज्ञापनों में लिखा रहता है कि वह लोग अप्लाई न करें जो मेरठ विश्विद्यालय के पढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में यदि कोई नवजवान, दबंग और विपक्ष का मुख्य मन्त्री होता तो केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिए लड़ता कि शिक्षा के नाम पर यह ऐय्याशी और नाइंसाफी नहीं चल सकती है। हमारे शिक्षा मन्त्री जी बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन शिक्षा मन्त्री को सिर्फ उम्र के लिहाज से नहीं बनाना चाहिये। मैं सदन में चुनौती देता हूं, यदि हमारे शिक्षा मन्त्री पिछले 3 साल के, बगैर अपने अफसरों की मदद लिये, बगैर डाकुमेंट्स मंगाये, मुख्य-मुख्य विश्वविद्यालयों के छात्र संघों के अध्यक्ष कौन हैं? यदि वह इसे बता दें तो वह जो सजा हमें देंगे, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। वह यह बता दें कि सन् 66 के छात्र आन्दोलन जिसमें प्रदेश के 50 विद्यार्थियों को जाने गयी थीं, 2 हजार विद्यार्थियों पर मुकदमे चले थे तथा 6 महीने तक विश्वविद्यालय बन्द रहे थे, के कौन-कौन से कारण थे? तो मैं मानूंगा। वह यह बता दें कि 68 का फ्रांस का छात्र-आन्दोलन किस लिए था, तो मैं मानूंगा कि वास्तव में वह इस प्रदेश के शिक्षा मन्त्री होने लायक हैं।

श्री मुंशी लाल (जिला मैनपुरी)—

हुड़दंग मचाने वाले कौन-कौन छात्र थे, यह आप बता दें?

श्री सत्यपाल मलिक—

माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था, उसका भी जवाब दूंगा। तमाम सूबे के क्रिमिनल्स, तमाम सूबे के वे असामाजिक तत्व जो डी० एस० ओ० आदि आफिसों में बैठकर बेईमानी कराते हैं, पवित्र शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के कैम्पस में जो छूरेबाजी करते हैं, इनके बारे में यदि सी० आई० डी० से निष्पक्ष जांच करवा लें तो आप पायेंगे कि वे सभी यूथ-कांग्रेस के सदस्य हैं। आप लोग यही चीज बढ़ाते हैं। समय-समय पर कहा जाता है कि राजनैतिक इन्टरफियरेंस है विश्वविद्यालयों में लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आंकड़े बतायें कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आज तक जितने कन्वोकेशन्स हुए, उनमें कांग्रेसी ज्यादा गए हैं या दूसरे लोग? आप विश्वविद्यालयों में जायेंगे धर्म-कर्म का उपदेश देंगे चाहे आपका जैसा चरित्र हो। लेकिन विरोधी दल का कोई आदमी जाकर कहेगा, वह समाज और देश के लिए सोचने को कहेगा, तो वह आपकी नजर में अराष्ट्रीय हो जाता है, राजनैतिक हो जाता है।

जो शिक्षा की नीति है, वह बिलकुल व्यर्थ है और कोई भी इस देश में—कांग्रेसी शिक्षा मन्त्री, प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री, उसको सही नहीं बताता। सारे देश का हर

[श्री सत्य पाल मलिक]

आदमी इस पर बहस नहीं करता कि शिक्षा नीति बेहतर है। हर बार यह कहा जाता है कि वह बेफिजूल है, लेकिन उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं करता। वर्ष 1963-64 में छात्र-संघों, को लेकर उग्र छात्र आन्दोलन हुए, 1967-68 में भाषा समस्या को लेकर छात्र आन्दोलन हुए और उसके बाद से बराबर छात्र आन्दोलन होते जा रहे हैं, किन्तु कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि इसका कारण क्या है। आई० जीस० की कान्फ्रेंस दिल्ली में होगी, उपकुलपतियों की कान्फ्रेंस नैनीताल में होगी, लेकिन कोई भी इस देश में कभी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि छात्र क्या चाहते हैं ?

सरकार को यह जानना चाहिये कि आज सौ साल पहले की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें रंचमात्र भी परिवर्तन नहीं है। सरकार को जानना चाहिये आज पचासों सालों से जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वही सारा का सारा रटने के लिये विद्यार्थियों को दे दिया जाता है जो बिलकुल बासी है, घटिया है, जिसमें आज की आवश्यकता के अनुरूप बुद्धि का विकास ही न हो सके वह सारा का सारा विद्यार्थियों के सिरों पर थोप दिया जाता है। आज जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं हर एक ने यह कहा है कि यह शिक्षा बेकार है और उसको बदलना आवश्यक है लेकिन मैं जैसा कह चुका हूं कि यह सरकार इस मुल्क और इस प्रदेश को बेहतर नहीं बनाना चाहती। मैं सदन की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइमरी शिक्षा है उसके बारे में गांधी जी ने जो कहा था उसको विश्व के तमाम शिक्षाविद् मानते हैं कि उससे प्रिय तरीका शिक्षा का नहीं है लेकिन उसको मानने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा अपने आप कुछ ही नहीं। विश्वविद्यालयों में डिग्री के लिये शिक्षा दी जाती है। अभी शिक्षा मंत्री ने स्वयं अपने भाषण में माना है कि शिक्षा के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि हम पढ़ा लिखा कर नौजवानों को अच्छे नौकर, अच्छे प्रशासक, सरकारी और अन्य उद्योगों में काम करने के लायक बनाना चाहते हैं। दुनिया कि किसी भी सभ्य मुल्क में पढ़ाई की यह परिभाषा नहीं है। पढ़ाई की यह परिभाषा मैकाले तो दे सकता था, बाहर के लोग दे सकते हैं लेकिन किसी भी सभ्य देश और किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क और उसका नेतृत्व करने वाले अपने बच्चों की पढ़ाई की यह परिभाषा देना नहीं चाहेंगे। आज पढ़ाई की परिभाषा बदल चुकी है। आज की पढ़ाई व्यक्तियों के कल्याण को लक्ष्य में रखना चाहती है, जो व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों को समझता है, जो व्यक्ति रूढ़ियों के खिलाफ हो, जो अपने को इतिहास, संस्कृति और कला को समझता है, जो व्यक्ति समाज से अलग खड़ा हो कर समाज परिवर्तन की बातें न करता होगा, जो व्यक्ति दबंग हो व्यक्ति समाज को कुछ देने की बात करता हो वह लोकतांत्रिक परीक्षा में परिभाषा दे सकता है।

मैं नहीं जानता कि शिक्षा मंत्री जी ने जो कुछ लिखाया पढ़ाया जा रहा है उसको देखने की कोशिश की है या नहीं। तमाम विश्वविद्यालयों में आन्दोलन हो चुके हैं, होते रहते हैं, बनारस विश्वविद्यालय में हर वर्ष आन्दोलन हुये हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी आन्दोलन होते रहते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में हर साल आन्दोलन होते रहते हैं, कानपुर विश्वविद्यालय में भी आन्दोलन हुये हैं, यानी कुल मिलाकर सब विश्वविद्यालय कम से कम दो महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक बन्द रहते हैं। आज से चार साल पहले परीक्षा की तारीख तय थी या जून या शायद अप्रैल या मई में हो जाया करती थीं, लेकिन आज कोई नहीं बता सकता कि कौन विश्वविद्यालय खुल चुका है, किसमें पढ़ाई चल रही है, किसमें परीक्षायें होनी बाकी हैं, यानी सारे का सारा ढांचा डिस्लोकेटेड है और कोई गम्भीर कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हो रही है कि उसको जाना जाय या उसको समझा जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय यह बताने के कि हमने इतने स्कूल खोले या इतने रुपया खर्च किया, क्योंकि जो भी रुपया आप खर्च कर रहे हैं वह सारा का सारा खर्च बेकार है क्योंकि उससे जो व्यक्ति पैदा हो रहे हैं वे बेकार हैं, बेरोजगार ही नहीं है बिलकुल घटिया किस्म के लोग पैदा हो रहे हैं और ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो समाज के सामने खड़े हो कर कोई काम करने लायक ही नहीं हैं।

तो अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोध के लिये नहीं लेकिन अगर आप अपनी जान खुद बचाना चाहते हैं तो एक काम करना होगा कि एक साल भर के लिये पूरे सूबे के विश्वविद्यालय और विद्यालय बन्द कर दीजिये और बुलाइये तमाम विद्याविशारदों को, यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, तमाम शिक्षा शास्त्रियों को और यह बैठकर पहले तय कीजिये कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं। आज जो तमाम उपकुलपति हैं जो आपके चपरासी से ज्यादा हैसियत आज नहीं रख रहे हैं, शिक्षा के बारे में उनसे भी पूछिये, आप यूनीवर्सिटी आटानामी की बात करते हैं। युनिसवर्सिटी अटानामी के बारे में मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है शायद ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्हें इस बात का फक्र है कि आक्स फोर्ड यूनिवर्सिटी को जब भी सरकार ने कोई बात कही है आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी ने उसको ठुकरा दिया है लेकिन तब भी आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जब कोई बात सरकार से कही है तब-तब सरकार ने उस बात को मान लिया है। यह अटानामी है।

यह एक लोकतांत्रिक देश का विद्यालय है। आपके उप कुलपति की हैसियत नहीं है कि वह मुख्य मंत्री से सीधे मुंह बात कर सकें। दसों जगहें आप एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त करते हैं और सारे प्रदेश में आप जातिवाद का जहर घोलते हैं। अगर एक कालेज का प्रबन्धक जाट है तो उसमें प्रिंसिपल और सारे अध्यापक जाट होंगे, अगर किसी कालेज का प्रबन्धक जैन है तो प्रिंसिपल और अध्यापक जैन होंगे, अगर किसी कालेज का प्रबन्धक ब्राह्मण है तो उसका प्रिंसिपल और अध्यापक ब्राह्मण होंगे। आप जातिवाद को तोड़ने की बात कहते हैं लेकिन आपने बहुत जबरदस्त शिक्षा संस्थाओं में इसका बढ़ावा दिया है।

अनुदानों के बारे में मैं कांक्रीट चीजें देना चाहता हूं। इस समय उन स्कूलों और कालेजों को ही मान्यता मिल रही है जिन स्कूलों और कालेजों के प्रबन्धक कांग्रेस से किसी न किसी तरह से जुड़े हुये हैं। जो लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा की नीति ठीक नहीं है। आपको चाहिये कि एक साल के लिये शिक्षा बन्द कर दें और देश के तमाम छात्र यूनियनों के प्रधान और नौजवानों तथा विद्वानों को बिठाकर उस पर विचार किया जाय। फिर देखा जाय कि जो आजकल पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ ताकत या ताजगी है या नहीं। इसके बाद जब कोई चीज निकलेगी तो वह सार्थक होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका जबरदस्त खतरा हम लोगों को न होकर आप लोगों को है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि बिहार जैसा आन्दोलन कुचल दिया जायगा। मैं नही जानता कि उनकी यह इच्छा है। लेकिन यह भाषा लोकतांत्रिक भाषा नहीं है बल्कि यह भाषा फासिस्ट तानाशाही की है।

अगर आज आप शिक्षा तंत्र को नहीं बदलते हैं तो कितने ही आपके पास नेता हों और कितने ही लोगों के आपने लाइसेन्स वगैरा देकर अपने साथ रखा हो लेकिन 6 महीने में ही आपके मंत्रियों की यह हसियत न होगी कि वह जनता के बीच में जाकर बात कर सकें। मैं अपने मुख्य मंत्री का बहुत लिहाज करता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनको शिक्षा से कोई दिलचस्पी नहीं है और न उनके दल के लोगों को है। इसीलिये कुछ लोगों को छोड़कर सब चले गये हैं। गद्दी पर लोग आते हैं और चले जाते हैं। सदा कोई नहीं रहता है चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो। जब आप इस तरह से सख्ती से बोलते हैं, विवेक हीन बात कहते हैं और सख्ती की बात कही जाती है और उसके कुछ दिन बाद जब आप हटते हैं तो फिर आपकी शक्ल खराब हो जाती है। कुचलने वाली बात तबीयत को दुखाने वाली बात है। यहां एक दिन कहा गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र ठीक हो गये हैं। इसका कुछ अच्छा नतीजा नहीं निकलता है बल्कि उल्टा नतीजा निकलता है। आपको कोशिश करनी चाहिये कि जो शिक्षा की बीमारी है उसका इलाज तलाश करें और फिर उसका ठीक से इलाज करायें।

[श्री सत्यपाल मलिक]

मान्यवर, अब मैं संक्षेप में भाषा और कोर्सेज के बारे में कहना चाहता हूं। 1967-68 में वाराणसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन चला था और प्रदेश भर में बड़े जोरों के साथ चला था जिसका प्रभाव दूसरे प्रदेशों पर भी पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे प्रदेश की शिक्षा में अंग्रेजी का प्रयोग कम हुआ। लेकिन केन्द्र में अंग्रेजी बराबर रही। इसका नतीजा यह हुआ कि सेन्ट्रल सर्विसेज में तथा जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के मामले में हमारे नौजवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि जो पार्टी गांधी जी के साथ जुड़ी हुई हो, जो पार्टी समाजवाद मानती हो वह अंग्रेजी भाषा की वकालत करेगी।

श्रम एवं न्याय मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी का जिक्र आया इसलिये मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि यूनियन के लड़कों के बारे में माननीय सदस्य का क्या रुख है। उनकी यूनियन आप्शनल होनी चाहिये या कम्पलसरी। अगर आप जानते हैं कि तो क्या यह सच नहीं है कि 1970 में चौधरी चरणसिंह के मुख्य मंत्रित्व काल में यही लखनऊ, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटियों में 0 पी0 ए0 सी0 के नवजान भरे पड़े थे।

श्री सत्य पाल मलिक---

मैं बहुत खुश हूं कि बहुत सारी चीजें सदन के सामने आयीं। मैं उस समय छात्र था और संभवतः संविद सरकार की जेल में था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस सरकार में कांग्रेसियों के कितने मंत्री थे और चौधरी चरण सिंह के दल के कितने मंत्री थे। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इतिहास को झुठला रहे हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

छात्र यूनियन को बजाय कम्पलसरी के आप्शनल कर दिया.....

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सत्तारूढ़ के पास कोई जवाब नहीं है। सत्तारूढ़ बड़ी डाइनमिक पार्टी है। वह एक वक्त चौधरी चरण सिंह के साथ बैठती थी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो नयी पार्टी हमारे नेता विरोधी दल ने बनायी है उस पार्टी में यह है कि माननीय विरोधी दल जो छात्रों के बारे में कहते रहे हैं कि कल से ज्यादा क्रान्तिकारी नेता होंगे। चौधरी चरण सिंह ने जो अध्यादेश बनाया था वह गलत ढंग से प्रचारित किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी आन्दोलन हुये हैं उन आन्दोलनों में फ्रान्स का आन्दोलन बहुत बड़ा आन्दोलन था। उस आन्दोलन में मजदूरों और बुद्धिजीवियों ने भी शिरकत किया था। कम्पलसरी छात्र संघ नहीं था। खैर यह अलग बहस हो गयी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि शिक्षा में जो फिजूल खर्ची है उसको रोका जाये और उसमें परिवर्तन लाया जाये। आज दुनिया के जितने विद्वान हैं वे इस बात से सहमत हैं। 26-27 साल की इस शिक्षा नीति ने नवजवानों को बरबाद किया है उन्हें बेकार किया है। उसको फैशन परस्त बनाया है और उन्हें खर्चीला और खराब कर दिया। आपको शिक्षा नीति के बारे में तफसील से विचार करना चाहिये जय प्रकाश नारायण का नाम इस सम्बन्ध में लिया जाता है। आज हमें जितनी आजादी है उससे ज्यादा आजादी कल मिलने की जरुरत है। श्री नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, चन्द्र शेखर आजाद ने और जय प्रकाश नारायण ने अपनी पीढ़ी का काम कर दिया है, लेकिन अब हमारी पीढ़ी के लोगों का फर्ज कि उसे बनाने का प्रयास करें।

आपने 26 साल में बेईमानी और भ्रष्टाचार की मिशाल दी । आपने 26 साल में देश की शिक्षा को बर्बाद होते देखा । माननीय मंत्री जी अगर आप कहेंगे कि नवजवानों से यह काम नहीं चाहिये तो इतिहास में यह बहुत बड़ा पाप करेंगे । 27 साल में जो आपने नस्ल पैदा की है कौन ऐसा नवजवान है जिसके काम को इतिहास में लिखा जायगा ? एक भी नवजवान नहीं है । संजय गांधी या देवानन्द का नाम हो सकता है । लेकिन एक भी नवजवान पूरे मुल्क में नहीं है, जिसके काम का, जिसकी प्रतिभा का, जिसके 200 साल का या हजार साल का जिक्र कर सकते हैं । जो नवजवान आज जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी या जो नवजवान और दूसरी पार्टी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी वह कोई बुरा काम नहीं कर रहा है । वह एक तरह से आप लोगों के पाप को खत्म करके आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास को बना रहा है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता हूं छात्रसंघ के इतिहास में पहली बार काशी विश्वविद्यालय छात्र संघ की हत्या की गई, वह किस दल से सम्बन्धित है । वह कांग्रेस का जो छात्र संगठन है उनसे सम्बन्धित है या उधर बैठने वाले छात्र संघों से सम्बन्धित है ? इसे माननीय वक्ता और युवक नेता बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी))—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मलिक जी, आप अपना भाषण दें ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं अपनी बात बता देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

जब आप को मौका मिले तो आप अपनी बात कहियेगा ।

श्री सत्यापाल मलिक—

अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, जो सवाल माननीय रामायणराय जी ने किया है, यह सवाल सरकार से किया जाता तो अच्छा होता । वैसे मैं माननीय सदस्य से आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि आप जरा केन्द्रीय सरकार से जानने की कोशिश करें । आप जो रोज-रोज कहते हैं कि हम 26 साल की हुकूमत के जिम्मेदार नहीं हैं हम तो 6 महीने से आये हैं । हम 6 महीने की हुकूमत के जिम्मेदार हैं । आप 26 साल की हुकूमत से पूछिये, आप अपनी सरकार से जवाब तलब कीजिये कि 23 वर्ष में पूरे मुल्क में कितने नवजवानों को गिरफ्तार किये हैं । अधिष्ठाता महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि जो आरोप लगाकर सरकार बचाना चाहते हैं वह कोई तरीका नहीं है । मैं भी अपनी उम्र के लोगों के ऊपर आरोप लगा सकता हूं । डाक्टर लोहिया के रास्ते हिन्दुस्तान के नवजवान को एक ढाढ़स और हिम्मत रही है । एक आदमी है पिटने पर थपथपाता है । एक आदमी है, जब हम लड़ते हैं तो उसे कोई भाषा नहीं दे सकते हैं, सिर्फ गुस्सा बढ़ जाता है । सिर्फ हमारे दर्द की उन्हें तकलीफ होती है, आपने जवानों की तकलीफों पर दर्द महसूस नहीं किया । आपने आज के नौजवानों को रद्दी, बासी और घटिया किस्म की शिक्षा दी । क्या आपने किसी बच्चे को सिखाया कि इतिहास बदलने में उसका भी कोई फर्ज है आप इस प्रकार के प्रश्न पूछने से बड़े नहीं हो सकते हैं । विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो छोटे मोटे सवाल हैं, मैं उन्हें यहां नहीं पूछना चाहता हूं । सिर्फ बुनियाद और नीति के प्रश्न पर यहां पर रखना चाहता हूं ।

[श्री सत्यपाल मलिक]

आपकी सरकार 27 वर्ष से शिक्षा विरोधी और नौजवान विरोधी सरकार है। यदि आप जनतंत्र को जिन्दा रखना चाहते हैं तो जो दल लोकतंत्रात्मक है, उनके अन्दर लोकतंत्र चले। मुझे तकलीफ है कि आपके दल के अन्दर लोकतंत्र नहीं चल रहा है। आज आपकी शिक्षा के कारण विश्वविद्यालय मौत के कुएं हो चुके हैं, छोटे-छोटे बच्चों के स्कूल्स अंधेरी कोठरी हैं। बच्चों को न पौष्टिक खाना मिलता है और न उन्हें पेट भर भोजन ही मिल पाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े फख्र के साथ कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में युनिवर्सिटी खोल रहे हैं। हो सकता है कि पहाड़ में वाहवाही लूटने के लिये 5 करोड़ रुपये युनिवर्सिटी कायम करने की वे बात करते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इसे खोलकर वहां के लोगों के साथ ज्यादती की है, अन्याय किया है। यदि यह रुपया वहां पर बेसिक शिक्षा खोलने के लिये खर्च किया जाता तो निस्सन्देह हजारों बच्चों का भविष्य इससे बनता। जब तक पहाड़ में बेसिक शिक्षा न हो मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन इस बजट को रद्द करे और यह निवेदन करे कि जब तक वहां पर बेसिक शिक्षा न हो, इस सड़ी हुयी शिक्षा को पूरी तरह से नष्ट करके छात्रों और अध्यापकों की इच्छा से बनी हुयी उनकी साझेदारी में युनिवर्सिटी को न चलाया जाय, तब तक इसे स्वीकार न किया जाय।

*श्रीमती मोहसिना किदवई (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी मश्कूर हूं कि आपने मुझे भी इस एजूकेशन के बजट पर अपने खयालात जाहिर करने का मौका दिया।

पिछले दिनों से यहां जो बजट पर चर्चा चल रही है, चाहे जनरल बजट पर बहस हो या आइटमवाइज हो, मैंने कोशिश की कि मैं सदन में ज्यादा से ज्यादा वक्त रहूं ताकि खासकर विरोधी दलों की बात को सुनूं लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विरोध पक्ष के सदस्यगण यही कहते हैं कि हम विरोधी दल के लोग सरकार को सुझाव देते हैं लेकिन सरकार उनको नहीं मानती है। हमें एक प्रकार दुश्मन समझती है लेकिन मैं समझती हूं कि 90 प्रतिशत विरोधी पक्ष से जो तकरीरें हुई हैं, उनमें सुझाव नाम की कोई बात नहीं आयी। यह मैं मानती हूं कि इलेक्शन के फौरन बाद जब विधान सभा का उपवेशन हुआ था उसमें वे अपने गुस्से का इजहार कर सकते थे। लेकिन हमारे बजट के अधिवेशन में भी ज्यादातर मेम्बर्स को जो उस इलेक्शन के शाकी रहे, उन्हें हमारे दल के 215 सदस्य जीत कर आना भी बेईमानी से आये दिखायी देते हैं। आज इस सदन की गरिमा को अगर ऊंचा भी उठाना है तो मेरी राय है कि जो आप सुझाव दें, सरकार उन पर विचार करे और अमल करे। मुझे बड़ी उम्मीदें थीं कि विरोध पक्ष के नौजवान साथी वाकई, खास कर मलिक साहब, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें सदन में रखेंगे लेकिन उन्होंने भी आलोचना ही आलोचना की, सुझाव बहुत कम दिये।

मैं बहुत सिनशियरली अपने विरोध पक्ष के भाइयों से कहना चाहती हूं कि वे कुछ अमली सुझाव देने की तकलीफ करें। उधर से कहा गया कि कांग्रेस का शासन 27 साल रहा और इधर से कहा जाता है कि एस0वी0 डी0 की सरकार 7 महीने रही, उसने क्या किया। तो इस समय एस0वी0डी0 या कांग्रेस सरकार का सवाल नहीं है, चाहे गल्तियां इधर से हुई हों, या विरोध पक्ष की ओर से हुयी हों, उसका भार किस के ऊपर पड़ता है, गरीब जनता के ऊपर यह कहना कि हमारी सरकार तो केवल 7-8 महीने रही और उस अर्से में हम, जो हमारी नीतियां थीं, उनको कार्यान्वित नहीं कर सके, उचित नहीं है। माननीय मलिक साहब ने कहा कि अगर हमारे मुख्यमंत्री बहादुर होते तो वे सेन्टर से लड़ते कि नेहरू यूनिवर्सिटी को क्यों रुपया दिया गया, इलाहाबाद युनिवर्सिटी को क्यों नहीं दिया गया। मैं कहना चाहती हूं कि अब आपकी विचार-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धारा ऐसी थीं तो जब आपको 7 महीने का मौका मिला था तब अगर आप अपनी नीतियों को कार्यान्वित करना चाहते तो उस समय कर सकते थे । और माननीय प्रभु नारायण सिंह यहां नहीं हैं । उनके समय में सवा छः एकड़ की बात आयी थी तो मैंने अपना संशोधन रखा था वह इससे हट कर है लेकिन यह कहना जरूरी है कि जो सरकारी पक्ष होता है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं । उन्होंने यह कहा कि संशोधन तो बड़ा अच्छा, अच्छे सुझाव हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि अगर इनको भी इसमें इनकारपोरेट करते हैं तो फिर यह दूसरे सदन में जायेगा और हमारे पास वक्त नहीं है कि इसको कार्यान्वित कर सकें इसलिये मजबूरी है । इसलिये मैं यह कहती हूं कि कहने और करने में बड़ा फर्क होता है ।

जहां तक शिक्षा का मामला है, शिक्षा में जनाबेवाला, मैं सिर्फ बेसिक एजूकेशन तक अपने को सीमित रखूंगी, क्योंकि जितना भी स्टेप बाई स्टेप आपकी शिक्षा की नीति है उसमें सबसे अहम मेरी राय में बेसिक शिक्षा है । इसलिये कि जिन बच्चों को बुनियादी तालीम सही नहीं है तो जब बुनियाद ही सही नहीं है तो उस इमारत का क्या कहना ? इसलिये बुनियाद पर ज्यादा जोर दें, उसको सही ढंग से बनावें । फिर कोई वजह नहीं है कि हम जो आज यह कहते हैं कि बड़ा इंडिसिप्लिन है, जात-पांत और साम्प्रदायिकता है, तो ये जितनी भी समाजी बुराइयां हैं ये सब किसी हद तक दूर हो सकती हैं । आपको याद होगा कि जब हमारी आजादी की तारीख शुरू हुई उसके काफी दिनों के बाद गांधी जी ने बाधा स्कीम के तहत जिसमें जे0 पी0 नरायन और दूसरे लोग थे एक ढांचा तालीम का हमारे सामने रखा था । उस वक्त उनकी तजवीज यह थी कि हमारी तालीम का जो सेट-अप है वह ब्रिटिश की देन है, अंग्रेज बहादुर की देन है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस ढांचे में हम बावजूद कोशिश के तबदीली नहीं ला सके । उस वक्त तालीम का मकसद यह था कि हर जिले में एक स्कूल हुआ करता था, उसमें बच्चे डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज के या राजा-महाराजा, ताल्लुकेदार जमींदार लोगों के जाकर तालीम हासिल करते थे और उस तालीम का मकसद यह था कि या तो वह आई0 ए0 एस0 बनकर निकलते थे, इसलिये कि अंग्रेजों का पूरा जोर था इस बात पर ज्यादातर आम लोग जाहिल बने रहें तो या तो आई0 सी0 एस0 निकलते थे या बाबू या क्लार्क निकलते थे ।

लेकिन सवाल यह है कि हर मुल्क में जो मुल्क की जरूरियात होती है और जो वक्त का तकाजा होता है उसके मुताबिक वहां की तालीम का ढांचा और मियार कायम किया जाता है । यहां मुश्किल यह है कि जो बना-बनाया ढांचा मिला था वही है और उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सके । इस वक्त हमारे मुल्क का कम से कम 80 परसेंट बच्चा देहातों में रहता है । तो जरूरत इस बात की है कि तालीम का बेस इंडस्ट्री होना चाहिये लेकिन बिला वजह, बिला मकसद, हमारी तालीम होती जाती है । कहा गया कि 25 लाख डिग्री कालेज तक पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर ये 25 लाख छंट कर वहां तक पहुंचें तो ज्यादा अच्छा होगा । महज बी0 ए0 कर लेना तालीम का मकसद नहीं हो सकता ।

तो मैं सुझाव देना चाहती हूं कि गांधी जी की जो फिलासफी थी उसी के मुताबिक हमारी बेसिक एजूकेशन होनी चाहिये । उसमें यह था कि बच्चों का दिमागी नश्वोनुमां, जिस्मानी नश्वोनुमा और करेक्टर बिल्डिंग पर ज्यादा जोर दिया जाय और सबसे बड़ा महत्व उसमें डिग्निटी आफ लेबर पर दिया जाता था कि किसी बच्चे को अपने हाथ से काम करने में जरा बराबर भी हिचक न हो । मिसाल के तौर पर कि वह इतने महान व्यक्ति थे और कभी उन्होंने अपने लिये सोचा नहीं था कि फलां काम मेरे लिये छोटा काम है । जामा मिल्लिया उसी वक्त का अदारा है जबकि अंग्रेजी तालीम यहां बहुत रायज हो गयी थी और गांधी जी ने एक नारा दिया था कि इस किस्म के कौमी इंस्टीट्यूशंस खोले जायं । तो उस मौके पर जामा

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

मिल्लिया की स्थापना हुई और बड़े-बड़े महान व्यक्ति, जाकिर साहब और मुजीब साहब ने मिल करके जामा मिल्लिया को चलाया। उसमें जब बच्चे होस्टल में रहते थे तो उनको झाड़ू देना, अपना कमरा खुद साफ करना वगैरह-वगैरह सारी बातें सिखायी जाती थीं। एक दिन एक बच्चा बगैर पालिश किये हुये जूते पहन कर गया। जूता बहुत गन्दा था। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे जूतों पर पालिश क्यों नहीं है। उस बच्चे ने जबाव दिया कि क्या करूं, नौकर आया ही नहीं। उस बच्चे से उन्होंने कोई जबाव तलब नहीं किया। लेकिन दूसरे दिन खुद स्कूल के गेट पर बैठ गये और जिस लड़के के जूते गन्दे देखे उस पर पालिश कर दिया। नतीजा यह हुआ कि तीसरे दिन से हर बच्चा अपने जूते पालिश करने लगा। यह बात आपकी मैं मानती हूं कि जब तक हमारे नेता, चाहे इधर के हों या उधर के, नमूना बन कर नहीं दिखायेंगे उस वक्त तक हम किसी काम में उस हद तक सफल नहीं बन सकते जितना चाहिये।

जहां तक बेसिक एजूकेशन का सवाल है, यह जो उत्तर प्रदेश की किताब है इसमें उन्होंने साफ दिया हुआ है कि जितने हमारे देश के बच्चे हैं उनका 16.5 परसेंट सिर्फ उत्तर प्रदेश में भार है बच्चों के पढ़ाने का। जैसा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया, स्कूल बढ़ते जा चले जा रहे हैं, तुलबा की सख्या बढ़ती चली जा रही है, मास्टर बढ़ते चले जा रहे हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इन सब आंकड़ों के फेर में न पड़ कर यह मालूम होना चाहिये कि तालीम में हमने क्या सुधार किया। जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं वह नौकरियों के लिये मारे-मारे फिरते हैं या कोई काम कर के खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं। बेसिक शिक्षा के लिये बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग जरूरी है। जैसे आप ट्रेन्ड करके भेजेंगे वैसे बच्चे निकलेंगे। आपको बी0 टी0 सी0 के ट्रेनिंग कोर्स में पूरी तरह से तब्दीली करनी पड़ेगी। बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड टीचर को सिर्फ बसिक स्कूल में जगह मिलती है जो पांचवीं क्लास तक होता है। इंटलिजेन्ट बच्चे सिर्फ बड़े-बड़े रानों के ही नहीं होते। देहात में भी बहुत ज्यादा इन्टेलिजेन्ट बच्च मिलेंगे। सिर्फ बदकिस्मती हमारी यह है कि उनको सही तरीके से तरबियत नहीं कर पाते।

तो मैं सबसे बड़ा सुझाव यह देना चाहती हूं कि बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग के पूरे कार्यक्रम को सुधारा जाय। मिसाल के लिये उसमें कढ़ाई, बुनाई, स्वेटर की बुनाई वगैरह सिखाई जाती है। 6 महीने का कोर्स है लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है कि जिसकी इन्तहा नहीं। उस ट्रेनिंग को इस तरह का बनाइये कि छठें क्लास के बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें। बच्चों की सलाहियत को देखना, उसको उभारना, हर बच्चे की सलाहियत को देख कर उसके मुताबिक काम करना, यह सब बातें होनी चाहिये। हम लोग भी पढ़े हैं। बड़ा स्कूल था लेकिन हर स्कूल के साथ मैदान होता था। एक घंटा बागबानी का होता था जिसमें बच्चों को पौधे लगाना, क्यारियां बनाना वगैरह सिखाया जाता था और यह देखा जाता था कि बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट है।

आप दूसरे मुल्कों में देखेंगे कि हर इन्स्टीट्यूशन पूरी तरह से एक-एक बच्चे की हिस्ट्री तैयार रखता है कि उसको किस चीज में दिलचस्पी है। हाई स्कूल तक तो शिक्षा जरूरी कर दी जाय। लेकिन हाई स्कूल के बाद वही बच्चे आगे पढ़ें जिनको किसी टेकनिकल लाइन में जाना हो या जिनको डाक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो। आप आई0 टी0 आई0 खोल रहे हैं। उसमें बच्च जाते हैं, मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग, ट्रैक्टर की ट्रेनिंग, कारपेन्टरी की ट्रेनिंग ले लेते हैं। मेरे खयाल से यही एजुकेशनल इंस्टीटयूशन्स के साथ होना चाहिये। ताकि स्टेप बाई स्टेप—सही तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो और वे समाज में रहने के लायक बन सकें।

पब्लिक स्कूलों के बारे में जो बात कही जाती है, यह सही है कि मुल्क में दो स्टैन्डर्ड नहीं होना चाहिये, लेकिन पब्लिक स्कूलों को भी संवैधानिक हक मिला हुआ है, आप उन्हें बन्द

नहीं कर सकते। हां, हमको चाहिये यह कि हम अपने स्कूलों की शिक्षा को ठीक करें, अपने एजूकेशनल सिस्टम को ऊपर उठायें। उसके लिये अगर हम शुरू में ही बच्चे और ट्रेन्ड टीचर्स रखें तो बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल हो सकती है। स्कूलों की संख्या भले ही आप 50 प्रतिशत कम कर दें, पर जो स्कूल खोलें उनमें अच्छे टीचर्स रखें और वहां का प्रबन्ध अच्छा करें। इसलिये बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है।

डिग्री कालेज के अध्यापकों को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाना पड़ता है। 10-10 साल के ऐसे बहुत से टीचर्स पड़े हुये हैं जो कमीशन के सामने नहीं गये हैं। उनको किसी भी समय डिपार्टमेंट निकाल सकता है। उसकी एक लिमिट होना चाहिये कि उस लिमिट के अन्दर उनको कमीशन के सामने अवश्य भेजा जायें क्योंकि बाद को यदि कोई कमीशन से एप्रूव नहीं होता है तो ओवर एज हो जाने के कारण दूसरी जगह नौकरी भी नहीं कर पाता है। इसलिये 2-3 साल की लिमिट रख कर उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजना चाहिये।

बेसिक शिक्षा के अधिकारी की पोस्ट जो आपने क्रिएट की है, वह अच्छी बात है, लेकिन उसको आपने अधिकार बहुत दे रखे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर आपको एक नान-आफिशियल कमेटी बनाना चाहिये और उसका चेयरमैन बेसिक शिक्षा अधिकारी को न बना कर, किसी अच्छे योग्य एजूकेशनिस्ट को बनाना चाहिये जो नान-आफिशियल हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपने दोस्त मलिक साहब से कहूंगी कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें। जो सुझाव वे देंगे उन पर अमल कराने की कोशिश की जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का खैरमुकद्दम करती हूं।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

मैं माननीय सत्यपाल सिंह जी मलिक द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, नीति और नीयत के संबंध में मेरे से पूर्व श्री मलिक जी ने बहुत अच्छे शब्दों में काफी बातें कही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा जो कार्य जिस प्रकार से हो रहे हैं, मैं उनकी तरफ इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं बेसिक शिक्षा को लेता हूं। मैं यह देख रहा हूं कि जहां इस संबंध में नीयत और नीति की बात आयी है, वहीं इसको किन्हीं व्यक्तियों के लिये तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से इस शिक्षा को लिया जा रहा है और इस शिक्षा का जो सही रूप है उसको नहीं लिया जा रहा है। इसलिये कुछ ऐसी बातें सदन के सामने आ रही हैं जो नहीं आना चाहिये। यह कहते हुये मुझे संकोच नहीं होता, पिछले वर्ष भी मैंने कहा था, कि जिला परिषदों और नगर-पालिकाओं के द्वारा जो प्राइमरी शिक्षा चलायी जा रही है वह ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। वहां टीचर्स के ट्रांस्फर्स राजनैतिक दृष्टि से किये जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। राजनैतिक उद्देश्य से ही सरकार ने शिक्षा को अपने हाथ में लिया। आपने श्री निवास शर्मा को निदेशक बना दिया। उनके निदेशक बनाने के लिये ही आपने इस बोर्ड का गठन किया। मैं इस बात को आज कह रहा हूं। मैंने इस बात को पहले नहीं कहा। आज वह निदेशक के पद से मुक्त हो गये और उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया है तो इस बात की फिर से चर्चा सुनने में आ रही है कि बेसिक बोर्ड को तोड़ दिया जायगा। इनको फिर से शायद जिला परिषदों को सौंपा जा रहा है। मैं समझता हूं कि जिला परिषदों को सौंपने का एक राजनैतिक दृष्टिकोण भी है। मुझे ऐसा पता लगा है और मुझे ऐसा बताया गया है कि शायद जिला परिषदों के चुनाव में कांग्रेसी अधिक जीते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल कपूर]

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो जिला परिषदों को और नगरपालिकाओं को सौंपने की बात की जा रही है यह बिल्कुल गलत काम होगा। खराब काम होगा।

मेरा निवेदन है कि इस तरह से शिक्षा का विभाजन हो जायेगा और यह फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी के हाथों में नियंत्रण पहुंच जायेगा और जो यह लिंक है वह टूट जायेगा। इस तरह से बेसिक शिक्षा अधिकारी पर शिक्षा निदेशक और उप-शिक्षा निदेशक का नियंत्रण नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि यह जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है। सेकेंड ग्रेड का अफसर है इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक, उप-शिक्षा निदेशक का नियंत्रण होना चाहिये। जो अन-आफिशियल लोग हैं, सार्वजनिक लोग हैं इनकी समितियां होनी चाहिये, इनमें शिक्षा-विद् भी होने चाहिये और इन लोगों के हाथों में शिक्षा को दे देना चाहिये।

मैं समझता हूं कि जो यह बेसिक शिक्षा कार्यालय में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो लेन-देन चल रहा है, इस ओर हमारे शिक्षा मंत्री जी ध्यान दें। यह ध्यान देना चाहिये कि जो यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको कैसे दूर किया जाय। मैं समझता हूं कि जिला स्तर पर अगर बेसिक शिक्षा अधिकारी पर नियंत्रण होगा तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। एक बात मैं और यह कहता हूं कि शिक्षा निदेशक तथा उप-शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक का भी बेसिक शिक्षा अधिकारी पर नियंत्रण होना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो हमारी माध्यमिक शिक्षा आती है इसके संबंध में बड़ी मांग राष्ट्रीयकरण की है। हमारे मंत्री महोदय ने इस संबंध में कुछ नहीं बताया है। यद्यपि आपने यह कहा है कि हमने सम्भवतः इसको मान लिया है। और यह भी कहा है कि एक समिति का निर्माण किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें कोई भी सदन का सदस्य जो कि शिक्षाविद् हो नहीं लिया है। राष्ट्रीयकरण का स्वरूप सरकारीकरण को लेकर न किया जाय, मैं समझता हूं कि सरकारीकरण के रूप में यदि राष्ट्रीयकरण को लिया गया तो फिर शिक्षा हमारी पकड़ में नहीं आ सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो यह निजी प्राइवेट मैनेजमेंट्स हैं उनके हाथों से शिक्षा को छुड़ाना चाहिये। और इसके साथ अध्यापकी-करण, शैक्षिकीकरण करना चाहिये। शिक्षकों और अध्यापकों के हाथों में शिक्षा को सौंप देना चाहिये। मैं 2 सुझाव और देना चाहता हूं।

पहली बात नियुक्ति के संबंध में, आपने आदेश जारी किये कि नियुक्ति रोकी जाय और आपने फिर कहा कि नियुक्ति जारी की जाय और पहले जैसी नियुक्ति की थी वही किया। तो मैं चाहूंगा कि नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। नियुक्ति के संबंध में जिस प्रकार विश्वविद्यालय में नियुक्ति होती है उसी प्रकार प्रधानाचार्य एक प्रबन्ध समिति का आदमी ले और अपना इक्सपर्ट वहां भेजे। शिक्षा विभाग में जैसा पैनल बनाते हैं उसी प्रकार आप पैनल बनायें जिला लेवेल पर। अच्छा होगा यदि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को समिति में रखा जाय और उनको एक्सपर्ट के रूप में भेजा जाय। इस प्रकार नियुक्ति करने की व्यवस्था हो।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सुरक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य को मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। अध्यापकों को यदि निलम्बित किया जाय तो प्रबन्ध समिति की पूर्व अनुमति तथा अधिकारियों की अनुमति लेना आवश्यक होना चाहिये। इसी प्रकार यदि प्रधानाचार्य का निलम्बन किया जाय तो उप शिक्षा निदेशक की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक किया जाय। यह नहीं होना चाहिय कि किसी भी अध्यापक या प्रधाना-चार्य को किसी भी समय, कितने ही समय के लिये निलम्बित कर दिया जाय। अभी तक कालेजों में प्रधानाचार्य को तीन-तीन, चार-चार साल के लिये निलम्बित कर दिया जाता है और वह मारा-मारा घूमता रहता है यह उचित नहीं है। उसको संरक्षण मिलना चाहिये।

मंत्री जी इस प्रकार की शीघ्र व्यवस्था करें जिसके द्वारा मैं समझता हूं कि अध्यापक का और प्रधानाचार्य का संरक्षण हो सके। इस पर राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं होना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार कर रही है। पिछली बार यह बात आयी थी कि करीब हाफ मिलियन जाब देने की योजना में 4 हजार अध्यापक उर्दू के प्राइमरी स्कूलों में रखे गये वह ऐसे-ऐसे स्कूलों में रखे गये जहां एक भी बच्चा उर्दू की शिक्षा नहीं पाता था।

हमारे श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने अपने बजट में एक प्राविधान किया है और अपने बजट भाषण में कहा है कि वर्ष 1974–75 के दौरान में त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत यह वैकल्पिक विषय उर्दू का जो अध्ययन करेगा उसको कुछ सुविधा प्रदान की जायेगी। उन्होंने एक उर्दू अध्यापक की भी नियुक्ति करने का निश्चय किया है यह नियुक्ति त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत की जायेगी। यहां उर्दू को त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत रखा है और उर्दू पढ़ाने के लिये अध्यापकों को नियुक्ति किया है। इन अध्यापकों की नियुक्ति 250 रु0 के ग्रेड में की गई है। इस प्रकार से आपने यह नियुक्तियां राजनीतिक दृष्टिकोण से किया है शिक्षा के दृष्टिकोण से नहीं। इस प्रकार की फिजूल खर्ची राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ति करना ठीक नहीं है। आपने आगे कहा है कि कक्षा 10 तथा 8 की पुस्तकें भी उर्दू में छपेंगी इस प्रकार दो-दो भाषाओं में यदि शिक्षा होगी तो किस प्रकार शिक्षा चल सकेगी। इससे शिक्षा का लाभ नहीं होगा।

लेकिन मैं जानता हूं तथा हमारे यह भाई लोग भी जानते हैं कि यह मुसलमान भाइयों के लिये किया गया है तो इससे मुसलमान भाइयों को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। इससे हिन्दी की गति को अवरुद्ध किया जा रहा है। एक कक्षा में 2 भाषायें रखना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह अपने प्रदेश का दुर्भाग्य है। मेरा निवेदन यह है कि यह चीज शिक्षा की दृष्टिकोण से होना चाहिये राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं। मैं हिन्दी और उर्दू का कोई झगड़ा नहीं बनाना चाहता लेकिन आप इस बात को देखें कि आप हिन्दी के लिये क्या करते हैं और उर्दू के लिये क्या ? मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दी अकादमी को और उर्दू अकादमी को अगर देखा जाय तो आप पायेंगे कि हिन्दी अकादमी को सरकार एक भी पैसा नहीं द रही है, जब कि वह विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तक तैयार करती है, इसकी भी आप चिन्ता करें।

आपने 1–11–73 से वेतनमान में संशोधन किया है सभी अध्यापकों के लिये, लेकिन संस्कृत के अध्यापक की जो स्थिति है वह उन्हीं की भाषा म बताई जा सकती है। आपने चपरासी का वेतन 165 कर दिया लेकिन संस्कृत का अध्यापक आज भी 100 रुपया वेतन पा रहा है। आप संस्कृत के अध्यापकों के बारे में विशेष ध्यान दें और उनका वेतनमान उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से आपने राजकीय विद्यालयों में अध्यापक पा रहे हैं। बहुत से प्राइमरी स्कूल इन्टर और हाई स्कूल कालेजों के साथ लगे हुये हैं। वहां के अध्यापकों को आज केवल 100 रुपये मिल रहे हैं। ऐसे ही कन्या विद्यालयों के साथ भी प्राइमरी स्कूल लगे हुये हैं। अतः यह जो भिन्नता है एनोमली है उनके वेतन में इसको समाप्त किया जाय तथा प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को जो इन्टर और हाई स्कूल के साथ लगे हुये हैं उनको संयुक्त खाते से वेतन दिलाकर उनका वेतन राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के बराबर करें।

आपने गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को जो सन् 64 से पहले रिटायर हो गये हैं उनको पेंशन देने की जो बात कही है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजकीय कर्मचारियों को अपनी पेंशन मिलती है उसी प्रकार से जहां और समानतायें हैं वैसी समानताय और सुविधाय प्रदान करें।

[श्री मोहनलाल कपूर]

आपने अभी तक 1-11-73 से जो पुनरीक्षित वेतन लागू किया है उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आपने भाषा कला संगीत और संस्कृत इन चार अध्यापकों को नहीं दिया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन अध्यापकों को वेतन जल्द से जल्द पुनरीक्षित कर दिया जाय ।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का जो क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में खोला है। लेकिन मरठ में खुलने के बावजूद भी जो सुविधायें मिलनी चाहिये थीं उनको नहीं मिल रही हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सुदृढ़ीकरण के लिये दो प्रस्ताव दिये हैं उसमें पहला सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव तो यह है कि आप माइक्रो-फिल्मिंग करेंगे अर्थात जितने भी माध्यमिक शिक्षा परिषद् के रिकर्ड है वह माइक्रो-फिल्मिंग करेंगे । दूसरा प्रस्ताव यह है कि आप यांत्रीकरण करग जिसमें लगभग 25 लाख रुपये व्यय कर रहे हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय को सुदृढ़ीकरण के लिये क्या कर रहे हैं ? उनके पास भवन नहीं है, जरूरत की चीजें नहीं हैं । भवन के लिये जब पैसा मांगा जाता है तो आप धनाभाव बताते हैं लेकिन दूसरी ओर आप 25 लाख रुपये का व्यय करने जा रहे हैं । अतः मेरी प्रार्थना यह है कि वहां के क्षेत्रीय कार्यालय को जल्द से जल्द भवन बनवायें अन्यथा इसमें कोई तथ्य नहीं नजर आता ।

आपने केन्द्रीय मूल्यांकन किया है हाई स्कूल के लिये, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि आप परीक्षा के लिये केन्द्रीय मूल्यांकन के लिये जल्दी न करें। 'पन्ना उलटो, परीक्षा जांच हुई है । इसमें बच्चों के साथ अन्याय हुआ है । हाई स्कूल परीक्षाफल बहुत न्यूनतम रहा है । यह 38 परसेंट है जो बहुत कम है । 14 परसेंट फर्स्ट और सेकेन्ड क्लास है। इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये कि परीक्षाफल इतना क्यों गिर गया है । यह और कहना चाहता हूं कि राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज इसी प्रकार से नार्मल स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट फार प्राइमरी एजूकेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट फार साइन्स एजूकेशन, यहां पर जिस स्तर के अधिकारी चाहिये वे नहीं हैं । जैसे मैं कह सकता हूं कि संस्कृत का अध्यापक प्रिंसिपल बना रखा है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

मान्यवर....

एक सदस्य—

मैं माननीय सदस्य से एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब उसके लिये उचित समय नहीं है । मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकार चुका ।

श्री भगवतीचरण निर्मोही—

आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया मैं आपका कृतज्ञ हूं । मान्यवर मैं यह धृष्टता तो नहीं कर सकता कि मैंने बजट का बहुत गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया है लेकिन एक जन प्रतिनिधि को जितना अध्ययन करना चाहिये था मैंने वह किया और माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो यह बजट पेश किया गया है वह प्रगतिशील बजट है, संतुलित बजट है और इस बजट में काफी खूबियां है। (इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रामायण राय पीठासीन हुये) इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव

का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं भाषण सुनता जा रहा हूं लेकिन दुनियां में सबसे कठिन काम है जिम्मेदारी लेना और उसे निभाना, और सबसे सस्ता काम है छिद्रान्वेषण और आलोचना करना। थोड़ी सी देर के लिये यह मान भी लिया जाय कि माननीय शिक्षा मंत्री एक-एक घंटे में बजट बदलते रहें तो विरोध पक्ष ने जैसे अपना एक लक्ष्य बना लिया है कि विरोध ही करना है तो वे उसमें फिर भी नुक्स निकालेंगे और छिद्रावेषण करेंगे । फिर भी उसमें नुक्स निकालेंगे और छिद्रान्वेषण करेंगे । इस बजट की बात का क्या, मान्यवर, ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उनकी भी लोग आलोचना करते हैं । उनके लिये कहते हैं कि सोना तो बनाया लेकिन उसमें सुगन्ध नहीं डाली है, चन्दन तो बनाया लेकिन वृक्ष में फल नहीं दिये । गन्ना मीठा है, लेकिन अगर उसमें फल लगते तो अच्छा होता । इस प्रकार ब्रम्हा की भी लोग नुक्ता निकालते हैं । मान्यवर, गल्ती निकालने वालों की कभी कमी नहीं रही और न रहेगी । विरोधी पक्ष के लोग सिर्फ आलोचना करना चाहते हैं । मैंने देखा कि पिछड़े वर्ग के हित के लिये, हरिजनों के हित के लिये, पिछड़े क्षेत्रों के हित के लिये वह लोग कितने अच्छे-अच्छे भाषण कर सकते हैं, लेकिन जब पर्वतीय प्रदेश की प्रगति के लिये थोड़ा सा बजट आया तो उन लोगों को वेदना हो गयी । उन लोगों के लिये वह बात असह्य हो गयी । दरअसल पर्वतीय प्रदेश का हउवा इनके शिर से नहीं उतर पाया और इनके विभाग में केवल पर्वतीय प्रदेशों के प्रति चिढ़ है । थोड़ी सी प्रगति पर्वतीय प्रदेश की हो जाती है तो ये तिलमिला उठते हैं ।

मान्यवर, हाथी के दांत देखने और खाने के और होते हैं । मान्यवर, मैं नया आदमी हूं लोगों के नाम भी नहीं जानता वे मलिक जी हैं जो काफी शिक्षित और विद्वान मालूम हो रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने हमारे लिये अपमान जनक भाषा का प्रयोग किया है, उससे मेरा जी तिलमिला उठा है । उन्होंने यह कह दिया कि बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं । इससे ज्यादा अपमानजनक बात और क्या हो सकती है । मान्यवर, मैं तो उसी वक्त चाहता था कि वह अपने शब्द वापस ले लें लेकिन मैंने ठीक नहीं समझा कि जब कोई बोल रहा हो तो उसको बीच में टोका जाय । किन्तु माननीय सदस्य मलिक जी अभी भी अपने को शिक्षित समझते हों, तो उनको उस पर अफसोस जाहिर करना चाहिये । मैं शिक्षा के बजट पर बोल रहा हूं लेकिन चूंकि मेरे दिल में वेदना हो रही थी इसलिये इस विषय में बिना कहे रहा नहीं गया । मान्यवर, पर्वतीय प्रदेश से ही वेद और उपनिषद निकले हैं । आज भी हिन्दी के धुरन्धर लेखक और उच्च कोटि के कवि वहीं के हैं । ऐसे पर्वतीय प्रदेश को कहते हैं कि झाड़ू लगाने वाले, बर्तन मांजने वाले जिसको सुनकर हृदय विदीर्ण हो जाता है विरोधी पक्ष के नेता चौधरी जी की मैं आलोचना नहीं करना चाहता । उपनिषद में लिखा है 'नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवतु ।' उन्हें जनता के लिये नहीं बल्कि अपने स्वार्थ सिद्ध के लिये जनता जनता है। अब सुनता हूं एक सतरंगा इन्द्रधनुष विरोधियों द्वारा बनाया जा रहा है। पर "पट इन्द्रधनुष सा सतरंगा, कितने दिन रहने पायेगा ।"

आज पर्वतीय प्रदेश को हौवा बना दिया गया है । ऐसी बातें कही जा रही हैं कि मानों वहीं के लिये सब कुछ किया जा रहा हो । मान्यवर, हमारे यहां लोगों ने पृथक पर्वतीय प्रदेश का नारा लगाया । उस नारे ने कुछ जोर भी पकड़ लिया था लेकिन हमारे एक छात्रनेता माननीय बहुगुणा जी की कृपा से वह पर्वतीय प्रदेश का नारा समाप्त प्राय हो गया और हम लोग यह सोचने लगे हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश के विशाल परिवार के एक अंग हैं हम अपने परिवार से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और अपनी बात कहेंगे । पर पृथक नहीं होंगे । लेकिन अभी हमारा घाव पिछड़ेपन का घाव मिटा नहीं है । शायद सदन के बहुत कम माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा प्रान्त नहीं है और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर भेड़ बकरी पर सामान लादा जाता हो । लेकिन आज भी पर्वतीय प्रदेश में भेड़ बकरियों पर सामान लादा जाता है । इससे अधिक आश्चर्य की बात क्या हो सकती है इस दशा में अगर हमारी वर्तमान सरकार हमारे

[श्री भगवती चरण निर्मोही]

घावों पर कुछ मरहम लगाती है, कुछ सेंकने की आवश्यकता समझती है तो विरोध पक्ष उन घावों को कुरेद कर उन पर नमक डालना चाहते हैं । लेकिन मैं आपको बतला दूं कि विरोध पक्ष के लोगों ने अगर चाणक्य नीति पढ़ी है तो हमने भी विदुर नीति पढ़ी है और हम चाणक्य नीति का मुकाबला विदुर नीति से करेंगे । मान्यवर, मैं अब कुछ सुझाव दूंगा । डिग्री कालेज, इन्टर कालेज, हाई स्कूल तथा विश्वविद्यालय खुल रहे हैं । बड़ी अच्छी बात है, उन्नति हो रही है, देश प्रगति पर आ रहा है लेकिन शिक्षा की बुनियादी नींव, आधार शिला जो प्राथमिक विद्यालय हैं पर्वतीय जिलों में उनके भवन ध्वस्तप्रायः हैं । इन विद्यालयों में अगर होशियार अध्यापक रहते बच्चों को बरसात में दूसरी जगह पढ़ायेंगे, नहीं तो अनेक बच्चे जो ये जीर्ण-शीर्ण अवस्था में भवन है उनके टूटने से बच्चों के दबने और मरने का भय है । इसके अतिरिक्त वहां की साज सज्जा देखिये । चटाइयां नहीं हैं, लोटे बाल्टी नहीं हैं, अध्यापक के लिये कुर्सी नहीं है, श्यामपट नहीं है, कंटसीं पर बैठ कर गुजारा करते हैं । इस ओर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है । हमारे बच्चे जहां ओम नमः सिद्धम से शुरुवात करते हैं, अ, आ, इ, ई, पढ़ते हैं वहां अगर उनके बैठने की ही व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो कैसे वे हाई स्कूल में पंहुचेंगे, यूनिवर्सिटी की बात तो दूर रही ।

मान्यवर, इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों के लिये दोहरा शासन चल रहा है । अध्यापकों के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी कहता है कि हम सर्वे सर्वा हैं जो चाहे करें, जहां चाहें तबादला करें, स्कूल में जो चाहे प्रबन्ध करें और उनसे अगर कहा जाता है कि चटाइयों का प्रबन्ध करो, भवन का प्रबन्ध करो तो कहते हैं कि जिला परिषद् जाने, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं । यह द्वत शासन समझ में नहीं आता । मेरा सुझाव यह है कि बीच में यह जो नया बेसिक शिक्षा निगम खड़ा किया गया है इसे समाप्त कर दिया जाय और पहले जिस भांति जो जिला बोर्ड सशक्त था, जो अध्यापकों पर नियंत्रण रखता था, सभी चीजें उसके अधीन रहती थीं । उसी भांति जिला परिषदों को भी सशक्त बनाया जाय ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, बहस इस उत्तर प्रदेश तथा देश के मुस्तकबिल के बारे में है क्योंकि शिक्षा के सवाल को अपने देश और प्रदेश के मुस्तकबिल के सवाल को अलग करके नहीं सोचा जा सकता । मैं आपका ध्यान प्राथमिक शिक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह कितने महत्व का सवाल है । 9 करोड़ के इस प्रदेश में आज 1,05,30,293 छात्र हमारे प्राथमिक विद्यालयों में है । उनके मुस्तकबिल को हम कैसे तामीर करने जा रहे हैं ? जो भाषण मंत्री जी ने सदन में दिया क्या हमने उस पर गहराई से नजर डाली ? महज यह कह देना कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है और संख्या दिखा कर कि पहले 13 लाख 70 हजार छात्र होते थे। अब 1 करोड़ 5 लाख हो गये हैं और हमें खुशी है कि यह काफी नहीं होगा ।

मेरी बुनियादी शिकायत इस बजट से यह है कि आपने शिक्षा के किसी भी भाग का क्वालिटिटिव एसेस्मेंट नहीं किया । आपने यह जानने की कोशिश नहीं की है कि प्राइमरी एजूकेशन, माध्यमिक एजूकेशन या उच्च शिक्षा में आज किस चीज की जरूरत है जिससे कि इसका स्टैन्डर्ड कायम रखा जाय और उसके लिये समाज को तयार किया जाय तब तो शिक्षा के कोई माने होते हैं । मैंने तो इस बजट में केवल यही देखा है कि इतने स्कूल खोल जायगे, इतने छात्र भरती होंगे, इतनी नियुक्तियां हम करेंगे, इतना महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जिससे अशांति नहीं रहेगी । यह किसी राष्ट्रीय मुस्तकबिल तामीर करने की नजीर नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके बाद वही इन्कलाब आता है जिससे हमारे सत्यपाल जी को प्रेरणा मिलती है और हम सामाजिक शिक्षा को तोड़ने-मोड़ने लग जाते हैं। हमारी शिकायत यह है कि आप देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं और किस तालीम के मातहत इस समाज को ढालने की बनियाद आप डाल रहे हैं इसलिये आप देश को तयार नहीं करना चाहते हैं कि आने वाली नस्ल इस मुस्तकबिल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके।

मैं नहीं जानता कि जब शिक्षा मंत्री बात करते हैं तो सम्मेलन अपने अधिकारियों का करते हैं जिसमें प्राइमरी स्कूल, बेसिक और उच्च शिक्षा के अधिकारी बठें। उन लोगों से पता चलता है कि 1 करोड़ छात्र जब प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं तो वे घटते-घटते दो लाख से भी कम रह जाते हैं। हम आप सभी समझते हैं कि सन् 47 में एक क्रांति आई और जब उस क्रांति को एक रूप देना था शिक्षा के द्वारा तो आपको सन् 47 से 74 तक यह तय करना था कि आप प्राइमरी एजूकेशन से कैसे नागरिक तामीर करेंगे और कैसे उच्च शिक्षा तक जायेंगे। उस वक्त आपको सोचना पड़ता कि शिक्षा मंत्री को इस देश के प्लान के बारे में ज्ञान है या नहीं। अगर हम पूछ कि क्या वे इस बात को जानत हैं कि इस प्रदेश की कृषि का कितना उत्थान वे चाहते हैं, उद्योग की प्रगति का कितना उत्थान चाहते हैं और उसके लिये वे अपने अधिकारियों को कितनी जिम्मेदारियां सौंपते हैं ?

जब आपसे एक छात्र पूछता है कि मैं तालीम ले रहा हूं, अपने मां-बाप की पट्टी बांधकर तालीम ले रहा हूं आपने मेरे भविष्य के बारे में क्या फैसला किया है तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। इसके बाद जब वह कालेज में पहुंचता है, उसे ज्ञान होता है कि क्या हो रहा है तो वह देखता है कि एक तरफ तो लड़के कारों में बैठकर आत हैं और बहुत सा रुपया उनकी जेब म होता है और कहते हैं कि तुम्हारा बाप इतना रुपया नहीं खर्च कर सकता है लिहाजा समाज में तुम किसी काम के नहीं हो। एक बहुत बड़ा तबका स्कूलों में ऐसा होता है जो कि शुरू से ही इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पैदा करता है क्योंकि जिस क्लास में वह बैठता है ऊंचे तबके के लड़के उसी टीचर से ट्यूशन करते हैं और अच्छा स्थान पा जात हैं। इसके बाद जब कालज के यूमियन क दिन आते हैं तो वे पांच-पांच, छः-छः हजार रुपये उसके इलेक्शन में लगात हैं जसा कि हमारी राजनीतिक पार्टियां लगाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक वर्गों में जो आज संघष होता है वह कालेजों में ही मौजूद होता है। और वे संघर्ष जब उच्च विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में मिलते हैं तब देखते हैं, तो उनका समाज के प्रति विरोध बढ़ जाता है।

85–90 प्रतिशत नौजवान जब तालीम में आगे बढ़ते हैं तो उनमें इस समाज से निराशा फ्रस्टेशन तथा हीनता की भावना इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि वही बढ़ते-बढ़ते एक जलन की शक्ल अख्तियार कर लती है और व यह चाहते हैं कि इस समाज के हर ढांचे की बुनियाद को उखाड़ कर फेंक दिया जाये। इसको डाक्टर लोहिया न अच्छी तरह से पहचाना था। आज विद्यार्थियों में जो बेचैनी है उसका अंदाजा हम सबको हो गया है। लकिन हमको इस बात को समझना होगा कि इसको हल करने क लिये लखनऊ विश्वविद्यालय की तरह पी0ए0सी0 लगाकर नहीं रोक सकत हैं और न मुस्तफी साहब को वाइस चांसलर बनाकर ही हम रोक सकत हैं। आज समाज जो क्रांति की ज्वाला म अपने आप को फकन क लिय तयार है, उसम आपका छात्र समुदाय उसे किसी मोड़ को दने की ओर जा रहा है। आप यदि उसको नया आदर्श, नया विश्वास नहीं देंग और उसको समाज में भागीदार नहीं बनायेंगे तो आपकी शिक्षा का जो ढांचा है वह इस सामज को तोड़न से बचा नहीं सकगा। हम शिक्षा इसलिय नहीं दते हैं कि हर मुल्क में देते हैं इसलिये हमको भी दना चाहिये।

एक बार जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश में थे, तो उन्होंने तत्कालीन अपने होने वाले शिक्षा मंत्री से श्री महफूजुरहमान साहब से पूछा कि आपन क्या एजूकशन का अध्ययन किया है। तो उन्होंन कहा कि मेरी एजूकेशन कम है, मेरी एजूकेशन बढ़ जायगी। इसी-

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

लिये एजूकेशन मिनिस्टर होना चाहता हूं । तो आप उसी प्रकार का यदि एजूकेशन के साथ मजाक करना चाहते हैं तो आप देश के मुस्तकबिल के साथ मजाक कर रहे हैं । इसलिये हमको चाहिये कि शिक्षा को अपनी राजनीति से जिलायें और राजनीति को जिलाये जनता से हमारे जनसंघ के लोग कहते हैं कि शिक्षा के बारे में सियासी नजर नहीं होनी चाहिये । जाहिर है कि हमारे कारनामे ऐसे हैं कि सियासत से हमें घृणा होने लगी है । किन्तु यदि शिक्षा का ताल्लुक सियासत से नहीं होगा तो क्या कारोबार से होगा, परमिट-लाइसेंस से होगा । आज सवाल यह है कि शिक्षा समाज को बदलने की तरफ जायेगी या उसे रोकने की तरफ जायेगी । और किसी कटौती के बारे में विरोधी दल सीरियस हों या न हों, लेकिन सत्यपाल मलिक साहब जो कटौती पेश कर रहे हैं, और उसकी जो नीतियों का प्रचार कर रहे हैं, यदि उसको मान लेते हैं तो कटौती को भी स्वीकार करना चाहिये । वह तो स्वीकार करते हैं कि आज जय प्रकाश जी उस जगह पंहुच गये हैं, जहां पर एक साल के लिये समस्त शिक्षा केन्द्रों को बन्द कर देना बिलकुल सही कदम है । यदि यह सही है तो एक पैसा भी शिक्षा पर खर्च नहीं होना चाहिये और यह बजट बिलकुल गैरजरूरी है ।

इसलिये विरोधी दल वालों के लिये सबसे अच्छा अवसर है कि इस कटौती को पेश करें । वह आन्दोलन तो तब शुरू होता है जब असेम्बली को तोड़ने की बात शुरू होती है । किन्तु वह तो जनतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिये उनको बड़ी दिक्कत है, वह वे काम नहीं कर सकेंगे जिससे कटौती पर अमल हो । इसलिये कटौती की बात तो वह कर लें और उसके बाद हम लोग उनके साथ सड़कों पर निपटारा कर लेंगे । क्योंकि जब वे आन्दोलन, प्रदर्शन करेंगे तो सड़कों पर उनका सामना किया जायगा । उस पर हम सब एकमत हो कर यह कहें कि हमारी शिक्षा को समाज के लक्ष्यों से जोड़ा जाय, उसमें हममें और मलिक साहब में इख्तिलाफ नहीं है । मलिक साहब भी समाजवाद चाहते हैं और वे भी इस बात में यकीन रखते हैं कि चौधरी साहब ने संविद सरकार के जमाने में जो नीति अपनायी थी वह गलत थी . . .

श्री सत्यपाल मलिक—

मैं तो उसे बिलकुल ठीक समझता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

चलिये, यह मान लेते हैं कि आपके लिये वह सही है लेकिन मेरे नजदीक वह बिलकुल गलत थी लेकिन क्रांतिकारिता इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आप युवा शक्ति के अन्दर गलत विश्वासों को पैदा करके कोई क्रांति नहीं कर सकते । इस बात को फ्रांस के युवावर्ग ने माना है और इस बात को जीन पाल सार्त्रे और डी ब्र, जैसे उनके नेताओं ने आज अच्छी तरह से समझ लिया है । (एक आवाज . . . जय प्रकाश जी भी तो वही कह रहे हैं ।) नहीं, यह बात नहीं है, जय प्रकाश जी तो आज पार्टीलेस डिमोक्रेसी चाहते हैं तो कहीं आप भी कहीं पार्टियों को तोड़कर बातें करने की न सोचने लग जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गर्ग जी, सीधे, बातचीत न करें तो अच्छा रहेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यही कह रहा था कि फ्रांस की क्रांति से जो नतीजा निकलता है वह यही है कि युवाशक्ति का मजदूर वर्ग के साथ जोड़कर चलना होगा । और यदि आप युवाशक्ति को या जितने गरीब लोग हैं या पिछड़े लोग हैं जितने मजदूरवर्ग के लोग हैं उनका रहनुमा बनाकर नहीं चलना चाहते तो आप विश्वक्रांति में हिस्सा लेने के लिये तैयार नहीं हैं । हिन्दुस्तान में युवाशक्ति को इस बात के लिये उठाइये कि वे अपना रिश्ता मजदूर वर्ग के साथ

जोड़ें । आज गुजरात और बिहार में जो आन्दोलन हो रहे हैं क्या उसमें मजदूर वर्ग को साथ लेकर आन्दोलन किये जा रहे हैं । या जनतंत्र और समाजवाद को तोड़ने के लिये किये जा रहे हैं । इस पर हमें विचार करना चाहिये । (एक आवाज. . रेलवे हड़ताल के बारे में आपका क्या विचार है ?) आज उसी रेल की हड़ताल ने मजबूर कर दिया इस सरकार को कि वह जगह-जगह पर छापे मारे और गल्ला निकलवाये, उस हड़ताल से क्या फायदा है कि जो जनता की आवश्यकताओं को दिखाते हुये सरकार को मजबूर न कर दे कि वह अपनी नीति को बदले । आन्दोलन वह होते हैं जिसमें कि जनता की समस्याओं को उठाया जाता है । और ऐसे उठाया जाता है जिससे सत्ताधारी वर्ग सचमुच में महसूस करे कि उसे अपनी गलत नीतियों को बदलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय गर्ग साहब, आपका समय समाप्त ।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग---

तो मैं कह रहा था कि अगर आप शिक्षा केंद्रों को बन्द करेंगे तो कोई क्रांति नहीं आयेगी आप केवल नई पीढ़ी मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ।

श्री ए० सी० ग्राइस (जिला कानपुर)---

चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया । मैंने गौर से शिक्षा मंत्री के भी भाषण को सुना और मिस्टर मलिक के भी भाषण को सुना । मुझे अफसोस है कि मलिक साहब नवजवान हैं इसलिये जो आपने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसमें ज्यादा ताकत नहीं है । उन्होंने शायद देखा नहीं है कि शिक्षा में क्या हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछले तीन-चार सालों में कितना आगे बढ़े हैं । प्राइमरी शिक्षा में, या सेकेंडरी एजूकेशन में, हाई स्कूल बोर्ड में क्या-क्या हो रहा है । मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि उनको भी इस साल हाई स्कूल बोर्ड में रख दें तो वह भी देख लें कि वाकई में क्या हो रहा है । जो हालत पांच साल पहले थी आज वह हालत नहीं है । बहुत खराब हालत थी । लोगों को दिलचस्पी ही शिक्षा के बारे में कितनी है । मलिक साहब यहां ही देखें कि कितनी दिलचस्पी है । कोई दूसरी डिमांड रहती तो 425 और 426 में से दो सौ से भी अधिक आदमी होते लेकिन आज शिक्षा के डिमांड पर 40-50 आदमी से ज्यादा आदमी ज्यादा जन नहीं हैं । इससे यह पता चलता है कि मेम्बरान को दिलचस्पी नहीं है । जब मेम्बरों को दिलचस्पी नहीं है तो दूसरों को कितनी दिलचस्पी हो सकती है।

परन्तु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 करोड़ या 7 करोड़ बच्चों की बात नहीं है । आप तो पढ़े लिखे काफी हैं, आप जानते होंगे कि बेसिक एजूकेशन में या प्राइमरी एजूकेशन में 10 परसेंट बच्चे तो स्कूलों में ही नहीं जाते । मैं विलेजेज में जा चुका हूं । मैं देहातों में भी देख चुका हूं, अरबन एरियाज को भी देख चुका हूं काफी स्कूल ही नहीं हैं जहां सब बच्चे पढ़ सकें । परन्तु जब भी जितने बच्चे जाते हैं । आपने सरकार से कहा है कि सरकार यह नहीं कर रही है, वह नहीं कर रही है । सरकार को कमीना कहा है । लेकिन टीचर्स के लिये एक भी लफ्ज नहीं कहा है । आज स्कूल और कालेजों में टीचर्स की वजह से ही तकलीफ हो रही है । टीचर प्राइवेट ट्यूशन मांग रहा है, वेतन मांग रहा है और वेतन के लिये आन्दोलन कर रहा है । वह किसके लिये कर रहा है । स्टूडेंट्स के लिये नहीं । वह अपने लिये कर रहा है । टीचर को तनख्वाह मिले और सारी फैसिलिटीज मिलें लेकिन स्टूडेंट्स की उनको कोई जिक्र नहीं है ।

[श्री एस० बी० ग्राइस]

लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ ? क्या स्टूडेंट्स ने किया ? नहीं । यहां के टीचस न सब कुछ कराया । हाई स्कूल के एक्जामिनेशन का जब-जब समय आता है तो लड़के हड़ताल करते हैं । लड़के नहीं करते हैं बल्कि टीचर्स कराते हैं और अपना वेतन बढ़ाने के लिये करवाते हैं । मलिक साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । टीचर्स ही यह सब करा रहे हैं । टीचर्स हरामखोरी कर रहे हैं । फिजूल तनख्वाह मांग रहे हैं । अब मैं आपको बताऊं कि हाई स्कूल में क्या हो रहा है। बोर्ड का इन्तजाम अलग हो गया है । पहले एक्जामिनेशन बुक्स करेक्शन के लिये भेजी जाती थीं । मेम्बर नाम देते थे ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

ग्राइस साहब ने अध्यापकों के लिये "हराम खोर" शब्द का प्रयोग किया । यह अच्छा शब्द नहीं ।

श्री ए० सी० ग्राइस--

मैंने उस सेंस में नहीं कहा ।

श्री अधिष्ठाता--

उनको हिन्दी बोलने का अभ्यास कम है । हरामखोर शब्द अध्यापकों के लिये ग्राइस साहब जैसा आदमी जिसने सारा जीवन शिक्षा मेंलगाया है, उनके द्वारा प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

श्री ए० सी० ग्राइस--

हम कहते हैं कि नमकहराम कह दीजिये या कोई भी शब्द कह दीजिये । वह काम नहीं कर रहे हैं । यह सेंस है । हिन्दी मेरी भाषा नहीं है । अगर अंग्रेजी में कहें तो मैं कह दूं । मेरी पैदाइश यहीं की है और यहीं मरूंगा। इस हाउस में नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में । बच्चों की एजूकेशन सब चीजों से मिली हुई है । जैसे फूड, एनवायरनमेंट, क्लोथ्स और होम । बच्चों न खाना नहीं खाया, पेट खाली है तो स्कूल में जाकर क्या पढ़ेगा घर में मां बाप लड़ रहे हैं । तो बच्चा क्या ले जायेगा साइकलोजी स्कूल करने के लिए । यह सब चीजें वर्क करती हैं ऐज ए होल । यह आप नहीं कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा खराब है । यह नहीं कहते हैं कि उनकी फैमिली में जाये । वहां पर देखें । बच्चों के साथ क्या बिहेवियर करना चाहिये । उनको कैसे स्कूल भेजना चाहिये । हमारी कम्युनिटी में यह है । हमारे यहां 5-6 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे हमने उनका कांवेंट में दाखिला करा दिया । हमसे वहां उनकी मदर ने कहा कि उनको पैदल जाना पड़ता है । तो मैंने कहा कि बस के पैसे दे देंगे । फिर वे स्कूल नहीं गये । उनकी मदर ने कहा कि उनको बाजार से सौदा लाना पड़ता है । बिना बाजार गये काम नहीं चलता है। जब तब वे बाजार से लौटते हैं तब तक स्कूल का समय चला जाता है । आपने शायद टू हेडेड स्नेक देखा होगा । आपन शायद वह सांप देखा होगा जिसके दो सिर हैं । आपने देखा है। जब एक सिर चलता है तो दूसरा नहीं चलता है और जब दूसरा चलता है तो पहला नहीं चलता है । अब बेसिक एजूकेशन और हायर एजूकेशन के अलग रखने की बात है । नाट ओनली प्राइमरी एजूकशन बट आलसो हायर एजूकेशन इन्टीग्रेटेड। सबको प्राइमरी से नहीं शुरू करना चाहिये । आपका कुछ हो नहीं सकता । एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि....

श्री अधिष्ठाता--

आप कितना समय और लगे ।

श्री ए० सी० ग्राइस—

5 मिनट ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं ।

श्री ए० सी० ग्राइस—

टेक्सट बुक्स के बारे में कहना चाहता हूं । मैंने देखा । आपको पता है कि एक्जामिनशन्स में क्या हो रहा है । एक्जामिनेशन्स हो नहीं पायेंगे, क्योंकि कागज नहीं है । बिलकुल नहीं है । कागज स्कूल को नहीं मिल रहा है । टेक्स्ट बुक्स के लिये कागज का इन्तजाम कर दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि हर स्कूलों में कागज भेज । मंथली, मिड टर्म एक्जामिनेशन्स के लिये भेजें । हर स्कूल को कोटा दिया जाये या कागज भेजे । कागज नहीं मिल रहा है । नेशनलाइजेशन आफ बुक्स आपने कर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि स्कूल बुक्स शुड बी ओपेंड । आप प्रेसक्राइब कर दें कि फलानी फलानी बुक्स स्टेन्डर्ड बुक्स हैं । वह एक्सेप्ट हो सकती हैं । उनको एक लाइन पर लाना है । नेशनलाइजेशन आफ बुक्स रखिए । जो किताब स्टैंडर्ड हो उसे रखना चाहिये । आखिर में मुझे यह कहना है आपसे कि आपने टीचरों की सैलरीज बढ़ा दी, आपने मेरी आफत कर दी, ऐंग्लोइंडियन स्कूलों की । बहरहाल अच्छा करा आपने, परन्तु डबुल स्टैंडर्ड यहां आप रखिये, आप एक स्टैंडर्ड रखिये । प्राइवेट ट्यूशन बन्द कर दीजिये । प्राइवेट ट्यूशन बिलकुल स्कूलों में बन्द हो जाय । आप लोगों को काफी तनख्वाह दिया है, परन्तु प्राइवेट ट्यूशन नहीं बन्द करेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा । बस इतने ही शब्द आपसे मुझे कहना है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अधिष्ठाता महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूं जो बनारस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की हत्या के बारे में है । श्री संतोष कुमार बनारस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे । विद्यार्थी परिषद के श्री विपिन बिहारी, उन की हत्या की एक सदस्य राम नरेश सिंह ने । इनकी हत्या कांग्रेस यूथ ब्रांच के और सी० पी० आई० के लोगों ने की । एक यूथ करीब 8–10 महीने पहले हिन्दुस्तान से सी० पी० आई० बर्लिन गया था मुझे बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से सूबे के मुख्य मंत्री के लड़के भी वहां पर गये थे और वहां से लौटे हैं तो तौलिया, चम्मच, शराब की बोतलें वहां से चोरी करके लाये हैं । सोचिये इसी में हो न हो तो पता कर लीजियेगा और आज शिक्षा मंत्री साहब ने जिस अन्दाज से बजट के बारे में बातें कही अगर यह सदन क बाहर होते तो दूसरीतरह से उनको जवाब दिया जाता । लेकिन यहां पर एक परम्परा डिमोक्रेसी है, एक मजबूरी है, इसलिये माना जा रहा है ।

शिक्षा मंत्री साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप कौन सी शिक्षा चला रहे हैं । इन विद्यार्थियों को देश से जोड़ने वाली शिक्षा दिला रहे हैं या विद्यार्थियों को देश से तोड़ने वाली शिक्षा चलाना चाहते हैं । आपकी शिक्षा उसी प्रकार से जैसे मृगमरीचिका को दूर से देखने से ऐसा लगता है कि पानी ही भरा पड़ा है परन्तु जब उसके पास आ जाय तो वहां पर बालू का समुद्र दिखाई पड़ता है । तो इसी प्रकार से शिक्षा भी शिक्षा मंत्री जी की वही है जो कक्षा 1 में पढ़ने जायगा तो वह यह सोचेगा कि कक्षा 5 तक पढ़ लो उसके बाद कुछ मिलेगा कर लेंगे— उसके बाद सोचा कि कक्षा 10 तक पढ़ लो तब कोई बिजनेस या नौकरी मिल पायेगी । इसी प्रकार से बी० ए० तक तथा एम० ए० तक पढ़ लेता है कि कोई नौकरी कर लेंगे ।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

परन्तु एम0ए0 करने के बाद भी न तो उसको को ईज्ञान मिल पाता है और न तो रोजगार ही मिल पाता है । वही आकर्षण आप पूरे देश में फैला रहे हैं ।

आपके शिक्षा का कोई बैरोमीटर तो हैनहीं मौसम का होता है कि कब सूखा पड़ेगा और कब बर्षा होगी । मंहगाई बढ़ रही है तब भी शिक्षा चलती रहेगी, जब आचार्यनरेन्द्र देव कहगे कि शिक्षा खराब है, मुदालियर राधाकृष्णन साहब कहेंगे, तब भी शिक्षा नीति चलती रहेगी। कुठारी कहेंगे, तब भी शिक्षा चलती रहेगी, जब महात्मा गांधी कहेंगे तब भी यह शिक्षा चलती रहेगी । आपके पास कोई मापदंड नहीं है शिक्षा का । जब आपकी शिक्षा नीति एकदम फल हो गई तब भी वही नीति अख्तियार कर लिया । आपकी शिक्षा की नीति उसी प्रकार स जिस प्रकार से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ।

और जो व्यवस्था को चला रहे हैं तो कितनी खतरनाक बात होती है । हमारी प्रधान मंत्री बोलेंगे शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिये, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैंऔर खाने के और होते हैं ।बोलेंगे कि हमारी शिक्षा मेंपरिवर्तन हो लेकिन डाक्टर राम जी लाल सहायक शिक्षा की उसी नीति को चलायेंगे जो पिछले 50 साल से चल रही है ।मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप शिक्षा नीति को क्यों नहीं बदलते हैं कौन से कारण हैं । क्या चीन ने आपको मना कर दिया है या अमरिका ने विटो पावर का प्रयोग कर दिया या रूस ने आपको रोका है लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं । आज आप शिकंज में जकड़े हुए हैं । आपकी हायर एजूकेशन केलीफोर्निया के हाथ में है । रोक फैलर या फोर्ड फोन्डेशन सी0आई0ए0 से पैसा लेकर आपके सिलेबस तय किये जाते हैं । आज आपकी शिक्षा एक मोटे आदमी की भांति है, जिसका पैर भी पतला हो, बीच का ढांचा भी मोटा हो लेकिन ऊपर का हिस्सा पतला हो गया हो । इंटर मीडिएट स्तर पर कुछ फैलेगे और फिर आप सिकुड़ जायेंगें ।

परसों ही विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य दिया कि स्नातकोत्तर कक्षायें जो हैं, उनका अध्ययन एफिलिएटड कालेजेज से नहीं होगा । आप ऐसा करके भी शिक्षा का प्रसार चाहते हैं । इस वर्ष हाईस्कूल में 4 लाख विद्यार्थी फेल हुए हैं । शिक्षा महंगी है और उसक बाद भी फेल किया जाता है फिर भी कहा जाता है कि शिक्षा का विकास हो रहा है, सूबे का विकास हो रहा है ।मैं नहीं समझता कि जब शिक्षा के दरवाजे बन्द होते जा रहे हैं, तो हमारे नौजवान कहां जायेंगे उस परिवार का क्या होगा, जिसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं होता है और उनके लिये शिक्षा संस्थाओं में दरवाजे भी बन्द कर दिये जाते हैं? तो वे गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर होंगे मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करें । आज के विद्यार्थी शिक्षा संस्थाओं में, कक्षाओं में नहीं जाते हैं, या तो वे बगल के सिनेमा हाल में सिनेमा देखते हैं, या शराब खानों में शराब पीते हैं और या किसी के घर बैठकर जुआ खेलते हैं ।

मैं आप से 5 साल बाद पूछूंगा कि आप क्या कर सकते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरता से सोच रहे हैं या नहीं ? आज सूबे में कहीं पर 2 आने की कहींपर 6 आन की और कहीं पर 12 आने की शिक्षा हो रही है । महापालिका के स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे चपरासी से अधिक नहीं बन सकते हैं । अंग्रेजी स्कूलों में कलेक्टर तक बन सकते हैं । इस प्रकार से समानता और बराबरी की बात करना केवल बेवकूफी की बात करना है । आज नौजवानों का ज्यादा हिस्सा बे पढ़े लिखों का है । आज जो विद्यार्थियों की भीड़ होती है, उसे आत्मसात नहीं कर सकते हैं । जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था में दोष है, जाति पांत का क्षेत्र है, उसी प्रकार से आपकी शिक्षा में भी दोष आ रहा है ।विद्यार्थियों को ज्यादा फेल किया जाता है और जब वे कोई आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज करते हैं तो उसे आपको अनुशासनहीन बताया जाता है ।

एक सदस्य—

आपके सुझाव क्या है?

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

जहां तक सुझावों की बात है, राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट्स को पढ़ लीजिये ?

मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिये । सब ने अपनी-अपनी सिफारिशें दी हैं लेकिन जिसके सुझाव और सिफारिशें आप मान रहे हैं ? सुझाव तो बहुत से मिल रहे हैं लेकिन फिर यह कहना चाहता हूं कि जब विद्यार्थी देखेगा कि आपकी शिक्षा व्यवस्था खराब है और जब जयप्रकाश नारायण कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था खराब है तब तो विद्यार्थी अनुशासनहीन हैं, देशद्रोही है और जगतक कहे कि सरकार बड़ी अच्छी है तब तक जे0पी0 बड़े अच्छे हैं और विद्यार्थी और नौजवान अनुशासित है और देश-भक्त उसे आप मानेंगे । जब शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिये सरकार के पाये टूटने लगेंगे तब विद्यार्थी अनुशासनहीन और देशद्रोही हो जायंगे । इसलिये शिक्षा मंत्री साहब से एक बात बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं के हाथों के अन्दर नहीं बदली जायगी, जब कक्षाओं में बैठकर शिक्षक वर्गशिक्षा को बदलनेकी बात नहीं सोचेगा और विधान सभा भी उसे बदलनेकी बात नहीं सोचेगी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी और नौजवान विधान सभाओ से बाहरनिकल कर, शिक्षण संस्थाओं से बाहर निकलकर सड़कों पर आयेंगे और आपकी शिक्षा के विरुद्ध आन्दोलन करेगा । जयप्रकाश नारायण तो आज कह रहे हैं । "दो साल पहले शिक्षा नीति बदलो" सम्मेलन बनारस में हुआ था और उसमें नौजवान और विद्यार्थियों ने फैसला किया था कि ऐसी शिक्षा को छोड़ देना चाहियें ।

मैं आखिर में एक शब्द कहूंगा । मैं बनारस से आपके लिए एक तोहफा लाया हूं । मैं बनारस गया था और इलाहाबाद गया था और वहां विद्यार्थियों और नौजवानों से बात चीत हुई । उनको एडमीशन नहीं मिल रहा है, प्रवेश नहीं मिल रहा है । उनका कहना था, उसे मैं दोहराना अपना फर्ज समझता हूं, कि यह शिक्षा व्यवस्था बांझ है, बिल्कुल बेकार है और जो शिक्षा मंत्री इसको चला रहे हैं उनको तोहफा में भेंट कर दूंगा । अधिष्ठाता महोदय, वह तोहफा मैं आपके पास भेजता हूं । अगर आप कहें तो मैं आपको अर्पित कर दूं और आप उनको दे दीजियेगा ।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश ने कुछ चूड़ियां बाहर निकालीं)

आप इनको दे दीजियेगा ये चूड़ियां हैं शिक्षा मंत्री जी को ।

श्री अधिष्ठाता—

यह आपके लिये मुनासिब नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अगर पहनाना होता तो आपके लिए नहीं लाता....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इस माननीय सदन केभीतर इस प्रकार का प्रदर्शन अच्छा नहीं है ।

बाबू शशि प्रभाकर सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय इस बात की अपेक्षा की थी कि संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत हम इस बात का प्रयास करेंगे कि 14 वर्ष केबालक-बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके । इसमें संदेह नहीं कि आजादी के बाद ग्रामीण और शहरी-दोनों क्षेत्रों में बालक बालिकाओं में शिक्षा के प्रति बड़ा उत्साह है और उनके अभिभावक यह महसूस करते हैं कि उनके बच्चों को उचित शिक्षा मिलनी चाहिये किन्तु दुख इस बात का है कि इन वर्षों में शिक्षा में परिमाणात्मक सुधार हमने जरूर कर लिया है, लेकिन शिक्षा का जो दूसरा पहलू है उसमें गुणात्मक सुधार वह भी होना चाहिये । उसकी ओर हमारा यथेष्ट ध्यान नहीं गया । हमें केवल इसी पर नहीं संतोष कर लेना है कि हमने प्रायमरी पाठशालाओं या माध्यमिक शिक्षा संस्थाओ को बहुत बड़ी तादाद में खोल दिया है, बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि क्या इन शिक्षा संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था है जो आज हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करती है ।

अगर इस बात को हम आधार मान कर विचार करें तो मुझे यह कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर बहुत त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है । देहाती क्षेत्रों में प्रायः बालकों और बालिकाओं के स्कूलों के भवनों का अभाव है । आजा ी के 27 वर्षों बाद भी ग्रामीण क्षेत्रो में न मालूम कितने विद्यालय पेड़ के नीचे लग रहे हैं और जब कड़ी धूप होती है या तेज वर्षा होती है तो उनकी पढ़ाई बन्द हो जाती है । यही नहीं, अधिकांश पाठशालाओं में आपको तख्तेस्याह नहीं मिलेंगे । पाठशालाओं में जो नियुक्त अध्यापक हैं वह समय से आते नहीं हैं । यह एक ऐसी अव्यवस्था है जिसे सब से पहले दूर करने की जरूरत है । लेकिन इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है और अफसोस इस बात का है कि हमारा समाज भी आज इतना जागरूक नहीं है कि इन त्रुटियों को दूर करने के लिए कोई ऐसा आन्दोलन शुरू कर दे जिससे यह अव्यवस्था दूर हो सके ।

इस संबंध में प्रशिक्षण के बारे मेंदो ब.तें कहना चाहूंगा, हमारी प्राथमिक पाठशालाओं में जो शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं वह प्रायः अपने घर के करीब के होते हैं। अपेक्षा भी यह की जाती है कि ऐसे शिक्षक अपने पड़ोस को सुधारने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे । लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । घर से निकट होते हुए भी वह समय से पाठशाला नहीं पहुंचता है । मेरा यह सुझाव है कि एक जिले का अध्यापक उसी जिले में कतई न रखा जाय । उसे पड़ोस के जिले में रखा जाय । मैं ज्यादा दूर भेजने के इसलिये पक्ष में नहीं हूं कि इतना वेतन और सहूलियतें हम नहीं देते हैं । इसमें विभाग को कुछ व्यय नहीं करना है । एक इसके लिये स्पष्ट आदेश या नियम बन जाना चाहिये । दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि इस साल इस बात का बड़ा शोर है कि बी0टी0सी0 के लिये अध्यापक भरती किये जायेंगे । ऐसा प्रतीत होता है कि बी0टी0 सी0 की भरती के लिये उन लोगों को प्राथमिकता दी जायगी जो स्नातकोत्तर या स्नातक या इंटरमीडिएट परीक्षायें उत्तीर्ण होंगे और साथ ही साथ श्रेणी अच्छी होगी ।

सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है । लेकिन व्यवहार में जब यह चीज आयेगी तो मैं आपको अभी यह बता रहा हूं कि ऐसे लोग जिनसे यह अपेक्षा की जा रही है कि स्नातक होने के नाते वह शिक्षा को एक दिशा देंगे, जिन आधारभूत बातों की वहां कमी है उनको उत्पन्न करेंगे, लेकिन मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि वहां पर जाकर ये कहेंगे कि हमारे पास तो बी0 ए0, एम0ए0 की डिग्री है और प्रधानाध्यापक, जो इतने दिनों सेवहां काम कर रहा है और योग्यता में उनसे हीन है, उसके मातहत वह कैसे काम करें । इसके अलावा वह देखेंगे कि उनकी योग्यता के लोग उनसे अच्छा वेतन पा रहे हैं । तो इस तरह से वह अपेक्षित काम नहीं

करेंगे । सारी ट्रेनिंग 7–8 महीने में खत्म हो जायगी और हम उन्हें एक वर्ष के बाद प्राथमिक पाठशालाओं में भेज कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं कि काम ठीक हो रहा है । यह सोचने की बात है कि किस तरह से हम क्रमिक परिवर्तन करें कि जो हमारा अपेक्षित उद्देश्य है वह पूरा हो सके।

दूसरी चीज में इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि उनके प्रशिक्षण की जो अवधि आपने एक वर्ष की या 9 महीने की रखी है वह अपर्याप्त है। इसको और लम्बी करने की जरूरत है। साथ ही उनको अधिक सुविधायें भी देना होगा और अच्छा वेतन भी देना होग। बिना इसके किये कोई आधारभूत परिवर्तन हो सकेगा और यह सम्भव नहीं है।

दो शब्द में माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि शासन ने इन शिक्षकों के वेतन मान को राजकीय स्कूलों के शिक्षकों के समान किया और उनकी मांग को स्वीकार किया। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि उन अध्यापकों की कार्य क्षमता आज गिरती जा रही है क्योंकि वे यह सोचते हैं कि अब उनको वेतन तो निश्चित समय से मिल ही जायेगा। और जो वेतन वृद्धि आदि है वह भी समय से मिल जायेगी। पहले उनके द्वारा यह रोना रोया जाता था कि उनका वेतन कम होने से वे कुण्ठाग्रस्त हैं, वे ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं पाते है आदि आदि, और यह कहते थे कि यदि उनका वेतन मान ठीक कर दिया जायगा तो सभी बातें ठीक हो जायेंगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके वेतन मान के बढ़ने से सारी बातें ठीक नहीं हो पायीं है। बातें तब ठीक होंगी जब उनके चुनाव की पद्धति में सुधार होगा और अच्छे तथा योग्य अध्यापकों का चुनाव होगा। आज चुनाव योग्यता के आधार पर न होकर स्थानीय दबाव के आधार पर होता है। मेरा सुझाव यह है कि अब इन अध्यापकों का चयन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होना चाहिये। जब आप ऐसा करेंगे तभी कुछ सुधार हो सकेगा वरना नहीं।

एक बात और कहना चाहता हूं। माध्यमिक शिक्षा के इन अध्यापकों को जो पेन्शन मिल रही है वह बढ़ती हुई मंहगायी को देखते हुये अपर्याप्त है हमें उनको इतनी पेन्शन अवश्य दें सकें जिससे कि वे आज की मंहगायी में जिन्दा रह सकें और शिक्षा सेवा से मुक्त होने के बाद अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री यमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सत्तारूढ़ दल का ध्यान खास तौर से कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमती मोहसिना किदवाई ने कहा था . . .

अधिष्ठाता—

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संसदीय परम्पराओं में अपने से पूर्व वाले किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया जाता वरन्, माननीय सदस्य के क्षेत्र का नाम या पूर्व वक्ता महोदय कह कर कुछ संकेत किया जाता है। आप लोग जो सीधे बातचीत शुरू करते यह उचित नहीं है। आप अधिष्ठाता महोदय या अध्यक्ष महोदय को ही सम्बोधित करके उनके माध्यम से कुछ कह सकते हैं।

श्री जमुना प्रसाद बोस—

मैं यह कह रहा था कि अभी मुझ से पूर्व कांग्रेस पक्ष से एक माननीया सदस्या ने यह कहा कि बेसिक शिक्षा की ओर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये अगर हमारी नीव मजबूत नहीं है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जमुना प्रसाद बीस]

तो हमारा विकास नहीं हो सकता। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि बेसिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों के एडमिशन आदि में जो गड़बड़ियां है उनको पहले दूर कीजिये। बी0 एड0 में जब उनका दाखला होता है तो उनसे रुपया लिया जाता है। बुन्देलखन्ड में कई जिलों में जसे उरई है, बांदा है, तथा कई अन्य जिले हैं जहां बी0टी0 सी0 के दाखिले के समय पर 2 सौ रुपया, हजार-हजार रुपया और 2 हजार रुपये लिये गये हैं। यह अध्यापक जब ट्रेनिंग पाकर निकलेंगे तो वह बच्चों को क्या पढ़ायेंगे कैसे उनका चरित्र निर्माण करेंगे, जिनसे दाखिले के लिये 2 सौ, हजार, हजार रुपये लिये गये हैं। तो इस अव्यवस्था को दूर करना चाहिये। म 2–3 चीजों की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। वह दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये।

स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि एजूकेट दी वीमेंस, इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा दो तभी देश की उन्नति होगी। यह बात उन्होंने 1902 में कही थी। तो जो शिक्षा प्रणाली है उसमें परिवर्तन करना होगा। जो लड़के या लड़कियां फेल हो जाते है। तो उनको दूसरे साल फिर सभी सब्जेक्ट्स में परीक्षा देनी पड़ती है। वह चाहे उन सब्जेक्टस में पिछले साल पास ही क्यों न हो गये हों। जैसे यदि कोई छात्र 5 सब्जेक्ट्स में से 2 में फेल हुआ हो तो दूसरे साल उन्हीं दो सब्जेक्ट्स में उनकी परीक्षा होनी चाहिये। इससे उनका समय बचेगा और उनके पैसे की बचत होगी।

मेरा एक सुझाव यह भी है और वह लड़कियों की शिक्षा के बारे में है। बहुत कुछ लड़कियों की शिक्षा शादी ब्याह से भी संबंधित होती है। जसे यदि कोई लड़की यदि 9 वें या 11 वें में यदि फेल होती है तो उनको दाखिला चाहे 10 वें या इंटरमीडियेट में न दें पर उनको यह सुविधा मिलनी चाहिये कि वह प्राइवेट परीक्षा में बैठ सकें जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें बैठ सकें। यह बात ऐसी है जिसकी हमारे देश की लड़कियों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

अभी मैंने देखा कि लड़कों की शिक्षा पर 1 अरब 2 करोड़ की रकम और लड़कियों पर केवल 7 करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान है। इस तरीके से यदि लड़के की शिक्षा पर 15 रुपये का खर्च आता है तो दूसरी ओर लड़की की शिक्षा पर केवल 1 रुपया ही खर्च किया जा रहा है। यह फर्क नहीं होना चाहिये। जो आपकी यह प्रगति पुस्तिका है उसमें आंकड़े दिये गये हैं यदि लड़कों की संख्या 20 लाख है तो वहीं दूसरी ओर लड़कियों की संख्या 5 लाख है। अगर देखा जाय तो एक ही चौथाई यह है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री इसमें आमूल परिवर्तन करें। यह आमूल परिवर्तन इस देश के, खास तौर से वह विद्यार्थी जो फेल हो जाते हैं, और उन बालिकाओं को जो फेल हो जाती हैं, उनके उत्थान के लिये एक बहुत आवश्यक कदम होगा।

दूसरे आप देखें इस पुस्तक के आंकड़ों में तो कहा गया है कि स्कूलों के संबंध में काफी प्रगति हुयी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी तमाम स्कूल ऐसे ह जहां कि बच्चों के बैठने के लिये न तो बिल्डिंग्स है न तो टाट ही हैं और न श्यामपट ह। अध्यापक भी महीनें में केवल 2 दिन या 5 दिन पाठशाला में आते हैं, शेष 28 दिन या 25 दिन वे पाठशाला नहीं आते है। कारण यह है कि अध्यापक का वेतन निकाल लिया जाता है और एस0 डी0 आई0 और अध्यापक में आधा-आधा बंट जाता है। हमारे बांदा जिले में यह खास तौर से होता है। दूसरी चीज प्राविधिक शिक्षा है जिसके लिये आपने बजट में प्राविधान किया है। इसक बारे में मैं पूंछना चाहता हूं कि बुन्देलखंड क्या इसके लिये नहीं है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा तथा ललितपुर इसके अन्तर्गत आते हैं। आपने सिर्फ झांसी को छोड़ कर अन्य चार जिलों म प्राविधिक शिक्षा के लिये कुछ भी नहीं रखा है। तो मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा का विकास न हो। वहां आप बड़े पैमाने पर शिक्षा को फैलावें।

लेकिन आप यह भी सोचिये कि बुन्देलखंड भी एक स्थान है जहां आदमी रहते हैं, वहां भी गरीबी है इसलिये उनका भी विकास हो इसके लिये टेक्निकल एजूकेशन का प्राविधान आप कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि जो उपेक्षा बुन्देलखंड में की गई है वह प्रशासन के लिये कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि खासतौर से बुन्देलखंड में ललितपुर के हमीरपुर, बांदा और जालौन में प्राविधिक शिक्षा का प्राविधान किया जाय। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांदा जनपद में ऐसी चीज हुई है जिस पर आप शायद विश्वास न करें। तो आप सुन लीजिये कि बांदा जनपद में राजकीय बालिका विद्यालय है जहां 45 प्रतिशत से कम नम्बर वाले विद्यार्थियों को आगे की कक्षा नहीं दी जाती है, यह खासतौर से कक्षा 9 तथा 11 में होता है, जिससे हाई स्कूल और इण्टर का रेजल्ट अच्छा बन सके जबकि गवर्नमेंट का नियम है कि 33 प्रतिशत नम्बर पाने वाले विद्यार्थी को पास कर दिया जाता है।

श्री मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में और आज हमारे शिक्षा मंत्री जी अपने अनुदान के बजट में भी इस एक अहम शिक्षा के विषय में कुछ सुधार के सुझाव रखे। मैं पूरे तौर पर उनका समर्थन करता हूं और कुछ अपने सुझाव के तौर पर इस विषय पर तथा कुछ प्रार्थना के तौर पर कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके बगैर इन्सान की जिन्दगी का कोई विकास हो ही नहीं सकता है। इन्सान चाहे जो कुछ करे चाहे वह खेती करे, नौकरी करे या मजदूरी करे हर जगह इसकी जरूरत है। यदि किसी की तालीम ठीक नहीं है तो वह एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है। इसके पहले कि मैं आपके सामने दो-चार सुझाव रखूं मैं अपने साथी श्री मलिक साहब की बात सुनकर के कि जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया, से यह कहना चाहता हूं कि हमें उम्मीद थी, कि उनको बहुत ज्यादा जानकारी है उनकी (Fresh study) है। और वह अभी एक विद्यार्थी जीवन से निकल कर तशरीफ लाये हैं तो वह यह बताते कि स्कूलों में इम्तिहान के समय जो नकलें होती हैं तथा बिना मतलब के विद्यार्थी आन्दोलन जो होते हैं या स्ट्राईक होती है तो उनका क्या इलाज है।

(इस समय 3 बज कर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसका क्या इलाज है। उनको बहकाकर कोई भी सियासी पार्टी अपना काम निकाल लेती है। या जो विद्यार्थी कुछ बेरोजगार है उसमें सरकार को क्या करना चाहिये। बेहतर होता अगर इस तरह के सुझाव वह देते। लेकिन जनाब अध्यक्ष महोदय, उन्होंने वही अपना अपोजीशन वाला पार्ट अदा किया जिससे यह नतीजा निकलता है कि अगर कांग्रेस बेंचज की तरफ से यह कहा जाय कि दिन के पौने चार बजे हैं, तो आपोजीशन की तरफ से यह कहा जायेगा कि नहीं, दिन के नहीं रात के पौने चार बज हैं। मैं समझता हूं कि अगर अच्छे-अच्छे सुझाव उनकी तरफ से दिये जाते तो अच्छा होता। हर बात में मुखालफत करना कोई अच्छी चीज नहीं है। इसी तरह से हमारे मुख्य मंत्री के बारे में कहा कि वह हर वक्त गुजरात और बिहार की बात करते हैं। हालांकि वह (opposition) की कठोर से कठोर बात पर पर भी यह कहते हैं कि "सरे तसलीम खम है जो मिजाये यार में आये।"

मान्यवर, हमारे सूबे की 80 प्रतिशत आबादी देहात में रहती है। यह सही है कि 15–20 सालों में हमारे स्कूल की तादाद बढ़ी है और जितने आज पढ़े लिखे लोगों की तादाद है उनकी 15–20 साल पहले तादाद नहीं थी। उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन फिर भी हम इस पोजीशन में नहीं आये कि हर ग्राम सभा में प्राइमरी स्कूल हो जाय। इसलिये मैं चाहूंगा कि कम से कम हर ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल हो जाय। जहां हम लड़को की शिक्षा को जरूरी समझते हैं उतना ही हम लड़कियों की तालीम को जरूरी महसूस

[श्री मोहम्मद असलम]

करते हैं। लेकिन अभी भी लड़कियों की तालीम का अच्छा-खासा इन्तजाम नहीं हुआ है। जो प्राइमरी कन्या पाठशालायें खुली भी हैं उनमें जो लेडी टीचर्स हैं वह शहर की हैं और वह यह बात पसन्द करती हैं कि शहर के आस पास नौकरी कर लें और इन्टीरियर देहातों में नहीं जाती। कागज पर तो स्कूल है लेकिन ताले पड़े हुये हैं। टीचर्स बराबर तनख्वाह पाती हैं और उन बच्चों को कुछ भी फायदा नहीं होता जो उनको होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा प्राइमरी तक एक साथ हो जाय। और जैसा अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि टाटपट्टी नहीं है, भवन नहीं है, वह जो बेकार का खर्चा होता है उस तरफ लगा दिया जाय तो यह चीज बेहतर होगी।

दूसरी बात यह है कि हमारे देहातों में आठवें दर्जे तक तो लड़के वहीं देहात में पढ़ते हैं लेकिन आठवां पास करने के बाद शहर में दाखिला लेना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि जब वह शहर में आते हैं तो उनको रहने के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। मैं सहारनपुर की बात कहता हूं कि वहां पर तो कोई इन्तजाम नहीं है। वह लोग या तो होटल में या किसी रिश्तेदार के पास ठहरते हैं या किराये के मकान में। और तालीम उनकी खराब हो जाती है क्योंकि उनकी आगे चल कर कुछ की आदत खराब हो जाती है होटलों में रहने के कारण। जैसा कहा जाता है कि आगे चलकर तादाद कम हो जाती है यह उसी का कारण है। इसलिये सुझाव यह है कि शहरों में उन देहाती बच्चों का रहने का इन्तजाम होना चाहिये ताकि वह अच्छी प्रकार से तालीम पा सकें। मैं प्रार्थना करूंगा अपने शिक्षा मंत्री जी से कि वह इस बात को बिलकुल जरूरी समझें कि कम से कम देहाती लड़कों के लिये बोर्डिंग हाउस होना चाहिये जहां पर वह रह सकें।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी थी कि पढ़ने लिखने के बाद हर लड़का सोचता है कि सरकारी नौकरी मिले। इसलिये हमारी शिक्षा में इस तरह की तब्दीली लानी चाहिये कि लड़कों का दिमाग नौकरी की तरफ ही न जाये बल्कि यह सोचे कि हम दूसरे काम भी कर सकते हैं। हमारा सूबा खेती करने वालों का सूबा है। इसलिये हर कालेज में एग्रीकल्चर की तालीम जरूर दी जानी चाहिये। टेक्निकल तालीम लड़कों को दी जा सकती है जिससे कि वह आयल इंजन या ट्रैक्टर्स को रिपेयर करने का काम सीख कर अपना काम कर सकें। आज तो गांव का लड़का सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ता है और अगर सरकारी नौकरी न मिली तो अपनी खेती-बाड़ी का धंधा भी छोड़ बैठता है। मैं एक बात आखिरी कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। उर्दू के बारे में हमारी सरकार ने इधर दो तीन साल से कुछ काम किया है। उर्दू जबान वह है जो हमारे हिन्दुस्तान का आईना है उसमें उसकी गारन्टी है। हमारा जो एक सेक्शन जनसंघ का है वह न तो इसकी मुखालफत ही करता है और न मारफत ही करता है। जबान से कहते हैं कि हम मुखालिफ नहीं हैं लेकिन वैसे कहते हैं कि उर्दू अकादमी क्यों कायम कर दी, उर्दू टीचर्स क्यों रख दिये। हमारे एक साथी ने तो यहां तक कहा कि उर्दू ऐसे है जैसे एक रेशम की साड़ी में टाट का पैबंद। मैं समझता हूं कि इस जमहूरी मुल्क में रेशम की साड़ी में टाट के पैबंद हैं, और उनका यह कहना ही उर्दू की सबसे बड़ी मुखालफत करना है। उनका रूख तो ऐसे ही है कि:

खूब परदा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं,
साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मैं शिक्षा के बजट का विरोध करते हुए और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज इस सरकार का शिक्षा के सम्बन्ध में क्या

दृष्टिकोण है, पूरे बजट में कहीं भी समानता देखने को नहीं मिलेगी। जिस सरकार के नेतृत्व में पूरे हिन्दुस्तान तथा प्रदेश में कई तरह के स्कूल चलें जैसे मुफ्त पढ़ाई वाले, दो आने फीस वाले, 15 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये तथा 200 रूपये महीना फीस वाले स्कूल जहां चलें वहां समानता कैसे आ सकती है ? जहां तक एक तरफ स्कूलों में बैठने के लिये टाट पट्टी न हो, जहां पर बच्चे दुद्धी गिरा देते हों तो मास्टर साहब से शिकायत करें कि अमुक लड़के ने दुद्धी गिरा दी, जहां पर बच्चे एक दूसरे पर धूल फेंकते हो, गाली गलौज करते हों और जहां पर मास्टर घर पर काम करता हो और बहुत कम समय स्कूल में आ कर बच्चों को पढ़ाता हो, जहां पर उसको वेतन 100, 150 रुपया मिलता हो वहां दूसरी तरफ वह स्कूल है जिनमें देश के प्रधान मंत्री का पोता राहुल पढ़ता है, देश के बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता व मिनिस्टरों के बच्चे शिक्षा पाते हैं जिनमें वे बच्चे कांटा चम्मच से लेकर बोलने की तहजीब, नाचने का तरीका तक सीखते हैं ।

आप देखें कितनी बड़ी असमानता है और सरकारी शिक्षा के नीचे यह घनघोर समाजवाद की नीति है ? इस लिये इसमें परिवर्तन होना चाहिये। यह वह शिक्षा पद्धति है जिस की निन्दा आजादी के बाद नहीं उससे पहले भी की जाती थी। यह मेकाले की दी हुई शिक्षा है और बड़े-बड़े विद्वानों ने इसके बारे में यह कहा था कि यह शिक्षा देश के पढ़े लिखे नौजवानों को बेकार बनाती है, केवल क्लर्क बनाती है। आपने मैकाले की शिक्षा पद्धति को मजबूत करके उसका उत्तराधिकारी अपने को सिद्ध किया है। विद्यार्थी अपने जीवन के 18 साल इतनी मंहगी शिक्षा को पाने के बाद, रात दिन आंखें फोड़ने के बाद भी अपने को बेकार पाता है, रोटी व रोजी नहीं पा सकता है तो वह ऐसी शिक्षा पद्धति को मिटा देना चाहता है। इस तरह से देश में तरह तरह की शिक्षा नहीं चलेगी। रोटी और रोजी वाली शिक्षा तो चलेगी लेकिन किताबों का बोझा ढोने वाली शिक्षा नहीं चलेगी। मुख्य मंत्री चाहे कितनी धमकी दें कि बिहार की तरह यहां पर कोई आन्दोलन नहीं चलने दिया जायगा लेकिन मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के बढ़ते हुए असंतोष को दूर नहीं किया गया तो बहुगुणा की सरकार तो क्या दिल्ली में बैठी हुई प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की सरकार को भी नहीं बचाया जा सकेगा ।

आपकी यह शिक्षा अधूरी है, बेकारी को दूर करने वाली नहीं है । आप शिक्षा इस तरह से दें कि कृषि विज्ञान पढ़ने के बाद विद्यार्थी खेती में लगे या कोई नये रोजगार में अपने को लगा सके। लेकिन यह शिक्षा तोते की तरह है। एक बच्चे के ऊपर 15 किताबें, 15 कापी लाद दी जाती हैं । जितना वजन बच्चे का उससे अधिक वजन किताबों का उस पर लाद दिया जाता है। शिक्षा पद्धति की यह देन है। आप कोई क्रान्तिकारी कदम शिक्षा की दिशा में नहीं उठाना चाहते। प्रधान मंत्री का डर इस सरकार पर हावी है। सरकार को गिराने के लिये कांग्रेस दल में ही तरह-तरह की साजिशें चला करती हैं। आई0 ए0 एस0 तथा पी0 सी0 एस0 के झगड़े हैं। आप इस तरह से शिक्षा में परिवर्तन नहीं कर सकते। उल्टे यह शिक्षा साम्प्रदायिकता को जन्म देती है। जब किताबों में बच्चा यह पढ़ेगा कि गुरुनानक के तीन बच्चों को औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिये तो इससे साम्प्रदायिकता भड़कती है। सरकार धर्म निरपेक्ष अपने को भले ही कहे लेकिन यह सब पढ़ कर छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा होती है। इसी तरह से राणा प्रताप का जिक्र इतिहास में ढ़ाया जाता है। लेकिन नई पीढ़ी अगर उस चैप्टर को पढ़ेगी तो बच्चों के अन्दर साम्प्रदायिकता की भावना अवश्य भड़केगी। हर साल आपकी किताबें बदलती हैं, हर साल फीस बढ़ती है आखिर इसका मतलब क्या है?

जब हम लोग बच्चे थे, छोटे-छोटे थे तो उस जमाने में गणित की चक्रवर्ती की किताब बहुत सी होती थीं और बहुत सालों तक यही चलती थी। लेकिन आज किताबें हर साल बदल दी जाती है।

[श्री राम अवतार]

हमारे भाई हरिजनों और पहाड़ की बात करते हैं। हमारे भाई और दूसरे मित्र ठीक ही कहते हैं पहाड़ ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान का गरीब तबका बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने का काम करता है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीबों के बच्चे दिल्ली बम्बई में जाकर, हावड़ा आदि जगहों में जाकर कुली का काम करते हैं, अखबार बेचते हैं रिक्शा चलाते हैं। अपने देश के बारे में ऐसी बातें कहनी बुरी ही लगती हैं। आज इस प्रकार की जोजअसमानता है उसको देखते हुए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की निहायत आवश्यकता है। जब तक शिक्षा समान नहीं होगी, गरीबों के घरों पर खाना नहीं मिलेगा तब तक वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकती। मैं एक हरिजन परिवार की बात करता हूं। यदि उसके दो बच्चे हैं तो एक बच्चा मजदूरी करता है और दूसरे घर की रखवाली करता है। तो जब तक उनमें आत्म निर्भरता नहीं आयेगी तब तक उत्तर प्रदेश की गरीबी नहीं मिट सकती है। और न शिक्षा देगी।

जनरल प्रमोशन की बात कही जाती है। पहले ऐसा होता था कि जब विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाता था तो सगुन रखा जाता था---दरवाजे पर घड़ा। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति की यह देन है कि घड़े की जगह पर पी0ए0सी0 और पुलिस की लाठियां नजर आती हैं। और उनकी निगरानी में लड़के इम्तिहान देते हैं। मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि आप आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आन्दोलन करने से रोक नहीं सकते हैं। आज सबेरे ही यहां पर एक सवाल आया था---रघुनाथ सिंह का जिनका कि विद्यार्थियों से कोई ताल्लुक नहीं था उन्हें आपने डी0 आई0 आर0 में बन्द कर दिया। उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी यह मांग करता है कि जनरल प्रमोशन दो तो आप उसे डी0आई0 आर0 में बन्द कर दो, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। जिस सरकार के नेतृत्व के अन्दर परीक्षा देने की कोई निश्चित तिथि न हो कभी कहा जाता है कल से होगी, कभी कहते हैं परसों से होगी, और कोई नीति लेकर वह न चले तो उसे निकम्मी सरकार ही कहा जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस शिक्षा पद्धति में पतबदीली करें। आज जो आप अंग्रेजी की गुलामी के पद चिन्ह पर चल रहे हैं उससे अपने को अलग रखें ताकि समाज में शिक्षा का विकास हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसी पहलू पर आप इस बजट पर विचार करें।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया, इसके इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, शिक्षा एक राजनैतिक प्रश्न नहीं है। शिक्षा तो मानव जीवन की समस्याओं को हल करने और उन्हें समझने का एक प्रश्न है एक पहलू है। इस देश में बड़े विद्वान लोग भी हैं लेकिन शिक्षा ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर दिमाग साफ न हो अलग-अलग विचार हों यह बड़ दुख की बात है। मने भी शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षक भी रहा हूं और अभी भी शिक्षा क्षेत्र में ही काम करता हूं। मैं उन विद्यार्थियों से भी भलीभांति परिचित हूं जो छोटे घरों के हैं और कालेजों में पढ़े हैं।

और शिक्षा की समस्याओं पर हमने ही नहीं पाश्चात्य विद्वानों ने भी बड़ा चिन्तन किया है। वे भी बहुत खुश नहीं हैं अपने यहां की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से और वे भी कहते हैं। डाक्टर राममूर्ति जी हैं, शिक्षा में उनका बड़ा चिन्तन है, भले ही सर्वोदय में हैं, वे कहते ह---यह प्राब्लम केवल पूर्व की नहीं है समान रूप से है। दोनों की समस्यायें समान हैं और इस पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं। लोगों ने बताया है कि शिक्षा को राज्य से अलग कर देना चाहिए और जब तक साथ रहेगी, तब तक चाहे कोई देश हो, उसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुधार नहीं होगा। रूस और अमेरिका आदि देशों में भिन्न-भिन्न अर्थ शिक्षा के लगाए जाते हैं। किन्तु शिक्षा तो मानव की सम्पूर्ण शक्तियों के विकास का नाम है। मनुष्य के सर्वांगीड़ विकास का नाम है। हृदय का विकास हो, मस्तिष्क का विकास हो और शरीर का विकास हो—शिक्षा का यही उद्देश्य है। व्यक्ति का ऐसा विकास हो और वह सुन्दर नागरिक बने। उसके इस अर्थ में भेद भारत और चीन नहीं ला सकते हैं, कांग्रेस और विपक्ष नहीं ला सकते हैं।

भारत ही एक ऐसा देश है, जिसने दुनिया को कुछ सिखाया है और भारत ही ऐसा देश है जो आज भी उन्हें सिखा सकता है। हम सदियों तक गुलाम रहे, जिन्होंने गुलामी देखी नहीं, उनके लिए उसकी प्राब्लम को समझ सकना मुश्किल है। पीढ़ी किसी आदमी की बपौती नहीं है। पत्थर युग लम्बे अर्से तक रहा, पत्थर युग नहीं बदला, किन्तु पीढ़ी बदलती रहीं। जब तक नौजवान विचार नहीं बदलेगा, उसके युवक होने पर भी म नहीं समझूंगा कि यह युवक है। यदि एक आदमी का नया विचार है, उसकी अवस्था कुछ भी हो तो वह जवान समझा जायगा। हम बुडसवर्थ को क्या वृद्ध कह सकते हैं, जिन्होंने कहा है—माई हार्ट लीप्स अप, व्हेन आई सी रेन्बो, पीढ़ी का यहां प्रश्न नहीं होता है, पीढ़ी का प्रश्न तो विचारों के साथ है।

मान्यवर, मैं कह सकता हूं सचमुच में हमारे देश में शिक्षा वैसी ही है, जिससे कि हमको भी तकलीफ होती है। मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है—शिक्षा की समस्यायें और कुछ सुझाव'। मैंने उसमें लिखा है मन्त्री वह भ्रष्ट है, जो मन्त्री है, लेकिन आप नकल करके जो पास कर रहे हैं, उसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं या मन्त्री जी कर सकते ह। मान लो सरकार अच्छे स्कूल स्थापति कर दे और घर का वातावरण न बदला जाय, सिनेमा का वातावरण न बदला जाय, बाजार में गाये जाने वाले गीत न बदले जायं, बालकों के कोमल मस्तिष्क पर आघात करने वाला वातावरण न बदला जाय तो विद्यार्थियों में कैसे सुधार लाया जा सकता है। कैसे उनसे हमारी वांछित कामना पूरी हो सकती है। जहां अभिभावक शराब पीते हैं और गुरूजन तक शराब पीते हैं, उन सब परिस्थितियों में क्या अकेले सरकार अपने दायित्वों को निभा सकती है। शिक्षा तो ऐसा प्रश्न है, जिसमें हमारे विरोधी भाइयों को भी इस जिम्मेदारी को सम्हालना चाहिए और सबको मिलकर सोचना चाहिए कि इसमें कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करने जा रहा था वास्तव में हमारा जो बजट है। ठीक है पीढ़ी भी हम स्वीकार कर सकते हैं, किन्तु युवकों को तेज होना चाहिए। गत वर्ष दिल्ली हायर सेकेन्डरी स्कूलों के बारे में मैंने पढ़ा कि 1 से लेकर 20 तक मेरिट लिस्ट में लड़कियों के नाम थे। इक्सीसवां स्थान लड़का निकला, क्यों ऐसा है क्योंकि लड़कियां पढ़ती हैं, घर में रहती हैं, घर का काम भी करती हैं और भारत की मान्यताओं पर लड़कियां चलती हैं, लड़कियां वह समझती हैं जो भारत समझता है लेकिन वह बात लड़कों की समझ से बाहर है और मान्यवर, इस समय जो इन्टरमीडिएट कालेजेज हैं आज सरकार को उसके लिए दोषी ठहराया जाता है लेकिन उसमें भी लड़कियों का 70 परसेंट, और लड़कों का 23 परसेंट रिजल्ट रहा। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र रहते हैं, लड़कियां अपनी माताओं के साथ मिल करके काम भी करती है, पानी भी भरती हैं, और फिर भी उनका रिजल्ट 70 परसेंट रहता है, यह सोचने की बात है कि क्यों ऐसी स्थिति है।

देश के युवकों को ठीक लगाने के लिए हमारे भाई जो विरोधी पक्ष में बैठे हुए ह अगर उस सम्बन्ध में प्रयत्न करते हैं तो उनको हम अपना गुरु मानेंगे और अपने को शिष्य मानेंगे। उनसे नवेदन है कि वह अध्ययन करके इसे देखें। मान्यवर, अगर अध्ययन करके देखा जाय तो 45–46 में शिक्षा का बजट 2 करोड़ 46 लाख का था लेकिन आज

[श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला]

1 अरब 24 करोड़ 31 लाख 27 हजार 3 सौ रुपये का हो गया है । इस तरह से हम देखते हैं कि जहां तक खर्च का प्रश्न सरकार ने अनुभव किया है और कोशिश की है कि ज्यादा पैसा लगा करके हम शिक्षा का प्रसार करें और इसमें सन्देह नहीं है कि साक्षरता बढ़ी है लेकिन जो पुराने प्राब्लम्स हैं उस ओर म माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा। शिक्षा को ठीक करने के लिए और शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए उसमें सुधार करने के लिए इस माननीय सदन के उन माननीय सदस्यों को जो शिक्षा के विषय में रुचि रखते हों और बाहर के शिक्षाविदों को एकत्रित करें और उनके जो सुझाव हों उनके आधार पर सुधार करने की कृपा करें ।

अब मैं अपने पर्वतीय प्रदेश में सरकार ने जो नीति अपनाई है उसकी ओर सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं । यह क्षेत्र शिक्षा में, विकास में पिछड़ा हुआ है। मैं टेहरी गढ़वाल के विषय में विशेष रूप से रखना चाहता हूं । उसमें आजकल हाई स्कूल और बेसिक स्कूल तो है, आपने वह काफी खोल रखे हैं लेकिन और जिलों की ओर प्रदेश के अन्य भागों की तुलना में वहां पर हायर सेकेन्डरी स्कूल्स बहुत कम ह । वहां पर प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 12 प्रतिशत है जबकि हमारे अन्य पर्वतीय जिलों में 53 और 54 प्रतिशत तक है। मैं एक बात और आपको बताऊं कि नैनीताल में हायर सेकन्डरी स्कूल्स 180 हैं, देहरा दून में 14,575 हैं, उत्तर काशी में 16,666 हैं, गढ़वाल में दस हजार हैं, चमोली में 12,912, टेहरी गढ़वाल में 33,250, अल्मोड़ा में 6,218 और पिथौरागढ़ में 11,000 हैं और इसका कारण है कि टेहरी गढ़वाल एक रियासत के अधीन रहा है और इसलिए वहां ज्यादा स्कूल्स नहीं खुल सके हैं और जो स्कूल्स हैं भी तो वे इतनी दूरी पर हैं कि विद्यार्थियों को दो-दो, तीन-तीन मील हायर सेकेन्डरी स्कूल में पहुंचने के लिए जाना पड़ता है और वहां पर लड़कियां की शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए । वह वहां काफी पीछे रह गई है इसको आप अवश्य सुधारेंगे ऐसा मेरा विश्वास है ।

अन्त में मैं माननीय शिक्षा मन्त्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत विद्यालयों और गवर्नमेंट स्कूलों के वेतन क्रमों को एक कर दिया है जिसके कारण उन स्कूलों के अध्यापकों में एक स्थायित्व की भावना आई है । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे शिक्षा के विषय में बोलने का अवसर दिया है ।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । आज सरकार यह नारा दे रही है कि हमने शिक्षा की प्रगति की है लेकिन आज यह 9 करोड़ की आबादी में से केवल 2 करोड़ 2 लाख 50 हजार व्यक्तियों को ही शिक्षा दे पायी है । 6 करोड़, 97 लाख, 50 हजार व्यक्ति अनपढ़ हैं । यह सरकार नारा दे रही है कि हम शिक्षा में प्रगति कर रहे हैं किन्तु आज उत्तर प्रदेश में केवल 22.5 प्रतिशत व्यक्ति ही शिक्षा पा सकते हैं जब कि दूसरे प्रदेशों जैसे वेस्ट बंगाल में 33.5 प्रतिशत, तामिलनाडु में 49.3 प्रतिशत, पंजाब में 33.39 प्रतिशत, नागालैन्ड में 27.33 प्रतिशत, मैसूर में 31.47 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 39.06 प्रतशिन, केरल में 60.16 प्रतिशत, हिमांचल प्रदेश में 31.32 प्रतिशत, आसाम में 28.74 प्रतिशत और हरियाणा में 26.69 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूसरे प्रदेशों का परसेंटेज शिक्षा का हमारे प्रदेश से बहुत ज्यादा है और हमारे प्रदेश का परसेंटेज बहुत ही कम है ।

आज सुनने में आ रहा है कि सरकार बेसिक शिक्षा परिषदों को जिला परिषदों में ले जा रही है । जब सरकार की नीति शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की तब अपने बायदे से

क्यों मुकर रही है। ऐसे आदमी बेसिक परिषद् में किये गये हैं जो टाउन एरिया कमेटी या नगरपालिका के अध्यक्ष हैं और एक आदमी तो ऐसा रखा गया है जो मुनीम है जिसका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। जब यह बिल आया था तो माननीय सदस्यों की यह आम राय थी कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है बल्कि डायरेक्टीकरण हो रहा है। ब्रिटेन में शिक्षा यूनियन हैं। वहां बिना शिक्षक संघ के पूछे कोई कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन आज हमारे यहां सरकार कह रही है कि अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं।

आज हालत यह है कि प्राइमरी स्कूलों में टाट नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है इमारत नहीं है और सरकार चाहती है कि अध्यापक चन्द्र लोक में पहुंच जायें। यह कैसे हो सकता है। जब स्कूलों में टाट तक बच्चों के बैठने के लिए नहीं हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। देहातों में ऐसे स्कूल जहां बिल्डिंग तक नहीं है। उनका प्रबन्ध किया जाय।

बेसिक शिक्षा परिषद् जो गठित किये गये हैं उनका स्वायत्त संस्था का रूप नहीं है। आज हमारे यहां दो तरह के स्कूल हैं। एक सरकारी स्कूल और दूसरे प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छे लड़के भर्ती किये जाते हैं और प्राइवेट स्कूलों में थर्ड क्लास लड़के भर्ती किये जाते हैं। लेकिन जब नतीजा निकलता है तो प्राइवेट स्कूलों का नतीजा अच्छा रहता है। इसलिए आज सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूलों में कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया है। इस साल आपने देखा कि गणित में क्या हुआ? बहुत लड़के फेल हुए हैं। इसमें जो नया कोर्स बढ़ाया गया है उसको पुराने अध्यापक नहीं पढ़ा सकते थे। प्रोसपेक्ट्स बनाने के लिए पुराने अध्यापकों को रखा जाये।

आज वातावरण यह है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इसके लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। शिक्षा का स्तर उठाने के लिए अच्छे अध्यापक, अच्छी टैक्स्ट बुक्स तथा स्कूल चाहिए। हमको ध्यान में न रखकर मनमाने तौर पर प्रोस्पेक्टस बना दिया है। आज लोग निजी स्कूल भी खोलने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि मंडी ऐक्ट लागू होने से उनको चन्दा मिलना खत्म हो गया है। पिछले जमाने में जमींदार और राजा महाराजा होते थे वे जनता के हित के लिए स्कूल खोलते थे। आज अध्यापक यदि प्रबन्धकों की सलामी करने नहीं जाता है तो उसे ससपेंड कर दिया जाता है और जो अध्यापक उसके स्थान पर नियुक्त किया जायगा उसे सरकार पूरा पैसा देगी और suspend वाले को निलम्बन भत्ता देती है।

अन्त में मेरा सुझाव है कि सरकार को शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। विदेशों में दो प्रकार के स्कूल हैं—प्रोफेशनल और दूसरे जनरल। प्रोफेशनल में मकान बनने आदि की विद्या सिखायी जाती है। डेकोरेशन सिखाया जाता है। इस प्रकार से जो पी० डब्लू० डी० को स्किल्ड labour नहीं मिल पाते हैं। वह इस प्रकार से मिल सकते हैं। टेकनिकल लोग न मिलने से मकान खराब हो जाते हैं। इस प्रकार के स्कूल खोले जायें और उनमें लड़कियों को शिक्षा दी जाये। वे डिकोरेशन का कार्य अच्छी तरह से कर सकती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो लुहार और बढ़ई आज शहरों को दौड़ता है उसे गांव में ही टेक्निकल शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह वहीं की मशीनों को जैसे ट्रैक्टर आदि को ठीक कर सके। आज सरकार तकली कतवा कर कहती है कि हम टेक्निकल वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट कालेज और प्राइवेट कालेजों में जो अध्यापकों के वेतन में जो अन्तर था उसे सरकार ने समाप्त किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने डिग्री कालेज के लेक्चरर का वेतन-क्रम 700—1600 किया। लेकिन इन्टरमीडिएट कालेज के लेक्चरर को वह दिया तो डिग्री कालेज के लेक्चरर का प्रारम्भ होता है इन्टर कालेज के लेक्चरार में अन्तर होता है। यह अन्तर दूर होना चाहिए।

[श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा]

आज शिक्षक राष्ट्रीय वेतनमान की मांग कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि शिक्षक प्रतिनिधियों से मिलकर उनसे वार्ता करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि प्राविडेंट फंड जो सन्ट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा हो रहा है उसे उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में जमा होना चाहिए। जिससे उनको पेन्शन मिलने में आसानी होगी। आज माध्यमिक शिक्षा परिषद् में वह लोग रखे जाते हैं जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि जिला परिषद् में अध्यापकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये। आज बहुत से स्कूलों को सरकार एड नहीं देती है उनकी हालत बदत्तर होती जा रही है। तो मेरा सुझाव है सरकार उन्हीं स्कूलों को मान्यता दे जिनको सरकारी खजाने से पैसा दे सके। श्री बद्री नाथु शुक्ल, बेसिक शिक्षा अधिकारी थे वे कहते हैं कि लखनऊ में देकर आये हैं और बांदा से लेकर जायेगा। पोद्दार इन्टर कालेज, सीतापुर में 14 चपरासियों का बिल बनता है और केवल 3 चपरासी काम करते हैं और बाकी रुपया प्रिंसिपल और इन्सपेक्टर खा जाते हैं। श्री बद्रीनाथ कहते थे कि श्री जगन्नाथ चिट्ठी लेकर आये हों तो ट्रांसफर कर दिया जायगा। लेकिन मेरी शिकायत पर तीनों व्यक्तियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी प्रकार से शिवपत इन्टर कालेज, शोहरतगढ़, बस्ती का है, वहां के प्रधानाचार्य मु० रफीक खां हैं इनको ट्रेनिंग से एक्जम्पशन नहीं मिला है और इनका एप्रूवल नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने फर्जी काम करके जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के दो कर्मचारियों को निलम्बित करा दिया है। और अब डी०डी०आर० ने उन्हें अप्रूवल दे दिया है।

जब पहले डिप्टी डायरेक्टर साहब ने अप्रूवल नहीं दिया था तब उन्हें अपील Director के यहां करना चाहिए था। आज बुन्देलखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बांदा है। राजापुर में डिग्री कालेज खोलना चाहिए था। महोबा में शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए था। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब न देवरिया में डिग्री कालेज खोलने की बात कर रहे हैं। हमारे बांदा जनपद में राजकीय डिग्री कालेज खुलना चाहिए और वह इतना उपेक्षित क्षेत्र है वहां पर हरिजनों की बस्ती ज्यादा है। हमारे राजापुर में डिग्री कालेज खोलने की कृपा की जाय। मान्यवर, जहां पर रेलवे जंकशन है, टाउन एरिया है वहां पर लड़कियों के पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मानिकपुर में एक इन्टर कालेज खोलने की कृपा करें।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, वर्तमान सरकार का लक्ष्य समाजवादी एवं सामन्तवादी समाज निर्माण करने का है। इसके लिए सरकार समाजवादी नया जमाना लाने वाली और नई चेतना और नये विश्वासों को लाने वाली सरकार है। इसके लिए वह जनजागरण लाकर, नई चेतना लाकर नये कदमों को उठा कर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है मान्यवर, शिक्षा को इस प्रदेश की सरकार ने प्राथमिकता दी है। यह इस बात से सिद्ध है कि अनेक राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के शासन ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा का बजट अधिक रखा है और शिक्षा को प्राथमिकता दी है। मान्यवर, समूचे देश के बच्चों का लगभग 16.5 प्रतिशत को शिक्षा देने का उत्तरायित्व इस प्रदेश को प्राप्त है और इतना बड़ा उत्तरदायित्व प्राप्त होने पर इस प्रदेश में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक धन शिक्षा के मद में खर्च किया गया है। सन् 1950-51 में प्रति बालक पर इस प्रदेश ने जहां 1.15 रु० खर्च किया वहां पर 1973-74 में 9.08 रु० प्रति बालक पर शिक्षा में खर्च किया। मान्यवर, शिक्षा का बहुमुखी विकास हुआ है। शिक्षा के बहुमुखी प्रयास हुए हैं, इसलिए कि प्रदेश का बहुमुखी विकास हो सके। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं और साथ ही साथ प्राविधिक शिक्षा के भी बढ़ाने के प्रयास किये हैं। उपेक्षित क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। 1973-74 में कुमाऊं और गढ़वाल में नया विश्वविद्यालय खोला गया है तथा बन्देलखंड जोकि उपेक्षित क्षेत्र था उस पर भी ध्यान दिया गया है।

मान्यवर, मुझे याद है जिस समय पानिक्कर आयोग बैठा हुआ था राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में उस समय हमारे विरोधी दल के नेता माननीय चौधरी साहब ने सुझाव दिया था, उस समय वह कांग्रेस की ओर थे और कांग्रेस के असरदार नेताओं में से थे, उस समय उन्होंने कहा था कि बुन्देलखंड और मिर्जापुर के जिले बांझ हैं, इनको काटकर मध्य प्रदेश में मिला देना चाहिए और उत्तर प्रदेश से हटा देना चाहिए। उस समय एक दुर्भावना का वातावरण पैदा हुआ था परन्तु स्वर्गीय पंडित पन्त जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके व्यक्तित्व के सामने कोई भी विघटन प्रक्रिया नहीं चली और बुन्देलखंड, मिर्जापुर जैसे उपेक्षित जिले भी उत्तर प्रदेश में रह गए। यह हर्ष का विषय है कि बुन्देलखंड में विश्वविद्यालय खोलने की बात सरकार ने सोची है। आज बुन्देलखंड शिक्षा की दृष्टि से और विकास की दृस्टि से बहुत पीछे है। शासन के सामने 2 डिग्री कालेज खोलने का प्रश्न विचाराधीन था। एक डिग्री कालेज राजापुर में खोलने का विचार था। मेरा सुझाव है कि दूसरा डिग्री कालेज हमीरपुर में खोला जाय। हमीरपुर जिले का मुख्यालय है और जब शासन की ओर से वहां पर अधिकारियों को भेजा जाता है और तो जब वे वहां पर अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं देखते तो वे इस बात का प्रयास करते हैं कि उनका वहां से स्थानान्तरण हो जाय और इसका यही कारण है कि अच्छे प्रशासक हमीरपुर नहीं पहुंच पाते हैं।

इस सरकार ने शिक्षा के विषय में पहाड़ी जिलों की ओर विशेष ध्यान दिया है। पन्तनगर विश्वविद्यालय के लिए पर्वतीय कैम्पस खोले गये हैं जिसके लिए सरकार न 25 लाख रुपए का प्राविधान किया है। यही नहीं सरकार ने विश्वविद्यालयों के घाटे को पूरा करने के सिए 1 करोड़ रुपया दिया है और जिससे वहां की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो सके और पढ़ाई आदि का अनुकूल वातावरण बन सकें।

प्राविधिक शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए भी तकनीकी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सरकार ने बहुत रुपया ऋण के रूप में देने के लिए बजट में प्राविधान किया है। जो ऋण प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग 3.71 लाख था वह चौथी योजना में बढ़ा कर 83,00,700 रुपया कर दिया गया है। यही हाल कृषि की शिक्षा एवं कृषि नीति की ओर रहा है। कृषि की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। पन्तनगर विश्वविद्यालय में स्नातक एंव स्नातकोत्तर शिक्षा कई कालेजों में दी जा रही हैं। हमारे प्रदेश में कृषि मुख्य धन्धा है इसलिए भी सरकार का ध्यान विशेष रूप से खेती की ओर है। मुझे विश्वास है कि सरकार के प्रयास से हमारे प्रदेश में उन्नतिशील खेती होगी। और जो खाद्यान्न का अभाव है वह इस प्रकार से शीघ्र ही पूरा होगा।

मान्यवर, जहां कृषि शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया है, माध्यमिक विद्यालयों की ओर ध्यान दिया गया है वही पर दूसरी ओर उर्दू को भी प्रोत्साहन दिया गया है। उर्दू भाषा-भाषी, उर्दू पढ़ने वाले व्यक्तियों की यह धारणा थी कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, परन्तु यह हर्ष का विषय है कि जूनियर हाई स्कूलों में 1 हजार उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, नगरपालिकाओं में 4,000 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है और प्रत्येक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक उर्दू अध्यापक को नियुक्त करने का विषय विचाराधीन है जिसे शीघ्र पूरा किया जा रहा है। कक्षा 1 से 8 तक उर्दू की पुस्तकें सुलभ हो रही हैं। साथ ही साथ उर्दू अकादमी को 5,10,000 रुपए का अनुदान दिया गया है जिससे पुस्तकालयों और लेखक महोदयों को सहायता प्राप्त हो सके।

यह हर्ष का विषय है कि माध्यमिक विद्यालयों ने सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों के वेतनमानों में समानता की गयी है जिससे एक अच्छा वातावरण प्रदेश में पैदा हुआ है

और यद्यपि सरकार को उसमें 3·50 करोड़ (तीन करोड़ पचास लाख) का व्यय भार अधिक पड़ रहा है, परन्तु फिर भी शिक्षा जगत के लिए यह एक नयी बात है और इसका बड़ा लाभ आगे चल कर होने वाला है।

मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी के अधीन एक समिति विचार कर रही है कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में मेरा विचार कुछ भिन्न-सा है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण शिक्षकों के हित का कारण होगा, मैं नहीं समझता। मैं तो समझता हूं कि शिक्षक को चाहिए वेतन की समानता, सेवा की सुरक्षा, पेंशन और सारी सहूलियतें उसे चाहिए जो उसकी योग्यता के आधार पर जो समान योग्यता वाले अध्यापकों को सरकारी विद्यालयों में जो मिलती हैं—ऐसा मैं मानता हूं। यह बात बहुत वाजिब है, लेकिन शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर देने से जो मुझे विशेष हानि समझ में आती है वह यह कि शिक्षा का प्रसार रुकने की सम्भावना है। आज जो कन्ट्रीब्यूशन, जो धन हमें समाज से प्राप्त होता है, गैर-सरकारी साधनों के द्वारा—उसमें अभाव आने की सम्भावना है और प्रसार रुकने की सम्भावना है।

मान्यवर, स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों को उनकी आमदनी का ध्यान न रख कर, उनके आश्रितों को, वार्ड्स को पढ़ाने का भी साधन जुटाने का सरकार ने संकल्प किया है जोकि बहुत अच्छा है। मान्यवर, एक बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि माध्यमिक शिक्षकों के वार्ड्स को जिनको कि 200 रुपया तक का वेतन प्राप्त होता था उनके वार्ड्स निःशुल्क पढ़ते थे, लेकिन चूंकि 200 रुपया पहले जिनको प्राप्त होता था उनका ग्रेड अब 400 रुपया हो गया है तो मेरा अनुरोध है कि 500 रुपया पाने वाले माध्यमिक शिक्षकों के वार्ड्स को निशुल्क शिक्षा विद्यालय में प्राप्त हो सके ऐसी व्यवस्था करें।

बेसिक शिक्षा परिषद् का जहां तक सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि उनके अन्तर्गत उसमें कुछ गिरावट आई है। बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत काम करने वाला इंसपेक्टिंग स्टाफ बहुत अक्षम सिद्ध हुआ है और इससे बड़ी हानि हुई है, इसलिए उसकी जगह पर अन्य कारगर उपाय मन्त्री जी को सोचने चाहिए और नये कदम उठाने चाहिए।

मलिक साहब का कहना था कि युवक कांग्रेस का हस्तक्षेप विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में होता है। ऐसा मैं नहीं मानता। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों के छात्रों में कांग्रेस के नेतृत्व की नीति यह रही है कि वहां पर राजनीति का प्रवेश न हो—खासतौर से विश्वविद्यालयों में। परन्तु जब विद्यार्थियों में और विश्वविद्यालयों में आर0एस0एस0 और स्टूडेंट्स फेडरेशन जैसी संस्थाओं का प्रवेश हुआ तो देश के नेतृत्व को यह आवश्यकता महसूस हुई कि रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई संगठन विद्यार्थियों का होना चाहिए। फलस्वरूप विद्यार्थी कांग्रेस और उसके बाद युवक कांग्रेस का जन्म हुआ। मुझे जानकारी है कि युवक कांग्रेस ने विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में स्टडी सर्किल चला कर और अच्छे भाषणों का आयोजन करके अनुकूल वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है और विघटन की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास युवक कांग्रेस द्वारा हुआ है। मैं ग्राइस साहब की इस राय से कतई इत्तफाक नहीं करता कि माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की गिरावट की सारी जिम्मेदारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की है। वहां कोई भी विद्यार्थी 2, 3, 4 और हद से हद 5 घंटे पढ़ने के लिए जाता है और उसका बाकी का सारा समय उसके घर में और आस-पास व्यतीत होता है जिसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। घर में मां बाप बालक को तरह-तरह की पोशाकें पहना कर और तरह-तरह की सुविधायें देकर उसको आराम तलब बना देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि शिक्षा में गिरावट आती है। जब शिक्षा में गिरावट आयी हो और ऐसा नेतृत्व देश में बढ़ रहा हो जो कहता हो कि

पढ़ाई छोड़ दो और क्रांति के दावेदार बनों तो मैं समझता हूं कि वह अच्छा वातावरण नहीं बनाते। उसकी जिम्मेदारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों पर नहीं वरन् उन नेताओं पर है जो शिक्षा क्षेत्र में राजनीति का समावेश कराते हैं और विघटन की प्रक्रिया चलाते हैं।

मान्यवर, शिक्षा को उत्पादक मद में गिना जाना चाहिए। शिक्षा को उत्पादक मान कर यदि इस ओर ध्यान दिया जाय तो शिक्षा का विकास होगा, टेक्निकल शिक्षा का विकास होगा और इस विकास से देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, रोजगार की समस्या हल होगी और नया जीवन, और नयी आशायें उभरेंगी।

इन शब्दों के साथ में आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

*कामरेड चन्दन सिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो शिक्षा के बजट के संबंध में माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया उससे केवल इतनी आशा होती है कि हम धीरे-धीरे, साल-व-साल लकीर सी पीटते चले जाते हैं और शिक्षा का इस तरह का बजट पेश करते चले जाते हैं। हमारे देश की 26 सालों की आजादी के बाद अगर आज हम हालत देखते हैं तो गांवों में निरक्षरता ज्यों की त्यों मौजूद है। अगर जिलों पर नजर डालते हैं तो कहीं 20 प्रतिशत और कहीं 25 प्रतिशत साक्षरता की स्थिति है। अगर हम शिक्षा के बारे में इसी तरह सोचते रहे तो कैसे हम अपने प्रदेश से निरक्षरता का बिल्कुल उन्मूलन कर पायेंगे। इस ओर बजट का निर्देशन नहीं है, क्रमशः है। चाहे कोई विकास कार्य हो हम देखते यह हैं कि क्या उस क्षेत्र में उसके लिये परिस्थिति मौजूद है। और शिक्षा के लिये यह देखा जाता है कि क्या वहां इतने विद्यार्थी हैं कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया जाय। दुख तो तब होता है जब विरोधी दल के नेता माननीय चरण सिंह जी कुमायूं में यूनिवर्सिटी की बात आती है तो उनको केवल यूनिवर्सिटी खुलने का दुख नहीं होता बल्कि दुख यह होता है कि वहां विद्यार्थियों की संख्या कम होगी और खर्चा ज्यादा होगा।

हमारे प्रदेश के विकास के लिये इस तरह के दृष्टिकोण अपनाना चहिये जिससे कि उसकी तरक्की हो। हमारा लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा जब बच्चे साक्षर होंगे। चाहे उसमें खर्चा कितना ही हो, इस तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं उस जिले से आता हूं जो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और ललितपुर क्षेत्र है। वहां के लोगों की यह मांग रही है कि उनको मध्य प्रदेश से मिला दिया जाय क्योंकि इस सरकार ने उस क्षेत्र की तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। ललितपुर क्षेत्र बुन्देलखंड का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारी यह भी मांग रही है कि उसे एक प्रथक जिला बना दिया जाय, ताकि शिक्षा आदि के क्षेत्र में जो सुविधायें हर जिले को मिलती हैं वह उसे भी प्राप्त हो सकें। इस बजट में भी शिक्षा की मद में हमारे क्षेत्र के लिये कुछ नहीं किया गया है। वहां शिक्षा का निरीक्षण करने के लिए किसी शिक्षा अधिकारी तक की नियुक्ति नहीं की गयी है। एक उप विद्यालय निरीक्षक हैं जो उस कार्य को करते हैं। शेष बातों को झांसी जिले से संबंधित कर रखा गया है।

बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो बेसिक शिक्षा अधिकारी रखे गये हैं वे मनमाने ढंग से काम करते हैं और छुट्टा हो गये हैं। इनके ऊपर कोई जन समितियां नहीं रखी गयी हैं। यह अधिकारी अध्यापकों की नियुक्ति, उनके तबादले तथा प्रोन्नति के लिये अध्यापकों से एक-एक हजार रुपये तक रिश्वत लेते हैं। नतीजा यह है कि अच्छे शिक्षक ललितपुर में नहीं हैं। शिक्षक रिश्वत आदि देकर मनमाने स्थान पर अपना ट्रांसफर करवा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कामरेड चन्दन सिंह]

लेते हैं । मैंने शिक्षक महोदय को लिख कर भी दिया है कि वहां का एक बेसिक शिक्षा अधिकारी हजारों रुपये की रिश्वत ले रहा है । आज रिश्वत के कारण हालत यह है कि 6–6 माह से ललितपुर में कोई अध्यापक नहीं है । यह खुशी की बात है कि पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, पर बुन्देलखंड के जो ललितपुर जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जो विन्ध्याचल पर्वत से घिरे हैं, उनकी ओर भी उसी प्रकार से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । यदि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तो फिर बदनामी का टीका ही हमारे लगेगा और वहां से डाकू आदि ही पैदा होकर निकलेंगे । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो और वहां से भी अच्छे नागरिक पैदा हो सकें तो वहां की शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिये । यदि हमारे यहां के लोग चन्दा आदि इकट्ठा करके स्कूल का प्रबन्ध भी करते हैं तो भी आपके अधिकारी ऐसी बंदिशें लगा देते हैं कि वह स्कूल चल नहीं पाता । उसमें यह कहने लगते हैं कि 20–20, 30–30 कमरे होने चाहिये, यह होना चाहिये, वह होना चाहिये, आदि बंदिशें लगा देते हैं । वहां के लोग और मैनेजमेंट यदि किसी स्कूल को खोलने की कोशिश भी करता है तो सभी को शिक्षा विभाग यह सहूलियतें देने की कोशिश नहीं करता है । बिल्डिंग बनाने के लिये जो मटीरियल खर्च होता है चाहे वह लोहा हो, सीमेंट हो उसको कंट्रोल रेट पर नहीं दिला सकता है, इस तरफ प्रयास नहीं करता है । रोक लगा दी जाती है और इमारत नहीं बन पाती है । मान्यता नहीं मिल पाती है । दूर-दूर मीलों-मीलों क्षेत्र ऐसे पड़े हुए हैं जहां कि कोई हाई स्कूल नहीं है । हमारे बुन्देलखंड की यही स्थिति है ।

अभी घोषणा हुयी है कि बुन्देलखंड में विश्वविद्यालय खुलेगा । इसका स्वागत किया गया है । ठीक है, लेकिन अभी इसके लिये भी कोई खास रुचि नहीं ली जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि 9 लाख रुपया शायद 3 विश्वविद्यालयों के लिये रखा है । देखें हमारे बुन्देलखंड विश्वविद्यालय के लिये कितना हिस्सा आता है ।

हमारे यहां एक मेडिकल कालेज भी खोला गया है, लेकिन मेडिकल कालेज में विद्यार्थी मेरठ, बनारस के या दूर-दूर के भरती हैं और कालेज में बुदेलखंड के छात्र एक भी नहीं हैं या हैं तो उनकी संख्या नगण्य है । मैं माननीय मंत्री जी यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो क्षेत्र पिछड़े हुये हैं, उनके यहां टेक्निकल एजूकेशन में, मेडिकल कालेज में और ऐसी ही शिक्षण संस्थाओं में जो वहां के, पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थी हैं उनके लिये सीटों का रिजर्वेशन कर दिया जाय । आप बजट में यह प्राविधान करें जिससे उन पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सुविधा मिले । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जब विरोधी दल के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो रूलिंग पार्टी के एक माननीय सदस्य ने उनसे कहा था कि आप भाषण मत दीजिये, सुझाव दीजिये । तो मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं । और यह आशा करता हूं कि यदि आप उन पर अमल करें तो बाद में मुझे बता दें ।

मैं 3 चीजों के बारे में कहना चाहता हूं । कंम्पलसरी एजूकेशन, फ्री एजूकेशन, प्रौढ़ शिक्षा यानि कि एडल्ट एजूकेशन ।

मान्यवर, 21.64 प्रतिशत यह लिटरेसी का परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में और दूसरे इंडिया में वह 18.44 परसेंटेज है । अब लगभग 80 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं । इसमें सन् 47 के पहले के परसेंटेज को हम निकाल देते हैं। लेकिन सन् 1947 के बाद से आज तक जो हमारे इतने लोग निरक्षर हैं जिनकी उम्र 20 साल हो गयी है और ज्यादा हो गयी है वे कैसे बिना पढ़े रह गये । सन् 47 के बाद साक्षरता दिवस पर जलूसों में बच्चे अपने

पट्टों पर लिखा करते थे कि बिना पढ़े नर पशु कहावे' तो जो इतने लोग अपढ़ हो गये हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को इस तरह से पशु क्यों बनाते चले जा रहे हैं। आपने कक्षा 6 तक फ्री एजूकेशन कर रखा है और जब इस फ्री एजूकेशन का मतलब आपने पैसा लेना नहीं माना है तो आप उसको कंम्पलसरी कर दीजिये। आज आप उनको अपढ़ बना रहे हैं और बाद में आप कहेंगे कि हम उनको प्रौढ़ शिक्षा देंगे। तो अभी आप यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं और उनको बिल्कुल निरक्षर क्यों बनाये दे रहे हैं। आज गांवों में 10-20 साल की उम्र के लड़के पड़े हुए हैं जो आजतक स्कूलों को नहीं गये हैं।

मैं चाहता हूं कि कक्षा 8 तक आपको कम्पलसरी एजूकेशन करना चाहिये और किसी भी माने में हमारे लोग अपढ़ न रहने पावें। यह सुझाव नोट कर लें। इसके साथ ही साथ मैं यह आपको सुझाव दे रहा हूं कि एडमीशन तथा एप्वाइंटमेंट्स मेरिट के अनुसार होने चाहिये तो लोग आलोचना उठा देते हैं कि अगर किसी ने नकल कर लिया हो, पेपर आउट कर लिया हो या उसके पीछे मिनिस्टर बैठा हो तो इन सब तरीकों से उसने यदि फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर लिया हो तो इस तरह से एडमीशन में या सेलेक्शन में ज्यादती हो सकती है।

तो मैं एक अल्टरनेटिव देता हूं कि वार्षिक परीक्षायें बन्द कर देना चाहिये और वार्षिक परीक्षाओं की जगह पर मंथली टेस्ट या पाक्षिक टेस्ट लेना चाहिये। इनमें जो अंक प्राप्त हों वह अंक माने जायं। 12 महीनों के टेस्टों का एग्रीगेट करके परिणाम निर्धारित करना चाहिये। इस तरह जो पेपर आउट हो जाते हैं या नकल हो जाती है सब समाप्त हो जायेगा। जब यह पद्धति लागू हो जायेगी तो सेलेक्शन तथा एडमीशन आदि मेरिट के अनुसार होने चाहिये और इस प्रकार व्याप्त भ्रष्टाचार बहुत हदतक समाप्त हो जायगा। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान में बहुत सी तकलीफें इसलिये होती हैं कि यहां नैतिकता काफी गिर चुकी है। चूंकि हमारे बच्चों ने हाई स्कूल या इंटर में नैतिकता के ऊपर अध्ययन नहीं किया है। यदि हमारे पाठ्य पुस्तकों में नैतिकता के बारे में समावेश कर दिया जाय तो नैतिक स्तर उठने से बेईमानी तथा रिश्वतखोरी कम हो सकती है। पाठ्य पुस्तकों में नैतिक शिक्षा न होने से तरह तरह की समस्यायें पैदा हो गई हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका अभी 4 मिनट बाकी है। कल आप 4 मिनट अपना भाषण और जारी रखेंगे।

श्री रामायण राय—

श्रीमन्, आधे घंटे का बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं 15 मिनट बढ़ा देता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब 51 के अन्तर्गत दो सूचनायें आयी हैं एक श्री बाबू लाल वर्मा की बहराइच जिले में उपभोक्ता वस्तुओं का घोर अभाव। इसके बार में जब खाद्य की चर्चा होगी तो उस समय इस पर विचार कर लिया जायगा।

एक सदस्य--

मान्यवर, वहां जो आटा मिलता था वह भी अब सरकार ने बन्द कर दिया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं कह रहा हूं कि खाद्य का जो बजट आयेगा उस पर आपको मौका दिया जायेगा।

दूसरी सूचना कानपुर में वायु मिलावट के संबंध में है। इसके संबंध में अभी वैज्ञानिकों ने अपनी राय नहीं दी है। वायु प्रदूषण की समस्या दुनिया भर में है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

कानपुर में वायु दूषित है और साथ ही साथ पानी में मिलावट का संकट है।

श्री अध्यक्ष--

वैज्ञानिकों की क्या राय है वह अभी प्राप्त नहीं हुई है। यह समस्या तो दुनिया भर में है जहां-जहां औद्योगीकरण है। आप इसको पता लगाकर कि क्या है, लिखकर दें।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, वैज्ञानिकों ने शोध किया है....

श्री मधुकर दिघे--

जब अखबार में कोई बात आ जाती है तो उससे जनता के मन पर असर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--

आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें। इससे मालूम हो जायेगा कि वैज्ञानिकों की क्या खोज है।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मैंने नियम 51 में जो सूचना दी थी आप उसे स्वीकार कर लें। पूरे प्रदेश की समस्या है। आज न तो अनाज मिल रहा है, न कपड़ा और न बीज ही। बुआई का समय आ गया है....

श्री अध्यक्ष--

मेरी समस्या यह है कि इस पर बहस हो चुकी है। जब खाद्य की चर्चा हो तो उस पर आपको राय जाहिर करने का मौका मिलेगा तब आप अपने विषय पर कह सकते हैं। खाद्य पर बहस के अवसर पर इस बात को उठाने का मौका न मिले तो बात दीगर है।

थाना पैलानी, जिला बांदा की पुलिस द्वारा ग्राम पिपरोदर के रमजान नामक व्यक्ति की कथित मारपीट के कारण मृत्यु हो जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20/21-6-74 को रात में ग्राम वंशीडेरा मजरा ग्राम नरी, जिला बांदा में डकैती के एक मुकदमें की विवेचना करते समय थानाध्यक्ष पैलानी को यह सूचना प्राप्त हुई कि फरार डकैत गया प्रसाद कुर्मी अपने गिरोह के साथ जुम्मन

का डेरा मजरा ग्राम पिपरोदर में आया हुआ है। इस सूचना के प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष पैलानी एक सब-इंसपेक्टर तथा 4 कांस्टेबिलों को लेकर दिनांक 21-6-74 को लगभग 6 बजे प्रातः मुखबिर सहित ग्राम पिपरोदर जाने वाले रास्ते के करीब के गांव पचकोड़ी डेरा में पहुंचे और मुखबिर को फरार डकैत के गिरोह की मौजूदगी का पता लगाने भेजा। मुखबिर द्वारा यह निश्चित सूचना प्राप्त होने पर कि फरार डकैत गया प्रसाद कुर्मी का गिरोह नाजायज शस्त्रों सहित डेरा पचकोड़ी और डेरा जुम्मन के बीच नाले में मौजूद है और वहीं पर जुम्मन और रमजान, निवासी डेरा जुम्मन भी बन्दूक रायफल लिये मौजूद है, थानाध्यक्ष ने ग्राम पचकोड़ी तथा ग्राम पिपरोदर के कुछ गवाह साथ लिये और डकैतों की गिरफ्तारी के लिये रवाना हुए। जिस नाले में डकैत मौजूद थे वहां पहुंच कर थानाध्यक्ष ने डकैत के गिरोह को ललकारा जिस पर सभी 6 बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी गिरोह को घेर कर फायरिंग की जिससे बदमाशों में भगदड़ मच गई। पुलिस पार्टी ने बदमाशों का लगभग दो ढाई मील तक जमुना नदी के कछार में पीछा किया। दोनों ओर से फायरिंग होती रही। पुलिस को देखते ही रमजान ने एक झाड़ी में से राइफल द्वारा फायर किया। पुलिस पार्टी ने नजदीक पहुंचने पर देखा कि रमजान के हाथ में हैन्डग्रेनेड है तो वह उस पर काबू पाने के लिये टूट पड़ी और उसे लाठियों से मार कर गिरा दिया। रमजान की वहीं पर मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक की रायफल तथा जमीन पर पड़ा एक खाली कारतूस और रमजान के पास से एक हेन्डग्रेनेड कब्जे में लिया। शेष अभियुक्त भाग गये।

इस घटना की लिखित सूचना थानाध्यक्ष द्वारा थाना पैलानी पर भेजी गई जिसके आधार पर एक मुकदमा (अपराध संख्या 109) अन्तर्गत धारा 147/148/149 307/भारतीय दंड विधान, दूसरा मुकदमा (अपराध संख्या 110) अन्तर्गत धारा 25 असलहा ऐक्ट तथा तीसरा मुकदमा (अपराध संख्या 111) अन्तर्गत धारा 5 इक्सप्लोसिव ऐक्ट दर्ज किये गये।

पंचायतनामें के बाद रमजान का शव पोस्ट मार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। पोस्ट मार्टम परीक्षण से शव पर मृत्यु से पूर्व की 12 चोटें (9 नीलगू निशान तथा 3 खरोचें) पाई गई। मृतक के पिता छिद्दू द्वारा यह शिकायत किये जाने पर कि रमजान की पुलिस ने गोली मार कर हत्या की है कुछ स्थानीय नेताओं ने पोस्ट मार्टम किये हुए शव को रोक कर डिप्टी चीफ मेडिकल आफिसर को चोटें दिखाई और यह इत्मीनान होने पर कि गोली की चोटें नहीं हैं शव मृतक के परिवार को देन दिया। मृतक की उम्र 25 वर्ष डाक्टर द्वारा पोस्ट मार्टम परीक्षण रिपोर्ट में लिखी गई है।

दिनांक 22-6-74 को मृतक रमजान के पिता श्री छिद्दू ने थाना पैलानी के दो सब इंस्पेक्टर और चार कांस्टेबिलों के विरुद्ध अपने पुत्र की हत्या करने आदि के आरोप लगाते हुए एक लिखित रिपोर्ट थाना कोतवाली पर दी जो धारा 147/452/323/504/506/302 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज की गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना पैलानी पर एक मुकदमा (अपराध संख्या 109 ए) कायम किया गया। इस मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने घटना के दो गवाहों के नाम लिखाये थे। यह दोनों गवाह वादी के निकटतम संबंधी बनाये जाते हैं। इन दोनों गवाहों ने न्यायालय में हलफनामें दाखिल कर दिये हैं कि वे कथित घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं और उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

उपरोक्त अपराध संख्या 109 तथा 109 ए की विवेचना सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है।

[श्री राजमंगल पांडेय]

पुलिस अधीक्षक बांदा के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट बांदा ने परगना मजिस्ट्रेट बांदा को इस घटना की जांच करने हेतु नियुक्त किया है।

इस घटना को लेकर क्षेत्र की जनता में किसी प्रकार का असंतोष या उत्तेजना होने की बात सही नहीं है ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस घटना में बताया गया है कि दो ढ़ाई मील तक पीछा किया । मैं जानना चाहता हूं कि मौत किस जगह हुई, किस वक्त हुई और थाने में रिपोर्ट किस वक्त हुई ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, इतने सवाल एक साथ पूछ लिये कि मैं किसका जवाब दूं । मौत का कारण डाक्टर असर्टेन नहीं कर सके । डाक्टर ने लिखा है कि काज आफ डेथ कैन नाट बी असर्टेन्ड ।

एक सदस्य---

क्या उसको सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री दलसिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)---

अध्यक्ष महोदय, पुलिस की जो पूरी रिपोर्ट है वह बिल्कुल मनगढंत और निराधार है । रमजान की आयु 25 वर्ष बतायी गयी है जबकि वह 16 वर्ष का था । रमजान का चाचा बदमाश था । रमजान को उसके चाचा के धोखे में घर से ले गये और उसको मार दिया क्या यह सही है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, मैं कोई आयु का विशेषज्ञ नहीं हूं । डाक्टर ने 25 वर्ष की आयु लिखी है । उसके पास से एक राइफल, एक खाली कारतूस और हैन्ड ग्रिनेड पुलिस ने बरामद किये ।

श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कहा गया है कि उस तरफ से गोली चली । दोनों तरफ से गोली चली । कहते हैं कि रमजान ने गोली चलाई । लेकिन पुलिस ने इतनी मेहरबानी की कि गोली नहीं चलाई और वह लाठी से मारा गया । दोनों तरफ से एनकाउन्टर दिखाया जाता है और मरता लाठी से है । मैं पूछना चाहता हूं कि गोली का जवाब गोली से क्यों नहीं दिया ?

श्री राजमंगल पांडेय---

यह तो कहीं नहीं कहा है कि गोली का जवाब गोली से नहीं दिया गया । दो ग्रुप थे । डाकू दो हिस्सों में बंटे थे । एक साइड में जुम्मन और रमजान थे और दूसरे डाकू दूसरी साइड में थे जुम्मन और रमजान झाड़ी में छिप गये पुलिस वालों पर उन्होंने फायर किया लेकिन वह बच गये । जब उन्होंने देखा कि पकड़े जायेंगे तो अपनी बंदूक व हैण्ड ग्रिनेड छोड़ कर भागे । पुलिस वालों ने लाठी मारी जिससे हैंड ग्रिनेड हाथ से छूट गया और पुलिस वालों ने हैंड ग्रिनेड ले लिया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

हाथ में हैंड ग्रिनेड था और पुलिस ने लाठी से मुकाबला किया यह मनगढ़ंत मालूम होता है । क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि डाक्टर की रिपोर्ट में उसकी उम्र क्या लिखी हुई है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

डाक्टर की रिपोर्ट में उम्र 25 वर्ष लिखी हुई है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

वक्तव्य में लिखा है कि 6 बदमाशों का पीछा पुलिस ने दो ढ़ाई घंटे तक किया। कछार का इलाका था और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। अगर उसकी उम्र 25 साल मान भी ली जाय तो इसके मानी यह हुए कि वह नौजवान आदमी था। जब वे लोग दो तरफ भाग रहे थे तो यह बदमाश झाड़ी में कैसे छिप गया जबकि पुलिस उनका पीछा कर रही थी और उसको लाठियों से मारने का मौका मिल गया?

श्री राजमंगल पांडेय--

घबड़ाहट में क्या-क्या हो जाता है यह सभी को मालूम है। जब मालूम हुआ कि पकड़ जायेंगे तो झाड़ी में वह छिप गया।

(व्यवधान व शोरगुल)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

बयान में यह है कि 3 खुरेचें, 8, 9 नील के निशान हैं। एक नवजवान लाठी की इतनी चोटों से मर नहीं सकता। माननीय मंत्री के पास डाक्टर की रिपोर्ट है तो क्या वह पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री राजमंगल पांडेय--

गोली से मारे जाने की बात कही जाती है लेकिन गोली की कोई चोट नहीं है।

श्री राम सेवक यादव--

9 नील तथा 3 खरोंचें और घटना स्थल पर मृत्यु तो क्या माननीय मंत्री डाक्टर की रिपोर्ट को पढ़कर सुनायेंगे?

श्री अध्यक्ष--

बयान में दिया हुआ है कि पुलिस ने देखा कि रमजान ने एक झाड़ी में से राइफल द्वारा फायर किया। पुलिस पार्टी ने नजदीक पहुंचने पर देखा कि उसके हाथ में हैंडग्रिनेड है तो वह उस पर काबू पाने के लिये टूट पड़ी और उसे लाठियों से मार कर गिरा दिया और रमजान की वहीं पर मृत्यु हो गयी।

श्री जमुना प्रसाद बोस--

अगर यह रिपोर्ट जो सदन में रखी गयी है यह 16 आने असत्य साबित हो जाय तो क्या माननीय मुख्य मंत्री इस्तीफा दे देंगे इसके झूठ साबित होने पर?

श्री अध्यक्ष--

यह तो सूचना उनको जो मिली है उसको उन्होंने पढ़ कर सदन में सुना दिया है।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

रिपोर्ट को पढ़ने से कुछ सन्देह होता है। दोनों तरफ से गोली चली, उनके पास बन्दूक व हैन्ड ग्रिनड दोनों थे और उसका जवाब पुलिस न लाठी से दिया और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में यह है कि मौत का कारण एसर्टेन नहीं किया जा सकता। फिर मृतक के बाप ने रिपोर्ट दी। उसके गवाह अदालत में जाकर कहते हैं कि मैं चस्मदीद गवाह नहीं हूं तो मैं माननीय मंत्री

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]
जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर लगातार दोनों तरफ गोलियां चलीं तो पुलिस वालों को कितनी गोलियां लगी । साथ ही यह भी बतायें कि मौके पर पुलिस वालों को कारतूस मिली वह कितनी कारतूसें थी । कितनी पुलिस की थीं और कितनी बदमाशों की थीं?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, आप देखेंगे कि यह अभी हाल की ही घटना है और सर्किल इन्सपेक्टर इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं । पुलिस को कोई चोट नहीं आई ।

श्री राम सेवक यादव--

मान्यवर, दो सवाल मेरे सवाल के बाद हो गये किन्तु उसका जवाब नहीं आया । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मंत्री जी पढ़कर सुना दें ।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, पोस्ट मार्टम रपोर्ट पढ़ देता हूं--

On the body of Ramjan, son of Chhiddu Mushalman, resident of Jumman-ka-dera, hamlet of Piprodhar, police station Pailani, District Banda, sent by police station Pailani, District Banda.

Antimortam Injuries—

1. Contusion $1'' \times \frac{1}{2}''$ on dorsum of right hand oblique.
2. Contusion $2'' \times 1''$ on dorsum of left hand oblique.
3. Contusion $2'' \times 1''$ on pleural aspect of right hand oblique.
4. Abrasion $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$ on dorsum of right hand.
5. Abrasion contusion $2'' \times 1''$ on part of right knee.
6. Abraded contusion on dorsum of 3rd and 4th toe.
7. Two contusion of $1'' \times \frac{1}{2}''$ on back of left thigh at middle.
8. Contusion $2'' \times 1''$ on back of left shoulder a.....slight.
9. Contusion $2'' \times 1''$ on back of left shoulder a shight.
10. Contusion of $1'' \times 1''$ on back of right elbow ashign.
11. Contusion of $1'' \times 1''$ on back of left elbow oblique.
12. Contusion $2'' \times 2''$ on forehead, oblique. Echymosis on present.

On sector exloted blood present and echymosis present.

INTERNAL EXAMINATION

1. Bones of scalp or skull — Echymosis beneath the scalp on frontal. region.
2. Membranes — congested.
3. Brain — congested minuter copillary margins present.
4. Base of skull — NAD.
5. Vertebrae — NAD.
6. Special cord — not opened.
7. Adal remark — NAD.

THORY

A. Walls, ribs and cartilages – NAD.
B. Plaura – NAD.
C. Laryux, trachea and bronchi – NAD.
D. Right lung – Full NAD.
E. Right lung – Full NAD.
F. Pericardium — NAD.
G. Heart – Right side full NAD 720 Cms.
H. Vessels – NAD.
I. Additional remark – NAD.

On the following datas the cause of death can not be ascertained. Visra preserved.

श्री अध्यक्ष---

श्री दर्लासिह, जिन्होंने प्रश्न दिया है उनका कहना है कि यह जो है उनके परिवार का कोई सदस्य दरअस्ल बदमाश है और एवज में इस लडके को पकड़ा गया है । अब यह जो जवाब है, इसमें जांच की जरूरत है । आप (मंत्री जी) इसकी जांच करा लें, क्योंकि मालूम पड़ता है इसमें कुछ कमी अवश्य है । कुछ मामले में संदेह किया जाता है । क्योंकि मालूम पड़ता है 22 तारीख को जब पुलिस के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, तो उस पर यह हुआ तो इसकी जांच कराने की आवश्यकता है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

जो आप जांच के बारे में कह रहे हैं, यह आप किसकी जांच के बारे में कह रहे है–सी0 आई0 डी० पुलिस या मैजिस्ट्रेट ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य जिन्होंने सवाल किया है, उनका कहना है कि दूसरा जो घर का सदस्य है, वह दरअस्ल बदमाश है । यह नहीं कहते है....

श्री राजमंगल पांडेय---

खुद एस0 पी0, बांदा ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिटेन में दिया है कि आप इसकी मैजिस्ट्रियल जांच करा लें । तो इस पर एक मैजिस्ट्रेट (एस0 डी0 एम0) को यह केस दे दिया गया है, ताकि जो भी चीज कोई हो, वह आपके सामने आ जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

जांच हो रही है इसकी ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---

मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि रमजान के पास किस बोर की राइफल थी ? और उसके पास से जो खोखा कारतूस मिला तो क्या उसके अलावा और भी कारतूस मिले हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, एक राइफल मिला, एक खोखा कारतूस और एक हैण्ड-ग्रिनेड ।

श्री अध्यक्ष---

यह जांच हो रही है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं । उसके बाद में, जैसा मंत्री जी ने कहा है वह आपको अवगत करायेंगे ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 24 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह ,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
1 जुलाई, 1974 ई0 ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 469 पर]

देवरिया जिले की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य बकाया का विवरण (दिनांक 31-5-74 तक की स्थिति के अनुसार)

(लाख रुपयों में)

क्रम-सं0	नाम चीनी मिल	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74
1	परतापपुर	..	..	..	..	0.03
2	बैतालपुर	..	..	..	..	5.00
3	गौरी बाजार	..	..	..	..	..
4	देवरिया	..	..	..	..	3.30
5	छितौनी	..	..	..	..	15.57
6	खड्डा	4.99	3.18	..	..	13.48
7	कप्तानगंज	..	..	..	..	..
8	लक्ष्मीगंज	..	..	..	..	7.72
9	रामकोना (पी)		..	..	..	0.13
10	रामकोला खेतान	3.40	..	..	..	9.22
11	पड़रौना	..	0.04	..	..	7.45
12	बठ कुईयां	..	..	..	..	..
13	सेवरही	..	..	..	..	2.37
14	भटनी	..	..	..	..	1.65
	योग	8.39	3.22	..	..	65.92

संसद विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 485 पर)

हस्त एवं शक्ति चालित करघा आयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्य-मुख्य सुझावों के विवरण

1—हथकरघा उद्योग का सर्वेक्षण तत्काल कराया जाना चाहिये ।(पैरा 2.1) ।

2—यह सर्वेक्षण हर चौथे साल होना चाहिये । (पैरा 2.2) ।

3—पावरलूम उद्योग अभी हैन्डलूम का स्थान ग्रहण नहीं करेगा और न ही उस विशाल समुदाय को जो बुनाई व्यवसाय में लगा हुआ है रोजगार दे सकेगा । जब तक हैन्डलूम बुनकरों के लिये रोजगार उपलब्ध न हो तब तक उनसे जीविका का साधन छीनकर पावरलूम को आगे बढ़ाना अदूरदर्शिता होगी । (पैरा 2.17, 1.31) ।

4—पावरलूम लायसेंस की शर्त कि लूम किसी अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें जायें, समाप्त कर दिया जाय। (पैरा 2.19) ।

5—पावरलूम वस्त्र उत्पादन पर मिल उत्पादन के आधे दर पर एक्साइज ड्यूटी लगायी जाय तथा यह विकल्प भी दिया जाय कि वे चाहे तो एक निर्धारित क्षमता पर कर दे सके। (पैरा 2.21) ।

6—केन्द्रीय शासन ऐसी पालिसी कांटेज पावरलूम के विषय में अपनायें जिससे कि अनधिकृत पावरलूम का विकास सभी प्रदेशों में बन्द हो । (पैरा 2.36) ।

7—सहकारी कताई मिलों की उप नियमावली में बुनकर समितियों को प्राथमिकता देकर सूत बेचने का प्राविधान होना चाहिये। (पैरा 4.19) ।

8—राज्य की सूत मिलें बन्द है पुनः चालाई जायें या उनके लाइसेंस रद्द कर नये लाइसेंस उसी सीमा तक केन्द्रीय शासन से लिये जायें । (पैरा 4.19) ।

9—उत्तर प्रदेश शासन हैन्डलूम को राहत देने के बजाय उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले मत पर पावरलूम की अपेक्षा अधिक दर से बिक्री कर लगा रहा है । बिक्री कर की यह दर सभी सूतों पर आधा प्रतिशत कर दी जाय । (पैरा 4.21) ।

10—भारत सरकार से आग्रह किया जाय कि मिलों द्वारा उत्पादित सूत का एक निर्धारित प्रतिशत हैन्क के रूप में बेंचे । (पैरा 4.25) ।

11—राज्य की प्रत्येक स्पिनिंग मिल पांच स्थानों पर उचित मूल्य की दुकाने खोलें। (पैरा 4.30) ।

12—सहकारी कताई मिलों की सोल सेलिंग एजेन्सी आयोग द्वारा प्रस्तावित मारकेटिंग कारपोरेशन को दे दी जाय ।(पैरा 4.31) ।

13—राज्य की कताई मिलों को स्पेन्डिल्स का एक अंश स्टेपुल फाइबर की कताई में लगाया जाय जिससे वे सहकारी समितियों की आवश्यकता की सीधे पूर्ति कर सके । (पैरा 4.39) ।

14—राज्य शासन दस हजार टन उत्पादन क्षमता का एक बुडपल्प तथा स्टेपुल फाइबर प्लान्ट स्थापित करें । (पैरा 4.36) ।

15—उत्तर प्रदेश को मिलने वाला समस्त आर्ट सिल्क प्रस्ताविक मारकेटिंग कारपोरेशन के माध्यम से प्राप्त कर राज्य के उत्पादकों में वितरित किया जाय । (पैरा 4.42)।

16--रेशम के व्यापार में हैन्डलूम मारकेटिंग कारपोरेशन सीधे बाहर से रेशम खरीद-कर उपभोक्ताओं को बेंचे । (पैरा 4.47) ।

17--राज्य के रेशम उद्योग को तथा वसर सिल्क उद्योग को विकसित करने का प्रयत्न किया जाय । (परा 4.47,4.48) ।

18--रेशम की प्रोसेसिंग के लिये कुछ प्लान्ट निजी क्षेत्र में लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय । (पैरा 4.49) ।

19--इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ हैन्डलूम टेक्नोलोजी द्वारा प्रकाशित शेड कार्ड को हिन्दी में उपलब्ध कराया जाय । (पैरा 4.51) ।

20--प्रस्तावित मारकेटिंग कारपोरेशन आयात तथा कुछ स्वदेशी रंगो के वितरण का कार्य भी करें । (पैरा 4.51) ।

21--वाराणसी के जरी उद्योग को पुनरजीवित करने के लिये शासन भारत सरकार से सोने के लायसेंस के लिये प्रयत्न करें और सार्वजनिक क्षेत्र में एक प्लान्ट लगाये जो शुद्ध जरी की आवश्यकता की पूर्ति करे और अन्य निर्माताओं को तकनीकी जानकारी दे । (पैरा 4.56)।

22--हैन्डलूम निदेशालय प्रमुख हैन्डलूम क्षेत्र में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करें जहां सुधरे हुये अच्छे लूम बनायें जाय और इसके लिये ऋण दिया जाय । (पैरा 5.6) ।

23--ताना करने के लिये वे सेलम इन्स्टीट्यूट द्वारा बनाई गयी मशीन से बुनकरों को परिचित कराकर इसे उपलब्ध कराया जाय । (पैरा 5.3) ।

24--कुछ अच्छे रंगाई घरों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की जाय इसके लिये कुशल रंगाई कारों को कुछ क्षेत्र में रंगाई के लिये रेट तय कर अधिकृत किया जा सकता है और इसके लिये आर्थिक सहायता दी जा सकती है । (पैरा 5.8) ।

25--बुनकर प्रसार सेवा का कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनकरों को पक्के रंग से रंगने के प्रयोग विशेषज्ञोंद्वाराकरके दिखलाया जायसाथ ही उनको रंग विधि की जानकारी कराई जाने वाली पुस्तिका भी दी जाय । (पैरा 5.9) ।

26--सूत तथा कपड़े की धुलाई अथवा ब्लीचिंग के लिये प्रत्येक हथकरघा केन्द्र में सुविधा होनी चाहिये । (पैरा 5.10) ।

27--राजकीय डिजाइन सेन्टर में उचित वेतन क्रम में, अच्छे स्तर के कलाकार तथा अधि-कारियों की व्यवस्था की जाय प्रसार कार्य के लिये इनके साथ कुछ कर्मचारियों को जोड़ा जाय । (पैरा 5.11) ।

28--उत्तर प्रदेश में मारथवाड़ा पावरलूम प्रोजेक्ट की भांति प्रोजेक्ट की कल्पना उचित न होगी । (पैरा 5.15) ।

29--शासन का उत्तरदायित्व होगा कि वह आग्रहपूर्वक राष्ट्रीय कृत बैंकों से लक्ष्य निर्धारित कर बुनकरों को आर्थिक सहायता देने को कहे और उन कार्यों का मूल्यांकन करें । (पैरा 6.7) ।

30--तत्काल एक हैन्डलूम एवं पावरलूम वित्तीय तथा विकास निगम की स्थापना होनी चाहिये । नियम के खर्चों के लिये वितरित धनराशि का तीन प्रतिशत अनुदान के रूप में शासन दें । (पैरा 6.8) ।

31--एक मारकेटिंग संगठन का गठन किया जाय जो फाइनेंसिंग संस्था से बिलकुल अलग हो कर कार्य करें इसे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के सब्सीडरी के रुप में गठित किया जाय। (पैरा 7.12, 7.13) ।

32—हैन्डलूम मारकेटिंग कारपोरेशन को राजकीय भूमि उचित स्थानों पर उपलब्ध कराई जाय जहां वे आधुनिक ढंग के शो रूम खोलें इसे निर्यात की दिशा में भी सक्रिय होना चाहिये। (पैरा 7.5)।

33—सभी सहकारी समितियों को प्रशिक्षित सचिव उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाय। सचिव के वेतन का कुछ अंग अनुदान के रूप में शासन दें। (पैरा 8.6)।

34—सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के लिये निरीक्षण की एक विशिष्ट संख्या निर्धारित की जाय। (पैरा 8.7)।

35—समितियों की सिद्धान्ततः व्यावहारिक शिक्षा के लिये योग्य बुनकर तथा अधिकारियों को दक्षिण भारत की सहकारी समिति ों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाय वहां की लेखा पद्धति को भी अपनाया जाय। (पैरा 2.8)।

36—रिबेट एक उपयोगी योजना है। 10 प्रतिशत तक विशेष अवसरों पर रिबेट की व्यवस्था होनी चाहिये। (पैरा 8.15)।

37—सहकारिता संस्थाओं के विषय में आयोग की निम्न संस्तुति है:—

(क) संस्था का शीर्षस्थ अधिकारी सदैव गैर-सरकारी व्यक्ति हो।
(ख) वह नामांकित न किया जाय चुना हुआ प्रतिनिधि हो।
(ग) संचालक मंडल में बहुमत चुने हुये व्यक्तियों का हो।
(घ) चुनाव गुप्त मतदान की पद्धति से हो।
(ङ) प्रतिनिधियों का कार्यकाल तीन वर्ष का हो।
(च) किसी भी चुनाव में एक माह पूर्व संचालक मंडल का अन्त कर दिया जाय तथा केन्द्रीय तथा बड़ी समितियों के संदर्भ में उनका कार्य एक अधिकारी देखें व चुनाव करायें। संगठन का कार्य करें तथा अधिकारी उचित वरिष्ठता का सरकारी अधिकारी होना चाहिये। (पैरा 8.21)।

38—यूपिका के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की संस्तुतियों का तत्काल कार्यान्वयन किया जाय।

39—उद्योग निदेशक को यूपिका से सम्बन्धित बाहरी पर्यवेक्षक के रूप में रहना चाहिये। (पैरा 8.4)।

40—रिजर्व बैंक की संस्तुतियों के अनुसार पुनर्गठन होने के पश्चात् शासन 20 लाख रुपये का ब्याज रहित ऋण इसे तीन वर्ष के लिये जमा पूंजी के रूप में दे तथा प्रचार एवं सेल डिपों के लिये 10 लाख रु0 अनुदान दे। (पैरा 8.48)।

41—शासन यूपिका के संचालक मंडल के वर्तमान स्वरूप को तुरन्त खत्म कर दे तथा उसे तुरन्त पुनर्गठन करने का दायित्व ले। (पैरा 8.46)।

42—राज्य कर्मचारियों को एक माह के वेतन तथा अग्रिम धन सहकारिता क्षेत्र से हैन्डलूम वस्त्र खरीदने के लिये दिया जाय। (पैरा 8.48)।

43—शासकीय एवं स्वायत संस्थायें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खादी के लिये सुरक्षित क्षेत्र को छोड़कर हैन्डलूम वस्त्रों का ही प्रयोग करें।

44—कालीन उद्योग के सर्वेक्षण के आंकडे तत्काल एकत्र किये जायें। (पैरा 9.1)।

45—कालीन को हथकरघा उद्योग के लिये देने वाली सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायें। (पैरा 9.3)।

46—हैन्डलूम वित्तीय निगम कालीन उत्पादन में प्रशिक्षण प्रतिनिधियों को करघे खरीदने के लिय बिना जमानत ऋण दे। (पैरा 9.6)।

47—कालीन उत्पादन केन्द्रों को वर्षाकाल में भी बाहरी संसार से संपर्क रहे इसलिये सड़क निर्माण के कार्यक्रम को वहां बरीयता के आधार पर किया जाय । (पैरा 9.11) ।

48—एक कालीन विकास निगम निर्मित किया जाय जो हैन्डलूम कारपोरेशन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करें । (पैरा 9.12) ।

49—रिजर्व बैंक की संस्तुति के अनुसार प्रति 10 समिति पर एक सुपरवाइजर का पद सृजित किया जाय ।(पैरा 10.2) ।

50—हैन्डलूम पावरलूम बोर्ड की मीटिंग समय समय पर नियमानुसार की जाय तथा शासन चर्चित विषयों पर ध्यान दे । (पैरा 10.11) ।

51—निदेशालय के अधिकारियों एवं वस्त्र निरीक्षकों को प्रविधिक प्रशिक्षण के लिये वाराणसी के हैन्डलूम इंस्टीट्यूट में तीन सप्ताह के लिये भेजा जाय । (पैरा 10.14) ।

52—उद्योग विभाग में एक उप सचिव के स्तर का अधिकारी एवं एक पूरा अनुभाग हस्त एवं शक्तिचालित करघा उद्योग से सम्बन्धित कार्यों को देखें । (पैरा 10.9) ।

53—बुनकरों के लिये लाइफ इन्श्योरेंस की सामूहिक बीमा योजना इस प्रदेश के लिये लागू की जाय तथा सामूहिक ग्रेच्युटी योजना भी प्रारम्भ की जाय साथ ही मकान बनाने के लिये सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराया जाय या कालोनीज बनाई जाय एवं बुनकर सहकारी समितियों में नौकरी की प्राथमिकता दी जाय । (पैरा 11.1, 11.4) ।

———

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 487 पर)

रद्दी कागज का विक्रय (1-4-70 से 30-9-73 तक)

क्रम-संख्या	ठेकेदार का नाम	विवरण	दर प्रति कुन्तल	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
			रु0 पै0	कु0 कि0	रु0 पै0
1	मेसर्स प्रयाग ट्रेडिंग कारपोरेशन 116, बहादुरगंज, इलाहाबाद ।	ग्राइलो स्वीविंग	28.00	1,073.35	32,598.06
2	,,	रोल कोर	35.10	223.25	7,836.06
3	,,	यूज्ड मोनो स्पूल्स	103.13	75.87	7,824.47
4	,,	क्राफ्ट कटिंग	44.00	606.55	23,587.39
5	,,	बेठन	45.00	974.15	47,263.55
6	मेसर्स ज्वाइन्ट इन्टर प्राइजेज, अशोक आश्रम, भैंरो जी रोड, लखनऊ ।	मिक्सड कटिंग	56.97	1,159.75	70,864.45
7	,,	डेली स्वीविंग	38.76	3,398.55	1,36,206.60
8	श्री सफीर अहमद खां, मुहल्ला बेलनगंज, होसंगाबाद, मध्य प्रदेश ।	टोर्न रेकार्ड	50.25	554.30	29,331.04
9	,,	आफिस रेकार्ड	112.75	340.35	35,375.99

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10	श्री मुस्ताक अहमद, मौजा उझानी, थाना मुफतोपुरवा, इलाहाबाद ।	व्वाइट कटिंग	78.26	874.50	71,317.48
		इलाहाबाद		9,280.62	4,62,205.09
				5,188.15	2,41,568.21
		योग ..		14,468.77	7,03,773.30

नोट:—स्तम्भ 2 में दिये गये ठेकेदारों के नाम उन निविदा दाताओं के है जिसके टेन्डर स्वीकृत हुये थे । स्तम्भ 5 में पूरी मात्रा का 20 प्रतिशत उन निविदा दाताओं को दिया गया था जिनका नाम स्तम्भ 2 में दिखाया गया है । बकाया इलाहाबाद की 80 प्रतिशत मात्रा सर्वश्री भारत स्ट्रा बोर्ड, नैनी और लखनऊ की 80 प्रतिशत मात्रा सर्वश्री अपर इंडिया कपूर पेपर मिल को दी गई ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 99—वि0 सभा—(1424)—1974—835 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा